पत्रांकः– 3516 /14–10–4 , लखनऊ, दिनांक०1 फरवरी, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Ad.S.O.
fyi
CCF Nodal
DA.O.
01/02/23

विषयः– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहॉपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन, अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगज, लखनऊ का पत्रॉक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनॉक–16.06.2022 एवं आपका पत्रॉक–3609/11–सी– FP/UP/Road/144793/2021 दिनॉक–17.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तवार अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव ने अपने पत्रॉक–2029/14–1 दिनॉक–27.01.2023 के द्वारा उन्नाव वन प्रभाग की अनुपालन आख्या/अभिलेख तथा उसके साथ रायबरेली एवं हरदोई वन प्रभाग की अनुपालन आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। जिसे तीन प्रतिया में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

पत्रॉक– / उक्तदिनॉकित

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव, रायबरेली एवं हरदोई को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग–उन्नाव।

पत्रांक 2029 /14–1 दिनांक, उन्नाव जनवरी 27 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रपोजल संख्या– Online Proposal No. FP/UP/Raod/144793/2021

विषयः– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1748 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 सरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0651 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.6224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं0–ebी/यूपी/06/295/2021/एफसी/133 दिनांक 16.06.2022।

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी व अन्य को पृष्ठांकित है के क्रम में उपरोक्त विषयांकित कार्य हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृत की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है–

क0	भारत सरकार की शर्तें	अनुपालन की कार्यवाही
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–01 के रूप में संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	जनपद उन्नाव के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 61.3621 हे0 के बदले ग्राम–शंकरपुर, गोडवा, ताल्ही तहसील–हसनगंज, मखदूमपुर तहसील–हसनगंज, रूपऊ, कटरा मझरानिखना तहसील–उन्नाव तथा रूपपुर चन्देला, कैथोली तहसील–बांगरमऊ जनपद उन्नाव में कुल 61.3827 हे0 गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroha, Hardoi, Unnao, Raibareily and 62.00 ha. degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as	जनपद उन्नाव के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 61.3621 हे0 के बदले ग्राम–शंकरपुर, गोडवा, ताल्ही तहसील–हसनगंज, मखदूमपुर तहसील–हसनगंज, रूपऊ, कटरा मझरानिखना तहसील–उन्नाव तथा रूपपुर चन्देला, कैथोली तहसील–बांगरमऊ जनपद उन्नाव में 61.3827 हे0 गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0–2,61,16,500.00 (रू0–दो करोड़ इकसठ लाख सोलह हजार पांच सौ मात्र) कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है।
	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mulated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	जनपद उन्नाव के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 61.3621 हे0 के बदले ग्राम–गोडवा, ताल्ही तहसील–हसनगंज, मखदूमपुर तहसील–हसनगंज, रूपऊ, कटरा तहसील–उन्नाव तथा कैथोली तहसील–बांगरमऊ जनपद उन्नाव में 24.7127 हे0 गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 की

653

		प्रस्ताव इस कार्यालय को पत्र सं0–1373/ 14–1 दि0–30.12.2022, 1674/14–1 दि0–30.12.2022 तथा 1831/14–1 दि0–06.01.2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष 36.65 है0 का प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।
5	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	जनपद उन्नाव के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 61.3621 है0 के बदले ग्राम–शंकरपुर, गोडया, ताल्ही तहसील–हसनगंज, मखदूमपुर तहसील–हसनगंज, ऊपऊ, कटरा मझराभिखना तहसील–उन्नाव तथा रूपपुर चन्देला, कैथोली तहसील–बांगरमऊ जनपद उन्नाव में 61.3627 है0 गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0–2,61,16,500.00 (रू0–दो करोड़ इकसठ लाख सोलह हजार पांच सौ मात्र) कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी वचनबद्धता की प्रति संलग्नक–02 के रूप में संलग्न है।
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.25336 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	जनपद उन्नाव के अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित वन भूमि 61.3621 है0 एवं संरक्षित वन भूमि 6.4218 है0 वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (प्रति है0 की दर रू0–9,57,780.00) रू0–6,49,22,064.00 (छह करोड़ उन्चास लाख बाइस हजार चौसठ मात्र) कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी वचनबद्धता की प्रति संलग्नक–03 के रूप में संलग्न है।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–04 के रूप में संलग्न है।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–05 के रूप में संलग्न है।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certicate from the concerned District collector.	एफआरए 2006 का प्रमाण–पत्र प्रेषित मूल प्रस्ताव में संलग्न है।
10	No violation of FCA certicate from concerned DFO shall be provided.	उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे में प्रस्तावित वन भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नही किया गया है। प्रमाण–पत्र संलग्नक–06 के रूप में संलग्न है।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of user agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan ann others dated 16.11.2015	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–07 के रूप में संलग्न है।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas Forest Areas.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–08 के रूप में संलग्न है।
13	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–09 के रूप में संलग्न है।
14	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–14 के आलोक में Enviromental clearance EC Identification No. EC22A034UP189577 Dt. 13-07-2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है (संलग्नक–10)।

16	No labour camp shall be established on the forest land.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–12 के रूप में संलग्न है।
17	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user agency to the labourer after purchasing the same from the State forest department or the forest development corporation or any other legal source of alternate fuel.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–13 के रूप में संलग्न है।
18	The boundry of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि का सर्वे सीमांकन एवं 500 सीमा स्तम्भों को लगाये जाने हेतु वांछित धनराशि रू0–21,86,500.00 (इक्कीस लाख छाछठ हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान ई–चालान के माध्यम से जमा किये जाने की वचनबद्धता दी गयी है (संलग्नक–14)
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–15 के रूप में संलग्न है।
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–16 के रूप में संलग्न है।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–17 के रूप में संलग्न है।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department of person without prior approval of Gove. Of India.	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र संलग्नक–18 के रूप में संलग्न है।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता अभिकरण यूपीडा लखनऊ सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्नक–19 के रूप में संलग्न है।
24	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the forest department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के शर्त सं0–24 के आलोक में परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डाल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन जीव उ0प्र0) को यूपीडा के पत्रांक 2114/1832/यूपीडा/22 दि0– 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है (संलग्नक–20)।
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the state forest department and funds for raising plantation shall be realized from the user agency and plantation shall be done by state forest department.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के शर्त सं0–25 के आलोक में अवगत कराया जाता है कि परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/19–32/यूपीडा/22 दि0– 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (संलग्नक–21)।
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	उन्नाव वन प्रभाग द्वारा 61.3621 हेक वनभूमि यूपीडा द्वारा प्रयोग की जा रही है जिसके सापेक्ष 61.3627 हेक गैर वनभूमि याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसका अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं–280/12–42–2 (जीआईएस) दि0–23.11.2021 के द्वारा डीएसएस एनालिसिस किया गया जिसकी छायाप्रति संलग्नक–22 के रूप में संलग्न है।
27	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to the forest land.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
28	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–28 के आलोक में अवगत कराया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत सर्व

	flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approval by the concerned DFO.	Hudrological regimes में से गुजर रहा है यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स वाटरबाडीज, चैनलस और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध न हो तथा माईक्रोवार शैडस में जल का प्रवाह आबधित रहे के सम्बन्ध में अनुमोदन चाहा गया था। जो संलग्नक–1 के साथ संलग्नक क्रास ड्रेनेज वर्कस की सूची अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है (संलग्नक–23)।
29	The non forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है (संलग्नक–24)।
31	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the intrest of conservation protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण यूपीडा लखनऊ सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्नक–25 के रूप में संलग्न है।
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA funds only through (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के शर्त संख्या–32 के आलोक में समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर जमा कराये जाने की वचनबद्धता दी गयी है (संलग्नक–26)।
33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के शर्त संख्या–33 के आलोक मे सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फण्ड ई–पोर्टल पर कराये जाने की वचनबद्धता दी गयी है (संलग्नक–27)।

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये बिन्दुओं की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित 04 प्रतियों में तथा हरदोई तथा रायबरेली वन प्रभाग की भी अनुपालन आख्या 04–04 प्रतियों में आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक समदिनांक

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

यूपीडा सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013560, इमेल upeida2@gmail.com

पत्रांक 4044/1832/यूपीडा/22(वन) दिनांक 26 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उन्नाव वन प्रभाग,
उन्नाव।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षें के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0561 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ–भारत सराकर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8बी/यूपी0/08/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609/11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain uncharged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:–	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi,	1.680 (NFL)	Amoroha

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	District Amroha.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26,	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

(अरुण कुमार राय)
एडी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		33,34,54,56,37,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily
		The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एन)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन

(अरूप कुमार राय)
डी कलेक्टर / अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		शासनादेश के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्राप्त किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मु0अ वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एंव वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–1)।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. अमरोहा 10,23,000.00 2. हरदोई 31,83,390.00 3. उन्नाव 2,61,15,500.00 4. चित्रकूट 3,72,04,900.00 5. रायबरेली 84,04,342.00 योग 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **वन प्रभाग का नाम / क्षेत्रफल (हे0 में) / NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. हापुड़ 2.0342 24,99,198.00 2. अमरोहा 1.6800 16,09,070.00 3. सम्भल 4.0520 38,80,925.00 4. बदायूं 4.9257 47,17,737.00 5. शाहजहाँपुर 3.9070 37,42,046.00 6. हरदोई 6.2873 60,21,651.00 7. उन्नाव 67.7839 6,49,22,064.00 8. रायबरेली 29.7266 2,84,71,543.00 9. प्रतापगढ़ 1.0749 10,29,518.00 योग 121.4716 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA,

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नही किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नही किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकडी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.680 (NFL)	3,80,000.00
2.	हरदोई	4.0552 (NFL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	61.50 (NFL)	21,66,500.00
4.	रायबरेली	27.231 (NFL)	12,65,500.00
		योग	39,40,325.00

(अरूण कुमार राय)
एडी कलेक्टर / अधिकारी अभिकरण
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं

22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	प्रयोक्ता एजेन्सी इस बात का वचन देती है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उन्नाव वन प्रभाग को दिये जाने वाले गैर वन भूमि (Non Forest land) वास्तव में गैर वन भूमि ही है, जिसको राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित किया जा चुका है एवं जो परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड कर दिये गये है। इस शर्त का अनुपालन/प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी उन्नाव वन प्रभाग के स्तर से किया जाना है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा से सम्बन्धित नहीं है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए उन्नाव जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची **प्रमाण पत्र सहित संलग्न** कर प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकारी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		स की जानी है (संलग्नक–3)।
30.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत Forest (Conservation) Act, 1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अनरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,360.00	59,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,61,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,643.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,68,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

21(2)-H3-01

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–1

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र देता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बौगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–2

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–2 के अनुसार सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बौंगरमऊ रेंज
[illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–3

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–3 के अनुसार गैर वन भूमि (NFL) एवं अवनत वन भूमि (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा तथा क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा कराया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–4

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित व हस्तांतरित कर दिया गया है एवं यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 के द्वारा समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1004/77–3–2022–32(एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त को प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं वन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जानी है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–5

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

भत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Annexure-03

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–6

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के आदेश के क्रम में संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

भत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–7

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

भत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
वातावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

2KDH5-05

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–8

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–9

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–9 के अनुसार जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन-06

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–10

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–10 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ.

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–11

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–11 के अनुसार पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

2401-45-08

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–12

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Annexure-9

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–13

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–14

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–14 के अनुसार Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

2100-1-5-11

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–15

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
[illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Annexure - 12

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–16

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय नि
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–17

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–17 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
[illegible]

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय [illegible]
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग-
उन्नाव

2HCP45-14

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–18

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
वर्गीकरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

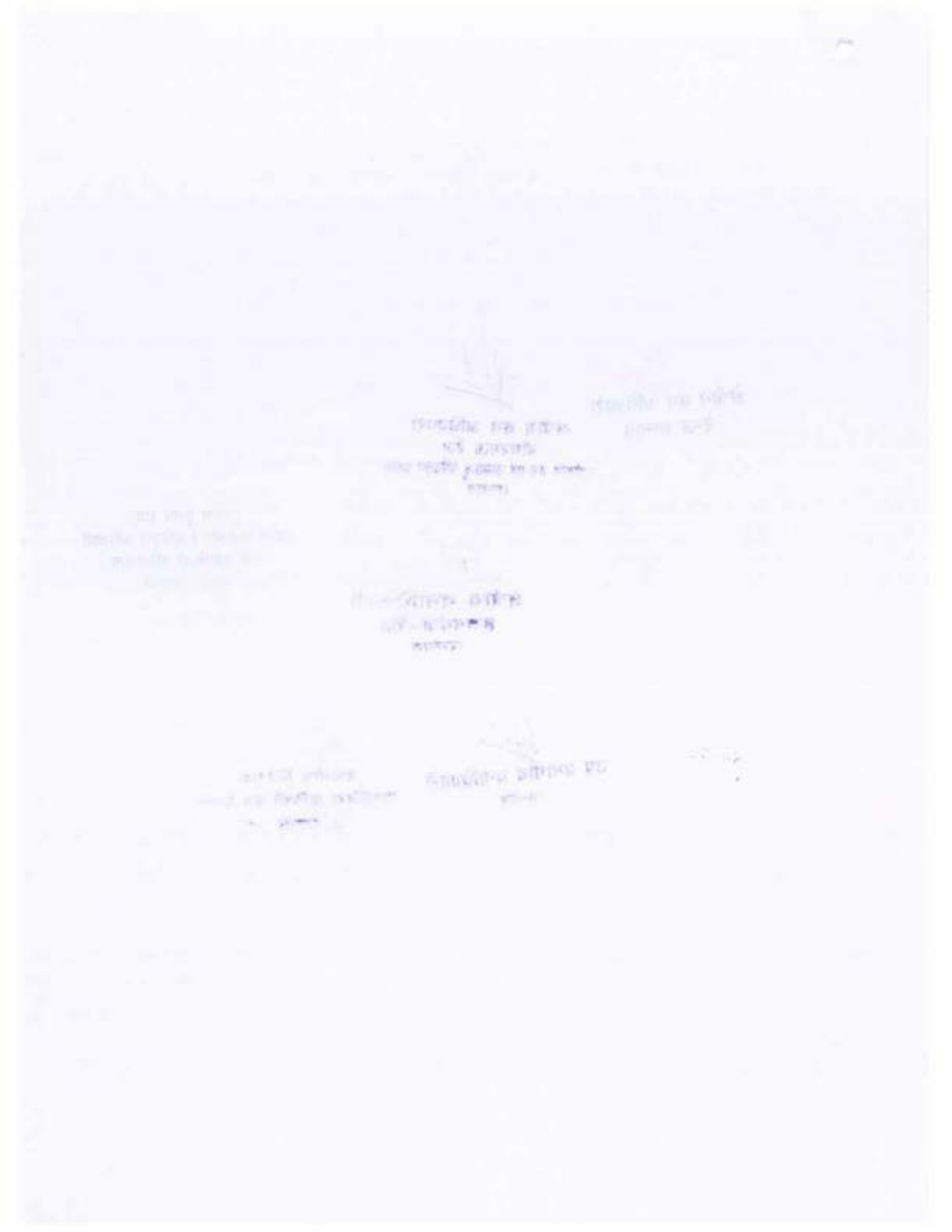

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–19

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
[illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–20

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

भत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–21

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–22

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बांगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–23

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बांगरमऊ रेंज

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–24

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–25

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
[illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन [illegible]
[illegible]

क्षत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
[illegible]

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–26

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बौंगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–27

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीगरमऊ रेंज
सामाजिक वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

2160445-23

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–28 के अनुसार मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए समस्त जनपदों में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का विस्तृत प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–29

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–29 के अनुसार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या– 2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एंव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघापुर रेंज
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

2-1(07)75-24

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–30

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–30 के अनुसार Forest (Conservation) Act, 1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बौंगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

संलग्नक-25

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–31

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–31 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाँगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

2102-15-26

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–32

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति सख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–32 के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त समस्त धनराशि रू0 19,67,66,109.00 को परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	18,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,81,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
योग		7,59,31,832.00	11,68,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बौगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

2/2045-27

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–33

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–33 के अनुसार सम्बन्धित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीघरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

पत्रांकः- 3518 /14-10-4, लखनऊ, दिनांक 01 फरवरी, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Ad.S.O. S/ for CCF Nodal S.O. 01/02/23

विषयः- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन, अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगज, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक-16.06.2022 एवं आपका पत्रांक-3609/11-सी- FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक-17.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तवार अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव ने अपने पत्रांक-2029/14-1 दिनांक-27.01.2023 के द्वारा उन्नाव वन प्रभाग की अनुपालन आख्या/अभिलेख तथा उसके साथ रायबरेली एवं हरदोई वन प्रभाग की अनुपालन आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। जिसे तीन प्रतिया में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक- / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव, रायबरेली एवं हरदोई को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

Phone/Fax : 0535-2208719
E-Mail : dforbl@yahoo.co.in

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली

पत्रांक- 2314 /14-10-4 रायबरेली, दिनांक- नवम्बर, 18 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ ।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/144793/2021

विषय- **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में ।**

संन्दर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/पू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक-16.06.2022, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-3609/11-सी-FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक-17.06.2022, यूपीडा, लखनऊ का पत्रांक-4078/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक-26.08.2022 एवं पत्रांक-5206/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक-06.10.2022 ।

महोदया,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद-रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 47258 वृक्षों के पातन अनुमति के सम्बन्ध में उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के सापेक्ष यूपीडा, लखनऊ द्वारा सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	अधिरोपित शर्तें	अधिरोपित शर्तों के सापेक्ष अनुपालन आख्या
1	Legal status of the Forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in District Amroha, Hardoi, Unnao, Raebareli and 62.00 ha. Degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a	रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित कुल 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि के समतुल्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यूपीडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी 27.2310 हे0 गैर वन भूमि (भूमि गाटा संख्या-11मि0, 12मि0, 51मि0, 52, 61मि0, 142, 144, 145मि0, 147मि0, 622मि0, 624मि0, 630मि0, 633मि0, 643मि0, 644 व 645 ग्राम-हरीपुर एह0, तहसील-

	mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	लालगंज, जिला-रायबरेली) में क्षेत्रीय प्रजातियों के मिश्रित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु वांछित रू0 **84,04,342.00** की धनराशि ई-चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा कर दी गयी है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-29 के अधीन संरक्षित वन अधिसूचित कराये जाने हेतु प्रस्ताव के प्रेषण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त गैर वन भूमि संरक्षित वन (**Protected Forest**) घोषित हो जाने के उपरान्त गजट नोटिफिकेशन पृथक रूप से प्रेषित किया जायेगा।
5	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित कुल 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि के समतुल्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यूपीडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी 27.2310 हे0 गैर वन भूमि (भूमि गाटा संख्या-11मि0, 12मि0, 51मि0, 52, 61मि0, 142, 144, 145मि0, 147मि0, 622मि0, 624मि0, 630मि0, 633मि0, 643मि0, 644 व 645 ग्राम-हरीपुर एह0, तहसील-लालगंज, जिला-रायबरेली) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण (सिंचाई हेतु बोरिंग एवं सुरक्षा तार-बाड़ में) हेतु वांछित रू0 **84,04,342.00** की धनराशि ई-चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा कर दी गयी है।
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 Shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) द्वारा रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 29.7266 हे0 वन भूमि का भारत सरकार के पत्र दिनांक-06.01.2022 में एन0पी0वी0 (नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) की उल्लिखित संशोधित दरों के अनुसार रु0 **2,84,71,543.00** की धनराशि ई-चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा कर दी गयी है।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

8	User agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
10	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
13	User Agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) द्वारा Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक-13.07.2022 के द्वारा प्राप्त किया गया है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
17	Suficient firewood, preferably the altenate fuel, shall be provided by the User Agency of the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corportion or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	यूपीडा द्वारा रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि का बाउण्ड्री पिलर द्वारा डिमार्केशन हेतु वांछित धनराशि रु0 12,85,500.00 ई-चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा कर दी गयी है।
19	No additional or new path will be	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल

	constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
20	The priod of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the projest proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
22	The forest land proposed to be deverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
23	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
24	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realized from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं।
27	The DFO shall certify that 1.68 ha. Of non Forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to the Forest land.	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं।
28	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/water bodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watershels shall remain udisturced throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by the concerned	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है। यूपीडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी रायबरेली जनपद में प्रस्तावित क्रास ड्रेनेज वर्कस की सूची संलग्न कर प्रेषित है।

29	The non forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं।
30	Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MOEF&CC Guideline F.No.- 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
31	Any other condition that the Ministry of Environment and Climate Change may stipulate from time to time in the intrest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
32	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposit to CAMPA fund only thorough e-portal (http://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से निर्गत चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा करा दिया गया है। प्रभागवार विवरण संलग्न है।
33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रयोक्ता अभिकरण (उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ) सहमत है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ द्वारा उपरोक्त वांछित शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट आख्या/वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर 04 प्रतियों में प्रेषित है। अतः **वन (संरक्षण) अधिनियम-1980** के तहत विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार (04 प्रतियों में) ।

भवदीय,

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

यूपाडा सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
■0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013560, इमेल.upelda2@gmail.com

पत्रांक 4078/1832/यूपीडा/22(वन) दिनांक 26 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रायबरेली वन प्रभाग,
रायबरेली।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 81.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सराकर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609/11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मे वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित हैः–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi,	1.680 (NFL)	Amroha

(हस्ताक्षर एवं सील)
जिला अधिकारी/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	District Amroha.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27,28,29,30,3	61.5 (NFL) (30 है0 ऊसर भूमि एवं 31.5 है0 सामान्य भूमि)	Unnao

		7,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एफ)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या– 3826/1832/यूपीडा/21(तो) दिनांक 11.08	

		शासनादेश के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एंव वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–1)**।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. अमरोहा | 1.680 (NFL) | 10,23,000.00 2. हरदोई | 4.0552 (NFL) | 31,83,390.00 3. उन्नाव | 51.50 (NFL) | 2,61,18,500.00 4. चित्रकूट | 52.00 (DFL) | 3,72,04,800.00 5. रायबरेली | 27.231 (NFL) | 64,04,342.00 योग | 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. झांसी | 2.0342 | 24,99,198.00 2. अमरोहा | 1.6800 | 16,09,070.00 3. सम्भल | 4.0520 | 38,80,925.00 4. बदायूं | 4.9257 | 47,17,737.00 5. शाहजहाँपुर | 3.9070 | 37,42,048.00 6. हरदोई | 6.2873 | 60,21,851.00 7. उन्नाव | 67.7639 | 6,49,22,064.00 8. रायबरेली | 29.7200 | 2,84,71,543.00 9. प्रतापगढ़ | 1.0749 | 10,29,518.00 योग | 121.4716 | 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA,

	concerned DFO shall be provided.	एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 39,40,325.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.980 (NFL)	3,80,000.00
2.	हरदोई	4.0562 (NFL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	91.50 (NFL)	21,66,500.00
4.	रायबरेली	27.231 (NFL)	12,85,500.00
		योग	39,40,325.00

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं

(प्रभाष [illegible])
डेपुटी कन्जरवेटर/आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए रायबरेली जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची प्रमाण पत्र सहित संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1632/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–3)**।
30.	Violation of any of these conditions will	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा

(अजय कुमार राव)
जिला मजिस्ट्रेट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा लखनऊ

	as per the Modified CCC Guidelines F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	18,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,61,16,500.00	6,48,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,68,60,952.00	39,40,325.00	19,67,86,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–1

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र देता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)
प्रभारीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–2

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–2 के अनुसार सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–3

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–3 के अनुसार गैर वन भूमि (NFL) एवं अवनत वन भूमि (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा तथा क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा कराया जायेगा।

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

यूपीडा सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013580, ईमेल upelda2@gmail.com

पत्रांक 3547 / 1832 / यूपीडा / 22(वन) दिनांक 02., अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

महत्वपूर्ण / आवश्यक

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रही वन भूमि पर खड़े वृक्षों का पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–8यी / यू0पी0 / 06 / 295 / एफ0सी0 / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदया,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी शर्त संख्या–5, 6 व 18 के क्रम में सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 की मांग के अनुसार क्रमशः क्षतिपूरक वृक्षारोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सीमाबंदी / सीमा पत्थर निर्माण एवं लगवाई आदि के लिए वांछित धनराशि परिवेश पोर्टल से स्वतः जेनेरेट चालान के अनुसार उ0प्र0 कैम्पा मद में कुल रू0 19,67,66,109.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, जिसका यू0टी0आर0 संख्या–MAHBR520220728125324 98 है, उक्त जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल पर भी परिलक्षित हो रही है, उक्त दोनों की छायाप्रति संलग्न की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित ग्रामों / जनपदों में वन विभाग को दी जाने वाली गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कराकर खतौनियां भी प्राप्त कर ली गयी हैं, परन्तु उनको परिवेश पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण अपलोड करने में असुविधा हो रही है। भारत सरकार की अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए यथा पटरी वृक्षारोपण कार्ययोजना, डाल्फिन प्रबन्धन योजना एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जा रही है।

स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मदों में प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार उपरोक्त धनराशि को कैम्पा मद में जमा कर दिये जाने के उपरान्त गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रही वन भूमि पर खड़े वृक्षों का पातन कराने हेतु लाटों को उ0प्र0 वन निगम को तत्काल प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।

4. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन मेरठ, रूहेलखण्ड जोन बरेली, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं दक्षिणी क्षेत्र प्रयागराज।
5. वन संरक्षक मेरठ, मुरादाबाद, बरेली एवं प्रयागराज।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदांयू, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज वन प्रभाग को वृक्षों की लाटों को सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम को उपलब्ध कराने हेतु। उ0प्र0 कैम्पा में कुल रू0 19,67,66,109.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, जिसका यू0टी0आर0 संख्या–MAHBR52022072812532498 है, उक्त जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल पर भी परिलक्षित हो रही है, जिसकी छायाप्रतियां संलग्न है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

AGENCY COPY

Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2022

Agency Name.	UPEIDA (GANGA EXPRESSWAY)
Application No.	61144793576
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/295/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Uttar Pradesh-226010Lucknow
Amount(in Rs)	196766109/-

Amount in Words :Nineteen Crore Sixty-Seven Lakh Sixty-Six Thousand One Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061144793576 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2022

Agency Name.	UPEIDA (GANGA EXPRESSWAY)
Application No.	61144793576
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/295/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Uttar Pradesh-226010 Lucknow
Amount(in Rs)	196766109/-

Amount in Words :Nineteen Crore Sixty-Seven Lakh Sixty-Six Thousand One Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061144793576 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

UTR- MAHBR52022072812532498

4.

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/144793/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/144793/2021) Construction of 6 Lane 'Ganga Expressway' (Expandable upto 8 Lane), an access controlled Green field Expressway in District Meerut, Hapur, Bulandshahr, Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raibareli, Partapgarh & Prayagraj. (CH 7+900-CH 601+847 Km) total length 593.947 Kms.	ROAD144793202157	1144793576	16 Jun 2022	CA: 7591818/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 1868/3952/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1967681/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Boundary Pillars/Demarcation 3940322/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer : 22 Jul 2022 Dys Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 25 Jul 2022 Transaction Date : 28 Jul 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2107202213254690710_FP/UP/ROAD/144793/2021_User_Fund) Generated Challan (../UserAccount/NeFt_Challan.aspx?pid=ROAD144793202157S)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/)

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/) MyGOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact I/C CIO, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–4

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित व हस्तांतरित कर दिया गया है एवं यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 के द्वारा समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1004/77–3–2022–32(एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त को प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं वन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जानी है।

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–5

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–6

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के आदेश के क्रम में संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–7

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.8.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
बाबतपुर

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–8

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./08/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभारीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय
लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–9

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–9 के अनुसार जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभारीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
सचिवालय

Government of Uttar Pradesh
Office of the District collector
District Raebareli (U.P.)

Ref. No. 1029/14-10-4 Date:- 09-09-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) rules, 2003[as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules; and Forest (conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **29.7266 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA), Lucknow for construction of "Ganga Expressway Project" (purpose for diversion of forest land) in the district falls within jurisdiction of 10 villages in 4 tehsil(s) having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. The details of the forest land(s) proposed to be diverted are as follows:-

Sl. No.	District	Tehsil	Village Name	Reserve Forest (ha.)	Protected Forest (ha.)	Notification No. and Date
1.	रायबरेली	सलोन	कमालापुर	2.341	-	4979/14 Dt.-27.09.1955
		ऊँचाहार	टापन	-	0.072	3208/14 Dt.-23.08.1955
			रोहिया गोकलपुर	-	2.5416	3208/14 Dt.-23.08.1955
			मरहामऊ	5.8844	-	4979/14 Dt.-24.09.1955
			खेवड़ा	-	0.1867	104(2)/14-2-503-77 Dt.-09.05.1977
			जगतपुर	-	0.2016	104(2)/14-2-503-77 Dt.-09.05.1977
		डलमऊ	मलपुरा	-	0.4583	3559/14-2-503-77 Dt.-22.06.1978
		सतगंज	उम्भाद	7.4387	-	4979/14 Dt.-24.09.1955
			मधनपुर	7.8879	-	4979/14 Dt.-24.09.1955
			रामगपुर दुबाई	-	2.7144	23.2.93, 24.06.93
Total				23.552	6.1746	
Grand total				29.7266 hectares		

It is further certified that the proposed area does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture communities. The 'Forest land' proposed to be diverted are plantations raised on non-forest land on or after 13th December, 1930 and were notified by above mentioned notifications.

Therefore, these forest land neither have residing Scheduled Tribes nor have other Traditional Forest Dwellers (Residing in the Forest Land for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

(Suresh Chandra Pandey)
Divisional Director,
Environment, Forest And C.C. Division,
Raebareli

(Vaibhav Srivastava)
District Magistrate
District Raebareli

184 | letter for general

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–10

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–10 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–11

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–11 के अनुसार पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभारीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
गाजियाबाद

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–12

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
सतना

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–13

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–14

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–14 के अनुसार Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–15

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–16

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
गोरखपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–18

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–19

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
शाखा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–20

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
राजधानी

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–21

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
गोरखपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–22

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–23

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी / यू.पी. / 08 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट / अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
शाहनेती

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–24

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रवत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी / यू.पी. / 08 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 183 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114 / 1832 / यूपीडा / 22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट / अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–25

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 18.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो प्रटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526 / 1832 / यूपीडा / 22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट / अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
गोरखपुर

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./08/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–28 के अनुसार मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए समस्त जनपदों में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का विस्तृत प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

To ensure unhindered flow of natural water across Expressway

Sr. No.	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
1	Raibareli	Lalganj	Ramwapur Dubai	468+215	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
2	Raibareli	Lalganj	Ramwapur Dubai	468+400	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
3	Raibareli	Lalganj	Semri	469+212	Canal+Road,Chak Gajraj to Ramwapur Dubai	Minor Bridge with-Underpass
4	Raibareli	Lalganj	Chak Gajraj	469+720	Local Drain	3x3 Box Culvert
5	Raibareli	Lalganj	Baswan Khera	470+210	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
6	Raibareli	Lalganj	Baswan Khera	470+413	Canal+Road,Chakpher Saha to Baswan Khera	Minor Bridge with-Underpass
7	Raibareli	Lalganj	Lakshipur	471+288	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
8	Raibareli	Lalganj	Shyampur	472+735	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
9	Raibareli	Lalganj	Haripur Nihastha	473+524	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
10	Raibareli	Lalganj	Haripur Nihastha	473+930	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
11	Raibareli	Lalganj	Nihastha	474+480	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
12	Raibareli	Lalganj	Nihastha	474+857	Canal+Road,Langda Kheda Village to	Minor Bridge with-Underpass
13	Raibareli	Lalganj	Nihastha	475+345	Local Drain	3x2.5 Box Culvert
14	Raibareli	Lalganj	Nihastha	476+240	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
15	Raibareli	Lalganj	Fatte Sarai	477+028	Stream/ Nallah,Stream of Loni River	Minor Bridge (Span<60 m)
16	Raibareli	Lalganj	Satanpur	477+921	1x2x2 Drain Culvert has been replaced with MNB-Underpass	Minor Bridge with Underpass
17	Raibareli	Lalganj	Ronipur	478+758	Local Drain	3x3 Box Culvert
18	Raibareli	Lalganj	Ronipur	479+306	Local Drain	3x2 Box Culvert
19	Raibareli	Lalganj	Uga Bhad	480+400	Canal,Mubarakpur Minor	Minor Bridge (Span<60 m)
20	Raibareli	Lalganj	Uga Bhad	480+901	WSA_Approach,	HPC_WSA
21	Raibareli	Lalganj	Uga Bhad	480+902	WSA_Approach,	HPC_WSA
22	Raibareli	Lalganj	Uga Bhad	481+700	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
23	Raibareli	Lalganj	Chanda	482+000	Local Drain	3x2 Box Culvert
24	Raibareli	Lalganj	Chanda	482+305	Canal,Alampur Minor	Minor Bridge with-Underpass
25	Raibareli	Lalganj	Chanda	482+923	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
26	Raibareli	Lalganj	Yusufpur	484+000	Local Drain	3x3 Box Culvert
27	Raibareli	Lalganj	Yusufpur	484+400	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
28	Raibareli	Lalganj	Yusufpur	484+839	Canal +Road,Dakauli to Pilkha	Minor Bridge with-Underpass
29	Raibareli	Lalganj	Yusufpur	485+365	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
30	Raibareli	Dalmau	Aihar	485+750	Canal+Road,Dakauli to Ranmau	Minor Bridge with-Underpass
31	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+287	Loop,	3x3 BC_Loop
32	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+288	Loop,	3x3 BC_Loop
33	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+289	Loop,	Hume Pipe Culvert

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(आलम कुमार राव)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

No	District				Descriptions Description	Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
34	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+290	Loop,	Hume Pipe Culvert
35	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+291	Loop,	Hume Pipe Culvert
36	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+292	Loop,	Hume Pipe Culvert
37	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+293	Loop,	Hume Pipe Culvert
38	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+294	Loop,	Hume Pipe Culvert
39	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+295	Loop,	Hume Pipe Culvert
40	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+296	Local Drain	Hume Pipe Culvert
41	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+297	Local Drain	Hume Pipe Culvert
42	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+298	Local Drain	Hume Pipe Culvert
43	Raibareli	Dalmau	Aihar	487+299	Local Drain	Hume Pipe Culvert
44	Raibareli	Dalmau	Sultanpur Jala	487+679	Canal+Road,Aihar to Pilkha	Minor Bridge with-Underpass
45	Raibareli	Dalmau	Sultanpur Jala	487+680	Loop,On Left side Ramp of Double Trumpet	Minor Bridge with_Loop
46	Raibareli	Dalmau	Sultanpur Jala	487+953	Loop,On loop of Double Trumpet	Minor Bridge with_Loop
47	Raibareli	Dalmau	Sultanpur Jala	488+380	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
48	Raibareli	Dalmau	Sultanpur Jala	488+567	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
49	Raibareli	Dalmau	Deo Gaon	489+464	Canal,Aihar Minor	Minor Bridge (Span<60 m)
50	Raibareli	Dalmau	Rampur Majare Ehar	489+780	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
51	Raibareli	Dalmau	Deo Gaon	490+220	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
52	Raibareli	Dalmau	Deo Gaon	490+700	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
53	Raibareli	Dalmau	Lodipur Utranwan	491+051	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
54	Raibareli	Dalmau	Jagatpur Kotaha	491+920	Local Drain	3x3 Box Culvert
55	Raibareli	Dalmau	Jagatpur Kotaha	492+160	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
56	Raibareli	Dalmau	Jagatpur Kotaha	492+466	Canal,Drain	Minor Bridge (Span<60 m)
57	Raibareli	Dalmau	Adilabad	493+247	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
58	Raibareli	Dalmau	Adilabad	494+015	Canal,Katauli Minor	Minor Bridge (Span<60 m)
59	Raibareli	Dalmau	Terukha	494+760	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
60	Raibareli	Dalmau	Terukha	495+532	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
61	Raibareli	Dalmau	Terukha	496+350	Canal+Road,Higa mau to terukha	Minor Bridge with-Underpass
62	Raibareli	Dalmau	Terukha	496+550	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
63	Raibareli	Dalmau	Terukha, Uttar Pradesh 229125	497+189	Canal+Road,Higa mau to Kathgar	Minor Bridge with-Underpass
64	Raibareli	Dalmau	Kathgar	497+756	Canal,Rajapur	Minor Bridge (Span<60 m)
65	Raibareli	Dalmau	Rasoolpur Gaharwari	498+308	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
66	Raibareli	Dalmau	Kathgar	499+520	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	District	Tehseel	Village	Chainage	Descriptions Description	Spans x Span in m)
	2	3	4	5	6	7
	Raibareli	Dalmau	Kathgar	499+653	Canal+Road,Rasulpur Gaharwali to Kuwar Mau pakari	Minor Bridge with Underpass
68	Raibareli	Dalmau	Kathgar	500+240	Local Drain	3x3 Box Culvert
69	Raibareli	Dalmau	Kuwar Mau Pakari	501+255	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
70	Raibareli	Dalmau	Kuwar Mau Pakari	501+762	Local Drain	5x3 Box Culvert
71	Raibareli	Dalmau	Malpura	502+561	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
72	Raibareli	Dalmau	Ubarini	503+200	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
73	Raibareli	Dalmau	Ubarini	503+860	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
74	Raibareli	Dalmau	Ubarini	504+146	Local Drain	5x3 Box Culvert
75	Raibareli	Dalmau	Ubarini	504+217	Canal,Bhela Minor	Minor Bridge (Span<60 m)
76	Raibareli	Dalmau	Ubarini	504+680	Local Drain	3x3 Box Culvert
77	Raibareli	Dalmau	Thulrai	505+560	Local Drain	3x2 Box Culvert
78	Raibareli	Dalmau	Melthuwa	505+840	Canal,Sandalai Tal Canal	Minor Bridge (Span<60 m)
79	Raibareli	Dalmau	Ismail Chak	506+018	Local Drain	5x3 Box Culvert
80	Raibareli	Dalmau	Ismail Chak	506+690	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
81	Raibareli	Dalmau	Chooli	507+700	Local Drain	3x3 Box Culvert
82	Raibareli	Dalmau	Sultanpur Janauli	508+750	Canal,Jhalson Tal Canal	Minor Bridge (Span<60 m)
83	Raibareli	Dalmau	Sultanpur Janauli	509+850	Local Drain	3x3 Box Culvert
84	Raibareli	Dalmau	Alawalpur	511+279	Local Drain	3x3 Box Culvert
85	Raibareli	Dalmau	Alawalpur	511+600	Canal,Baretha Minor	Minor Bridge (Span<60 m)
86	Raibareli	Unchahar	Mamemau	512+280	ODR,Serandaripur to Tikatha Masallepur	Minor Bridge with Underpass
87	Raibareli	Unchahar	Jalalpur Behl	512+640	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
88	Raibareli	Unchahar	Chichauli	513+300	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
89	Raibareli	Unchahar	Chichauli	513+633	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
90	Raibareli	Unchahar	Chichauli	514+472	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
91	Raibareli	Unchahar	Chichauli	514+845	Local Drain	3x2 Box Culvert
92	Raibareli	Unchahar	Chichauli	515+280	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
93	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	516+786	Local Drain	3x2 Box Culvert
94	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+020	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
95	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+437	Loop,Double Trumpet	3x2 BC_Loop
96	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+438	Loop,Double Trumpet	3x3 BC_Loop
97	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+439	Loop,Double Trumpet	2x2 BC_Loop
98	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+440	Loop,	Hume Pipe Culvert
99	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+441	Loop,	Hume Pipe Culvert
100	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+442	Loop,	Hume Pipe Culvert
101	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+443	Loop,	Hume Pipe Culvert
102	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+444	Loop,	Hume Pipe Culvert
103	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+445	Loop,	Hume Pipe Culvert
104	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+446	Loop,	Hume Pipe Culvert
105	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+447	Loop,	Hume Pipe Culvert
106	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+448	Loop,	Hume Pipe Culvert
107	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+449	Loop,	Hume Pipe Culvert
108	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+450	Loop,	Hume Pipe Culvert
109	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+451	Local Drain	Hume Pipe Culvert

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water body Descriptions Description	Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	Raibareli	Unchahar	Jagatpur	517+452	Local Drain	Huma Pipe Culvert
111	Raibareli	Unchahar	Taghan	518+354	Canal+Road,Gorbardhan pur to taghan	Minor Bridge with-Underpass
112	Raibareli	Unchahar	Govardhanpu r	518+675	Canal,Purwa Branch	Minor Bridge (Span<60 m)
113	Raibareli	Unchahar	Govardhanpu r	518+920	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
114	Raibareli	Unchahar	Ramgarh Tikaria	519+480	Local Drain	3x2 Box Culvert
115	Raibareli	Unchahar	Ramgarh Tikaria	519+668	Canal+Road,Gorbardhan pur to Ramgarh tikaria	Minor Bridge with-Underpass
116	Raibareli	Unchahar	Rojhala Bhikham Shah	520+377	Local Drain	3x2 Box Culvert
117	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	520+906	Local Drain	5x3 Box Culvert
118	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	522+200	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
119	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	522+636	VUP Side,	3x2 BC_VUPSide
120	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	522+779	Local Drain	3x2 Box Culvert
121	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	523+185	Local Drain	3x2 Box Culvert
122	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	523+864	Local Drain	3x3 Box Culvert
123	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	524+108	Canal + Road,Itaura Buzurg to Ram Ganj	Minor Bridge with-Underpass
124	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	524+900	Local Drain	3x3 Box Culvert
125	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	525+105	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
126	Raibareli	Unchahar	Salarpur	525+583	Local Drain	3x2 Box Culvert
127	Raibareli	Unchahar	Salarpur	526+040	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
128	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	526+540	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
129	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	526+863	Canal+Road,Salarpur to Aihari Buzurg	Minor Bridge with-Underpass
130	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	527+288	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
131	Raibareli	Unchahar	Itaura Buzurg	527+682	Canal,Mishrapur Minor	Minor Bridge with-Underpass
132	Raibareli	Unchahar	Mirazapur Aihari	527+941	Local Drain	6x3 Box Culvert
133	Raibareli	Unchahar	Mirazapur Aihari	528+000	Local Drain	3x3 Box Culvert
134	Raibareli	Unchahar	Mirazapur Aihari	528+300	Local Drain	3x2 Box Culvert
135	Raibareli	Unchahar	Delauli	529+450	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
136	Raibareli	Unchahar	Delauli	530+123	Canal+Road,ALLAHABAD BRANCH	Major Bridge with-Underpass
137	Raibareli	Unchahar	Sumer Baig	530+620	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
138	Raibareli	Unchahar	Umaran	531+280	Canal+Road,Sumer Baig to Raipur	Minor Bridge with-Underpass
139	Raibareli	Unchahar	Umaran	531+580	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
140	Raibareli	Unchahar	Umaran	532+450	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
141	Raibareli	Unchahar	Umaran	532+780	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
142	Raibareli	Unchahar	Umaran	533+037	Canal,Sattupur to Masaudabad	Minor Bridge (Span<60 m)
143	Raibareli	Unchahar	Umaran	533+400	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
144	Raibareli	Unchahar	Kamalpur	533+815	Local Drain	5x3 Box Culvert
145	Raibareli	Unchahar	Kamalpur	534+159	Local Drain	4x3 Box Culvert
146	Raibareli	Unchahar	Samaspur Pataun	535+770	Canal+Road,	Minor Bridge with Underpass
147	Raibareli	Unchahar	Samaspur Pataun	536+325	Canal,	Minor Bridge (Span<60 m)
148	Raibareli	Unchahar	Lakshman Ganj	536+665	Local Drain	4x3 Box Culvert
149	Raibareli	Unchahar	Bachhalyapur	536+881	VUP Side.	4x2 BC_VUPSide
150	Raibareli	Unchahar	Marha Mau	537+352	Local Drain	3x2 Box Culvert
151	Raibareli	Unchahar	Marha Mau	537+835	Local Drain	5x3 Box Culvert
152	Raibareli	Unchahar	Marha Mau	538+080	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
153	Raibareli	Unchahar	Marha Mau	538+310	Canal,Pratapgarh Branch	Minor Bridge (Span<60 m)
154	Raibareli	Unchahar	Marha Mau	538+742	Canal+Road,Rasoolpur to Usarana	Minor Bridge with Underpass
155	Raibareli	Unchahar	Rasoolpur	539+200	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
156	Raibareli	Unchahar	Rasoolpur	540+815	Local Drain	6x3 Box Culvert
157	Raibareli	Salon	Mirjahanpur	541+110	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
158	Raibareli	Salon	Mirjahanpur	541+646	WSA_Approach,	HPC_WSA
159	Raibareli	Salon	Mirjahanpur	541+647	WSA_Approach,	HPC_WSA
160	Raibareli	Salon	Mirjahanpur	541+860	Local Drain	3x3 Box Culvert
161	Raibareli	Salon	Mirjahanpur	542+494	Local Drain	3x3 Box Culvert
162	Raibareli	Salon	Kamalapur	542+543	Canal+Road,Kamalapur to Autahiya	Minor Bridge with Underpass
163	Raibareli	Salon	Kamalapur	543+732	Local Drain	4x3 Box Culvert
164	Raibareli	Salon	Domapur	544+100	Local Drain	3x2 Box Culvert
165	Raibareli	Salon	Domapur	544+258	Local Drain	4x3 Box Culvert
166	Raibareli	Salon	Domapur	544+563	Local Drain	6x3 Box Culvert
	Note:-	Balancing Culvert is provided in fields where no defined drainage/channel exists. To ensure waterlogging doesn't occur along the road.				

Certified that adequate number of Cross Drainage Structures have been provisioned to ensure that the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road.

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

([illegible])
मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
यूपीडा

[illegible]
मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
यूपीडा

(अजय कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–30

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वीं / यू.पी. / 08 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–30 के अनुसार Forest (Conservation) Act, 1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट / अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
राजधानी

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–31

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वीं / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.8.2022 की शर्त संख्या–31 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी उसका अनुपालन करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

क्षेत्रीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–32

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–32 के अनुसार संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त समस्त धनराशि रू0 19,67,66,109.00 को परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	काउन्टी पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,196.00	00	24,99,196.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,81,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,81,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,800.00	00	00	3,72,04,800.00
योग		7,59,31,832.00	11,66,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–33

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे प्रियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–33 के अनुसार सम्बन्धित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(प्रति हस्ताक्षरित)

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
राज्य टेम्पो

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः— उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपाडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेस परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन, अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Ad.S.O. S/ CCF/Nodal S.O. 01/02/23

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक–16.06.2022 एवं आपका पत्रांक–3809/11–सी- FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक–17.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तवार अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव ने अपने पत्रांक–2029/14–1 दिनांक–27.01.2023 के द्वारा उन्नाव वन प्रभाग की अनुपालन आख्या/अभिलेख तथा उसके साथ रायबरेली एवं हरदोई वन प्रभाग की अनुपालन आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। जिसे तीन प्रतिया में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक— / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव, रायबरेली एवं हरदोई को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)

On Line Proposal No-FP/UP/Road/144793/2021

विषयः– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण मे जनपद अमरोहा मे प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभू
ातन, प्रतापगढ मे प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षो के पातन, रायबरेली मे प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि र
न्नाव मे प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षो के पातन, बदायूँ मे प्रभावित 4.9267 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक
ाहजहाँपुर मे प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षो के पातन, संम्भल मे प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एंव बाधक 4023 वृक्षो के पातन एंव हरदोई मे
नभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 138 वृक्षो के पातन अर्थात परियोजना मे प्रभावित 90.8492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 1
रिवानिकी प्रयोग एंव बाधक 167169 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।

न्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के कार्यालय की पत्र संo–सी/यू0पी0/06/295 /2021/1
ांकः–16–06–2022 द्वारा लायी गयी आपत्ति के क्रम मे निम्नवार आख्याः–

S. No.	Conditions (शर्तें)			Reply (आख्या)
1	2			3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.			शर्त संख्या–01 के आलोक मे कार्यदायी संस्था का पत्रांक 5206/1
06–10–2022 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है (संलग्नक–1)।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.			जनपद हरदोई के अर्न्तगत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से
0551 हे0 के बदले ग्राम बेहन्दरखुर्द तहसील सण्डीला जनपद हरदो
वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। उक्त भूमि वन वि
खतौनी मे अंकित है।
3	Compendatrory afforestation shall be taken up by the Forest Dosprtment in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in District Amroha, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The detail of area for CA is as follow :-			
	Sl. No.	Detail of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division	
	1	Land of Revenue Department of compartment/Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil Hasanpur, Distric- Amroha	1.68	Amroha	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
	2	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi	4.0552 (NFL)	Hardoi	जनपद हरदोई के अर्न्तगत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लि
भूमि 4.0551 हे0 के बदले ग्राम बेहन्दरखुर्द तहसील सण्डीला जनपद
वन भूमि मे क्षतिपूरक वनीकरण एंव 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनरा
(रु0–इकतिस लाख तिरासी हजार तीन सौ नब्बे मात्र) कैम्पा फण्ड मे

3	3	Khasara no. 849, 2075d mi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no.235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Distt-Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252 Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973, in purthyawa Village, Tehsil Hasanganj Distt-Unnao. Khasra No. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rusu Village, Tehsil- Unnao, District- Unnao. Khasra No. 4,5,6,7,8,9,10,11, 12,26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37,38,39,40 Mi, 41, 42 in katari Majhra Bhikhna Tehsil-Unnao, District- Unnao. Khasra No. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 K, 539 Kha, 540, 541, 542, 543Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehseel Shafipur Distt- Unnao, Khasra No. 395K 398, 393 Kha in Makhdumpur Village, Tehseel Hasanganj, Distt-Unnao	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एंव 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
4		Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62 (DFL)	Chitrakoot	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।

		Gata No. 11, 12, 51, 52, 61, 142, 144, 145, 147, 622, 624, 630, 633, 643, 644, & 645 mi Village Haripur, Tehsil- Lalganj, District- Raibareily	27.2310 (NFL)	Raibarelly	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.				जनपद हरदोई के अर्न्तगत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि 4.0551 हे0 के बदले प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम बेहन्दरखुर्द त मे उपलब्ध 4.0552 हे0 गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 19 विज्ञप्ति घोषित कराये जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय पत्रांक–703/ प्रेषित किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ पत्रांक–312/11–वी–6 (धारा–29) दिनांक–21–11–2022 के क्रम मे पत्रांक–2362/14–1, दिनांक–13–12–2022 द्वारा पुनः धारा–29 के विज्ञप्ति घोषित कराये जाने हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.				जनपद हरदोई के अर्न्तगत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि 4.0551 हे0 के बदले ग्राम बेहन्दरखुर्द तहसील सण्डीला जनपद वन भूमि मे क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु की (रु0–इकतिस लाख तिरासी हजार तीन सौ नब्बे मात्र) कैम्पा फण्ड मे याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी वचनबद्धता की प्रति संलग्न है (र
6	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of the Honable Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/ 1998- (Pt.II) Dt. 18-/09/2003, As well as letter No. 5-2/2006-FC Dt. 03/10/2006 and 5-3/2007- FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.				प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद हरदोई के अर्न्तगत प्रभावित आरक्षित- हे0 कुल 0.2873 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (प्रति हे0 की दर रु0–60,21,851.0 (रु0–साठ लाख इक्कीस हजार आठ सौ इक्कावन से कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत संलग्न है (संलग्न–3)।
7	Additional amount of the NPV of the deiverted forest land, if nay becoming due after finalization of the sasme by the Honable Supreme Court of India o recipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the Satate Government from the User Agency. The User Agency shall an undertaking to this effect.				प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य मे प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान धनराशि के भुगतान किये जाने की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है (संल
8	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees /minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.				प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना मे बाधक पेड़ो का कम से कम नियंत्रण मे उ0प्र0 वन निगम से कराये जाने की वचनबद्धता प्रस्तुत की
9	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificarte from the concemed Distirct Collector.				Complete compliance of the FRA. 2006 का प्रमाण पत्र प्रेषि

	... as provided	हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघ संलग्न है (संलग्नक–6)।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत निर्देशों के क्रम में फटरियों एवं मीडियन पर आइ आर सी गाइड ए नं0–27/2015 से आच्छादित बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान 16–11–2015 के अनुसार वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता दी
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्ग निर्देशों के क्रम में वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अन्तरा संकेतक लगाये जाने की वचनबद्धता दी गयी है (संलग्नक–6)।
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/ NBWL/ FAC/ REC	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/ NBWL/ FAC/ REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षे अन्डर/ओवरपास का निर्माण कराये जाने की वचनबद्धता दी गयी है
14	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगा एक्सप्रेस- संख्या–14 के आलोक में Enviromental clearance EC22A034UP189577 Dt. 13-07-2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के से–आउट प्लान में व वचनबद्धता दी गयी है (संलग्नक–11)।
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या– किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित न किये जाने की वचनबद्धता दी
17	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या– विभाग/वन निगम विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन कराये जाने की वचनबद्धता दी गयी है (संलग्नक–13)।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे सीमांकन एवं 25 हेतु वांछित धनराशि रु0–1,08,325.0 (रु0–एक लाख आठ हजार तीन ई–बालान के माध्यम से जमा किये जाने की वचनबद्धता दी गयी है (सं
19	No Additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of counstruction materials for execution of the project work	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–1 के कार्यों के लिये निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत मार्ग नही बनाये जाने की वचनबद्धता दी गयी है (संलग्नक–15)।

20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्य के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज अवधि जो भी कम हो तक होगी, इस सम्बन्ध मे बचनबद्धता दी गयी
21	The forest land shall not be used for any other purpose other than that specified in the project proposal	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्य के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना मे इंगित व लिये नही किया जायेगा, इस सम्बन्ध मे बचनबद्धता दी गयी है (संल
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्य के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भू अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेग गयी है (संलग्नक–18)।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Aren Treatment area and to be diverted, the WLMP area shall be uploaded on the-e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	जनपद हरदोई के अन्तर्गत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के 0561 हे0 के बदले ग्राम बेहन्दरखुर्द तहसील सण्डीला जनपद हरद वन भूमि क्षेत्रफल 4.0552 हे0 भूमि मे क्षतिपूरक वनीकरण स्थल को कर दिया गया है (संलग्नक–19, 20)।
24	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगा एक्सप्रेस– के आलोक मे परियोजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 वन विभाग के द्वारा संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव उ0 प्र0) को यूपीडा के पत्रांक 2114 16–06–2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने (संलग्नक–21)।
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त सं कराया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियो पर वृक्षारो द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध मे यूपीडा के पत्रांक 2526/ 01–07–2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रि
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
27	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।

	...agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/ waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–28 के आलोक में अवगत ... अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग, जिस पर hydr... रहा है। यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर... प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध न हो तथा माईक्रोवाटर शेडस में जल का... अनुमोदन चाहा गया था। जो संलग्नक–1 के साथ संलग्नक अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। (संलग्नक–23)
29	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधि... किया गया है (संलग्नक–24)।
31	Any other condition that the Minaistry of Enviroment. Forest & Climate may stipulate from time to time in the interest or conservation, protection and development of forest & wildlife	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त स... कराया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त... जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास के लिये समय समय पर जो... उसका अनुपालन करेगा (संलग्नक–25)।
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त स... धनराशि कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर जमा कराये जाने की व्यवस्था
33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्य... स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर कराये... (संलग्नक–27)।
	CA amount as per proposal	3183390.0
	CA amount deposited	3183390.0
	Difference in amount	0
	Reason for difference	0
	NPV amount as per proposal	6021851.0
	NPV amount deposited	6021851.0
	Difference in amount	0
	Reason for difference	0
	Any other amount deposited (Complete Details be provided)	0
	CAMPA confirmation	The user agency has been paid all amount in Campa h...

Divisional Director
Social forestry Forest & wildlife Div
Hardoi

हरदोई।

विषयः—उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 108144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः—भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या—8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या—3609/11—सी—FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:—

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue	1.680 (NFL)	Amoroha

(अरूप कुमार रॉय)
डी कलेक्टर / अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	Hardoi.		
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purlhyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF		प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औपचारिक विक्रय

(अरुण कुमार राय)
डेप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेस परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. अमरोहा | 1.680 (NFL) | 10,23,000.00 2. हरदोई | 4.0552 (NFL) | 31,83,390.00 3. उन्नाव | 61.50 (NFL) | 2,61,16,500.00 4. चित्रकूट | 82.00 (DFL) | 3,72,04,600.00 5. रायबरेली | 27.231 (NFL) | 84,04,342.00 योग | 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. हापुड़ | 2.0342 | 24,86,198.00 2. अमरोहा | 1.6800 | 16,09,070.00 3. सम्भल | 4.0520 | 38,80,925.00 4. बदायूं | 4.9257 | 47,17,737.00 5. शाहजहाँपुर | 3.9070 | 37,42,046.00 6. हरदोई | 6.2873 | 60,21,651.00 7. उन्नाव | 67.7639 | 6,48,22,064.00 8. रायबरेली | 29.7266 | 2,84,71,543.00 9. प्रतापगढ़ | 1.0749 | 10,29,518.00 योग | 121.4716 | 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया

(अरुण कुमार सिंह)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (कि0 मी)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.680 (NFL)	3,80,000.00
2.	हरदोई	4.0552 (NFL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	61.50 (NFL)	21,66,500.00
4.	रायबरेली	27.231 (NFL)	12,85,500.00
		योग	39,40,325.00

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि [illegible]

(अरूण कुमार रॉय)
उपजिलाधिकारी / अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

	and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए हरदोई जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची **प्रमाण पत्र सहित संलग्न** कर प्रभागीय वनाधिकारी, हरदोई वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1632/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित

(सरोज कुमार)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

...	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through *(https://parivesh.nic.in)*	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभानीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	15,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,360.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,560.00
7.	खम्भार	2,81,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,643.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,68,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in)*	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

...पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
बहराइच

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के आदेश के क्रम में संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

किया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–10 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–11 के अनुसार पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–14 के अनुसार Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
बरेली

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./08/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–17 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
बहराइच

डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
[illegible]

[illegible]
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

Administration & Settings | Logout

Division

, Diverted Land, CA Land Management

ds Diverted Lands CA Lands Reports

Add Detail of Land received from UA for Compensatory Afforestation to FCA Project

Select FCA Project Year : 2021

Select FCA Project Type : Road/Bridge

rch By Project Name/Area(in Ha)/Agency/Purpose : 121.472

Search FCA Projects

View Project List where CA Land details NOT registered | View Project List where CA Land Geography details NOT uploaded | View Project List where CA Land Scanned map NOT uploaded

on: Click on icon for adding details of CA Lands. Click on icon for uploding GPS details of CA Lands. Click on icon for uploading Scanned Map of CA Lands. Click e. Icon with red Cross like and indicates that the data has not been uploaded.

list

Page 1 of 1

Project	Project Type	Year	Area(in Ha.)	Agency	Add CA Land	GPS
Construction of 6-lane Ganga Expressway (Expandable to 8 lane) in Meerut, Hapur, Bulandshahr , Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjhanpur, Hardoi, Unnao, R	Road/Bridge	2021	121.472	UPEIDA		

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
बरेली

उ0प्र0 एक्सप्रसवज औद्यागिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–28 के अनुसार मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए समस्त जनपदों में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का विस्तृत प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 138 वृक्षो के पातन मे प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 मे उल्लिखित प्राविधानो का उल्लंघन नही किया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सा0 या0 वन एंव वन्यजीव प्रभाग,
हरदोई।

दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–31 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
क्षेत्रीय वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–32 के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त समस्त धनराशि रू0 19,67,66,109.00 को परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,61,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
योग		7,59,31,832.00	11,66,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–33 के अनुसार सम्बन्धित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 2941 /14–1, दिनांक, मेरठ 20 . जनवरी, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Also.
Q
for ECFINDdd विषय– FA.O. 24/01/23

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167168 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1–भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133,दिनांक 16.06.2022।
2–आपका का पत्रांक 3609/11सी/ FP/UP/ROAD/144793/2021, दिनांक 17.06.2022।
3–प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 2270/14–1, दिनांक 10.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ से प्राप्त बिन्दुवार आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFLएवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

दूरभाष-0121-2684728
E-Mail cfmeerut@gmail.com

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil Hasanpur, District Amroha.	1.680 (NFL)	Amroha
2.	Gata No. 2797 .of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075d mi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasanganj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj	61.5 (NFL) (30 है0 ऊसर भूमि एवं 31.5 है0 सामान्य भूमि)	Unnao

			Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27,28,29,30,31,32, 33,34,34,36,37,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao			

	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot	
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi ,Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily	
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.				प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3–2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 को समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एंव वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–1)।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.				प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की माग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00**का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.680 (NFL)	10,23,000.00
2.	हरदोई	4.0552 (NFL)	31,83,390.00
3.	उन्नाव	51.50 (NFL)	2,81,16,500.00
4.	चित्रकूट	62.00 (DFL)	3,72,04,600.00
5.	रायबरेली	27.231 (NFL)	84,04,342.00
		योग	7,59,31,832.00

6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00**का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | NPV की कुल धनराशि (रू0 में) 1. | हापुड़ | 2.0342 | 24,99,198.00 2. | अमरोहा | 1.6800 | 16,09,070.00 3. | सम्भल | 4.0520 | 38,80,926.00 4. | बदायूं | 4.9257 | 47,17,737.00 5. | शाहजहांपुर | 3.9070 | 37,42,046.00 6. | हरदोई | 6.2873 | 60,21,851.00 7. | उन्नाव | 67.7839 | 6,49,22,064.00 8. | रायबरेली | 29.7288 | 2,84,71,543.00 9. | प्रतापगढ | 1.0749 | 10,29,518.00 योग | 121.4716 | 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।
10.	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नही किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/RECकी संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Passका निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

दूरभाष–0121–2664728
E-Mail cfmeerut@gmail.com

15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00**का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशनकी कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.680 (NFL)	3,60,000.00
2.	हरदोई	4.0552 (NFL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	61.50 (NFL)	21,66,500.00
4.	रायबरेली	27.231 (NFL)	12,86,500.00
		कुल	39,40,325.00

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।
22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगेय डॉल्फिन के संरक्षण के प्रबन्ध योजना के सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 को सीधे यूपीडा के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी इस सम्बन्ध मे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 से पत्राचार किया जा रहा है। (संलग्नक–2)
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों पटरियों पर वृक्षारोपण करने एवं उसकी 10 वर्षों तक देख–रेख करने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 के साथ बैठक की जा चुकी है तथा धनराशि सीधे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA is Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimesसे गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए हापुड़ जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची प्रमाण पत्र सहित संलग्न कर इस कार्यालय को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या-2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक-3)**।
30.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत Forest (Conservation) Act, 1980का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई-चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउण्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	34,98,198.00	00	34,98,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,39,270.00	3,80,000.00	30,12,270.00
3.	सम्भल	00	55,80,925.00	00	55,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00

दूरभाष–0121–2664728
E-Mail cfmeerut@gmail.com

		6.	हरदोई	31,03,200.00	60,21,881.00	1,00,325.00	93,13,968.00
		7.	पीलीभीत	2,81,16,800.00	5,49,32,094.00	21,60,500.00	8,32,05,064.00
		8.	बाराबंकी	86,04,343.00	2,84,71,543.00	12,89,800.00	3,81,81,386.00
		9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
		10	बिजनौर	3,73,04,000.00	00	00	3,72,04,000.00
			योग	7,59,31,832.00	11,06,93,562.00	38,40,325.00	19,07,66,100.00
33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in)*	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।					

CA amount as per proposal	Rs. 0.00
CA amount deposited	Rs. 0.00
Difference in amount	-
Reason for diffirence	-
NPV amount as per proposal	Rs. 24,99,198.00
NPV amount deposited	Rs. 24,99,198.00
Difference in amount	-
Reason for diffirence	-
Any other amount depositer – (Complete details be)	-
CAMPA confirmation	Yes

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक ——/——, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

यूपीडा
मा०उ०, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542/2307592, फैक्स: 0522–4013500, इमेल.upeida2@gmail.com

पत्रांक 4072/1832/यूपीडा/22(वन) दिनांक 26 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 139 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.8492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167186 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3809/11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil	1.680 (NFL)	Amroha

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अलख कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/ क्षेत्रीय अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे

	Amroha.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27,28,29,30,3	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

(अरुण कुमार राय)
जिला मजिस्ट्रेट/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
मुरादाबाद

		7,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.		प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या– 3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.

		किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–1)।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. अमरोहा – 1.680 (NFL) – 10,23,000.00 2. हरदोई – 4.0552 (NFL) – 31,83,390.00 3. उन्नाव – 61.50 (NFL) – 2,61,16,500.00 4. चित्रकूट – 62.00 (DFL) – 3,72,04,600.00 5. रायबरेली – 27.231 (NFL) – 64,04,342.00 योग – 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency in this regard.**	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **वन प्रभाग का नाम – क्षेत्रफल (हे0 में) – NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. हापुड़ – 2.0342 – 24,99,198.00 2. अमरोहा – 1.6800 – 16,09,070.00 3. सम्भल – 4.0620 – 38,80,925.00 4. बदायूं – 4.9257 – 47,17,737.00 5. कासगंज/पुर – 3.9070 – 37,42,046.00 6. हरदोई – 6.2873 – 60,21,851.00 7. उन्नाव – 67.7839 – 6,49,22,064.00 8. रायबरेली – 29.7200 – 2,84,71,543.00 9. प्रतापगढ़ – 1.0749 – 10,29,518.00 योग – 121.4718 – 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पार्ट ...

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/परियोजना अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यू.पी.डा, लखनऊ

	concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकडी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 39,40,325.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	आगरौंडा	1.080 (NFL)	3,60,000.00
2.	हरदोई	4.0562 (NFL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	61.50 (NFL)	21,86,500.00
4.	रायबरेली	27.231 (NFL)	12,85,500.00
		योग	39,40,325.00

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The forest land or part of diversion under this approval shall be coterminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं

22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	प्रयोक्ता एजन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए हापुड़ जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची प्रमाण पत्र सहित संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–3)**।
30.	Violation of any of these conditions will	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	डाफुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,63,390.00	60,21,851.00	1,06,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,81,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	64,04,342.00	2,84,71,543.00	12,65,500.00	3,61,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,800.00	00	00	3,72,04,800.00
	योग	7,59,31,832.00	11,88,83,952.00	39,40,325.00	19,87,56,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
डाफुड़ वन प्रभाग, डाफुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307502, ईमेल upeida2@gmail.com

पत्रांक 3826 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक || अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में यूपीडा के द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित गैर वन भूमि को स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति के पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–04 पर निम्न शर्त अधिरोपित की गयी है:–

"The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval."

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार गैर वन भूमि उ0प्र0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी गयी है, खतौनियों की प्रतियाँ सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

वन विभाग को नामांतरित एवं हस्तांतरित किये गये गैर वन भूमि का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0मे)	कुल क्षेत्रफल (हे0मे)	औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या व दिनांक	खतौनी में नामांतरण एवं हस्तांतरण तिथि	संलग्न खतौनी
1.	उन्नाव	हसनगंज	शंकरपुर	235	5.1480	5.1480	आदेश संख्या–1004 / 77 –3–2022 –32(एम) / 2022 दिनांक 19.07. 2022 (संलग्नक–1)	22.07.2022	संलग्नक–2
2.			गोलवा	139ख	2.618	5.3010		22.07.2022	संलग्नक–3
				132	2.004				
				122	0.430				
				142घ	0.249				
3.			तालही	149	0.1200	2.3110		22.07.2022	संलग्नक–4
				151	0.4300				
				159घ	0.3010				
				241	0.7000				
				247	0.4700				
				252क	0.2900				
4.			मखदूम पुर	395क	0.5060	1.7220		22.07.2022	संलग्नक–5
				398	0.0130				
				393ख	0.7710				
				395ख	0.4320				

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
लखनऊ

5.	उन्नाव		पुरुषार्थी	1527	0.0527	5.3517		22.07.2022	संलग्नक–6
				1531ख	0.6340				
				462क	0.0060				
				344	0.0510				
				448ग	0.2590				
				487	0.2530				
				506	0.4680				
				496	0.3150				
				1973	3.3130				
						योग	19.8337		
6.			कपऊ	3880	1.1380	5.5100		21.07.2022	संलग्नक–7
				3881	1.0750				
				3935	2.1930				
				3934	0.6510				
				3917	0.4530				
7.			क0 मझरा भिखना	3	0.560	15.4200		21.07.2022	संलग्नक–8
				4	0.140				
				5	0.660				
				6	0.320				
				7	0.700				
				8	0.160				
				9	0.160				
				10	0.100				
				11	0.170				
				12	0.320				
				26	0.350				
				27	0.210				
				28	0.350				
				29	0.650				
				30	0.110				
				31	0.160				
				32	0.170				
				33	0.410				
				34	2.560				
				35	0.450				
				36	0.400				
				37	0.160				
				38	0.520				
				39	0.650				
				40मि0	4.4008				
				41	0.320				
				42	0.250				
						योग	20.9300		
8.			रूपपुर बन्देला एहतमाली	530	1.4500	15.9620		22.07.2022	संलग्नक–9
				531	1.5800				
				532	0.3300				
				533	0.4900				

				534	0.1700				
				535	2.2200				
				536क	0.2500				
				539ख	0.7100				
				540	4.6000				
				541	1.5000				
				542	0.5000				
				543मि0	2.1920				
9.		दाग़रमऊ	कैथौली	648	3.3160	4.6370		22.07.2022	संलग्नक–10
				1075ख (मि0)	1.3210				
	सम्भव जनपद का कुल योग					61.3627			
10	रायबरेली	लालगंज	हरीपुर	11मि0	0.2400	27.2310			
				12मि0	0.2400			21.07.2022	संलग्नक–11
				51मि0	0.7330				
				52	0.4360				
				61मि0	1.0370				
				142	0.9990				
				144	0.6450				
				145मि0	15.9530				
				147मि0	1.1260				
				622मि0	0.6640				
				624मि0	0.8980				
				630मि0	0.2530				
				633मि0	2.4590				
				643मि0	0.5060				
				644	0.5440				
				645	0.4990				
11	हरदोई	सण्डीला	बेहन्दर खुर्द	2797ख मि0	4.0552	4.0552		25.07.2022	संलग्नक–12
12	अमरोहा	हसनपुर	दौलतपुर जनूबी	168	0.691	1.6900		22.07.2022	संलग्नक–13
				166	0.821				
				165मि0	0.168				
					महायोग:	94.3289			

भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त–4 के अनुपालन में उक्त सारिणी में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करते हुए नोटिफिकेशन की प्रति भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है, भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्नक–14 के रूप में संलग्न है। नोटीफिकेशन निर्गत होने के पश्चात ही स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। अतः प्राथमिकता के आधार पर नोटिफिकेशन निर्गत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

(राजेश कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/जिला अधिकारी
गंगा एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण

2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को समस्त संलग्नकों सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अजय कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अतिरिक्त अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542/2307592, ईमेल upeida2@gmail.com

पत्रांक 21/4/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 18 जून, 2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेन्स के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उद्धृत शर्त संख्या–24 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति आदेश में उद्धृत शर्त संख्या–24 में निम्न तथ्य उल्लिखित है:–

"Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency."

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी ने भी आपसे दूरभाष पर Gangetic Dolphin Conservation Plan बनाकर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त प्लान यथाशीघ्र बनाकर यूपीडा को प्रेषित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही वांछित धनराशि को किस मद में हस्तांतरित करना है से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Cross Drainage Works Provisioned on Ganga Expressway-District Hapur

To ensure unhindered flow of natural water across Expressway

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
1	Hapur	Hapur	Agapur Sarai	023+100	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
2	Hapur	Hapur	Gohra Alamgirpur	024+179	Choia Nala,Choiya Nala on Google Map It is shown Kali Nadi	Minor Bridge (Span<60 m)
3	Hapur	Hapur	Muradpur Allipur	024+915	Local Drain	6x3 Box Culvert
4	Hapur	Hapur	Aurangabad	026+040	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
5	Hapur	Hapur	Madhapur Mozampur	026+730	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
6	Hapur	Hapur	Madhapur Mozampur	027+070	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
7	Hapur	Hapur	Madhapur Mozampur	027+710	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
8	Hapur	Hapur	Madhapur Mozampur	029+022	Canal+Road,Madhapur to Veersinghpur	Minor Bridge with Underpass
9	Hapur	Hapur	Madhapur Mozampur	029+285	Local Drain	5x2 Box Culvert
10	Hapur	GarahMukteshwar	Datiana	029+880	Local Drain	4x2 Box Culvert
11	Hapur	GarahMukteshwar	Peer Nagar	031+120	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
12	Hapur	GarahMukteshwar	Peer Nagar	032+015	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
13	Hapur	GarahMukteshwar	Himmatpur	032+455	Local Drain	3x3 Box Culvert
14	Hapur	GarahMukteshwar	Himmatpur	032+898	Local Drain	6x2 Box Culvert
15	Hapur	GarahMukteshwar	Rajpur	033+540	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
16	Hapur	GarahMukteshwar	Hapur	034+918	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
17	Hapur	GarahMukteshwar	Sikheda	035+271	Loop,On Loops Of Diamond Interchange	3x3 BC_Loop
18	Hapur	GarahMukteshwar	Sikheda	035+272	Loop,On Loops Of Diamond Interchange	3x3 BC_Loop
19	Hapur	GarahMukteshwar	Sikheda	035+273	Loop,On Loops Of Diamond Interchange	3x3 BC_Loop
20	Hapur	GarahMukteshwar	Sikheda	035+274	Loop,On Loops Of Diamond Interchange	3x3 BC_Loop
21	Hapur	GarahMukteshwar	Sikheda	035+978	Canal+Road,Madhya Ganga Canal	Major Bridge with Underpass
22	Hapur	GarahMukteshwar	Muradpur	036+500	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
23	Hapur	GarahMukteshwar	Muradpur	037+188	Canal,Muradpur to Sikhauda Muradpur	Minor Bridge (Span<60 m)

(अनुराग अरुधाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी
गंगा एक्सप्रेसवे परियो...

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
24	Hapur	GarahMukteshwar	Hajipur	038+283	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
25	Hapur	GarahMukteshwar	Udaipur	039+430	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
26	Hapur	Syana	Singanpur	050+753	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
27	Hapur	GarahMukteshwar	Jakhera Rahmatpur	051+060	Canal,Jakhara Distributary	Minor Bridge (Span<60 m)
28	Hapur	GarahMukteshwar	Jakhera Rahmatpur	051+649	Canal+Road,	Major Bridge with-Underpass
29	Hapur	GarahMukteshwar	Chuchawali	053+430	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
30	Hapur	GarahMukteshwar	Bhaina Sadarpur	054+170	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
31	Hapur	GarahMukteshwar	Wahabpur Thera Ideva	054+641	Loop,On Loops Of Diamond Interchange	3x3 BC_Loop
32	Hapur	GarahMukteshwar	Wahabpur Thera Ideva	054+642	Loop,On Loops Of Diamond Interchange	3x3 BC_Loop
33	Hapur	GarahMukteshwar	Wahabpur Thera Ideva	054+643	Loop,On Loops Of Diamond Interchange	3x3 BC_Loop
34	Hapur	GarahMukteshwar	Wahabpur Thera Ideva	054+644	Loop,On Loops Of Diamond Interchange	3x3 BC_Loop
35	Hapur	GarahMukteshwar	Chandner	056+063	Local Drain	3x3 Box Culvert
36	Hapur	GarahMukteshwar	Chandner	056+279	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
37	Hapur	GarahMukteshwar	Chandner	056+515	Canal+Road,Chandner to Shekhmir	Minor Bridge with-Underpass
38	Hapur	GarahMukteshwar	Chandner	057+170	Local Drain	3x3 Box Culvert
39	Hapur	GarahMukteshwar	Bahadurgarh	058+144	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
40	Hapur	GarahMukteshwar	Bahadurgarh	058+992	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
41	Hapur	GarahMukteshwar	Bahadurgarh	059+416	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
42	Hapur	GarahMukteshwar	Bahadurgarh	059+565	Canal+Road,Shekhmir to Bahadurgarh Road	Minor Bridge with-Underpass
43	Hapur	GarahMukteshwar	Bahadurgarh	060+140	River,	Major Bridge with-Underpass
44	Hapur	GarahMukteshwar	Bahadurgarh	060+545	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
45	Hapur	GarahMukteshwar	Alamnagar Khadar	061+327	Canal+Road,	Minor Bridge with-Underpass
46	Hapur	GarahMukteshwar	Alamnagar Khadar	062+100	Local Drain	3x3 Box Culvert
47	Hapur	GarahMukteshwar	Alamnagar Khadar	062+339	Local Drain	3x3 Box Culvert
48	Hapur	GarahMukteshwar	Berari	063+096	Local Drain	3x3 Box Culvert

(अनुराग अरोड़ा)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
हापुड़

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
49	Hapur	GarahMukteshwar	Barari	063+700	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
50	Hapur	GarahMukteshwar	Alapur	064+470	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
51	Hapur	GarahMukteshwar	Kati Urf Shankara Teela	065+100	Local Drain	3x3 Box Culvert
52	Hapur	GarahMukteshwar	Kati Urf Shankara Teela	065+970	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
53	Hapur	Missing	Missing	066+850	River,	Major Bridge (Span>60 m)
	Note:-	Balancing Culvert is provided in fields where no defined drainage/channel exists. To ensure				

Certified that adequate number of Cross Drainage Structures have been provisioned to ensure that the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road.

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(विनय प्रकाश)
मुख्य महाप्रबन्धक (एसपीवी)
यूपीडा

24/8/21

अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक (टि.)
यूपीडा

(अजय कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, ईमेल upelda2@gmail.com

पत्रांक 2274 / 1632 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 23 जून, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में यूपीडा के द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित गैर वन भूमि को आरक्षित / संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसनें परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के बिन्दु संख्या–29 पर निम्न शर्त अधिरोपित की गयी हैः–

"The Non Forest land provided for CA n the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted."

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि यूपीडा के द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार गैर वन भूमि उ0प्र0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी गयी है, जिसके अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध हैः–

क्रo सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	औरैया	औरैया	जैतपुर औरैया	321	4.9300
				322 / 2मि0	4.0000
				323 / 3मि0	14.0093
				योग	22.9393
2.	इटावा	इटावा	सरावा	1451	0.453
				1436	0.919
				281ख	2.052
				273ख	0.509
				5ग	0.405
				14घ	0.627
				1560ग	2.193
			योग		7.458
3.	जालौन	उरई	बन्धौली	1593 / 2	4.04
4.	महोबा	महोबा	खन्ना	480मि0	0.8478
				503 / 2	1.6390
				योग	2.4868
5.	हमीरपुर	राठ	औराखेड़ा	290मि0	9.933
				68मि0	0.717
				योग	10.65
6.	बांदा	बांदा	अछरौड़	261ख	8.00
			योग		55.5741

भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त के अनुपालन में उक्त सारिणी में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(क्रमशः)

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेस भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
(हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

करते हुए नोटिफिकेशन की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु यूपीडा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशाषी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

E-Mail cfmeerut@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 9442/14–1, दिनांक, मेरठ 23 फरवरी, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Ad.S.O
&
CCF/Nodal
Dt.o.
24/02/23

विषयः– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों को पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.6224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1–भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133, दिनांक 16.06.2022 एवं पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/232, दिनांक 13.07.2022।
2–आपका का पत्रांक 3609/11सी/FP/UP/ROAD/144793/2021, दिनांक 17.06.2022, पत्रांक 170/11–सी–FP/UP/ROAD/144793/2021, दिनांक 14.07.2022 एवं पत्रांक 2409/11–सी–FP/UP/ROAD/144793/2021, दिनांक 30.01.2023।
3–इस कार्यालय का पत्रांक 2941/14–1, दिनांक 20.01.2023।
4–प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 2886/14–1, दिनांक 20.02.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र दिनांक 30.01.2023 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	भारत सरकार की शर्त संख्या–1 से 31 तक की अनुपालना के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।	भारत सरकार की शर्त संख्या–1 से 31 तक की अनुपालन आख्या 03–03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
2.	भारत सरकार की शर्त संख्या–10 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकी द्वारा उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	भारत सरकार की शर्त संख्या–10 के क्रम में उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
3.	भारत सरकार की शर्त संख्या–33 के क्रम में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड नही किया गया है।	भारत सरकार के ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर समस्त प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक ——/——, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।
Phone-0122-2300150 Fax-0122-2300150 E-mail-dfohapur@gmail.com

पत्रांक /14-1, दिनांक, हापुड़, 20, फरवरी, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषय– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 8.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या– 2409/11सी/FP/UP/ROAD /144793/2021, दिनांक 30.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है :–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	भारत सरकार की शर्त सं0– 1 से 31 तक की अनुपालना के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।	भारत सरकार की शर्त सं0– 1 से 31 तक की अनुपालना आख्या 04–04 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
2.	भारत सरकार की शर्त सं0– 10 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	भारत सरकार की शर्त सं0– 10 के क्रम में उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
3.	भारत सरकार की शर्त सं0– 33 के क्रम में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।	भारत सरकार के ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर समस्त प्रमाण पत्र अपलोड कर दिये गये है।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,हापुड़।

पत्रांक 2686 / 22–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,हापुड़।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहॉपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम– 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम– 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–1

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र देता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–2

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–2 के अनुसार सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
अपुव वन प्रभाग, अपुव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–3

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–3 के अनुसार गैर वन भूमि (NFL) एवं अवनत वन भूमि (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा तथा क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा कराया जायेगा। C-5

(वेजय कुमार सुमन)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–4

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित व हस्तांतरित कर दिया गया है एवं यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 के द्वारा समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1004/77–3–2022–32(एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त को प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं वन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जानी है।

C-5

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–5

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है।

C-5

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(एक्सप्रेस कुमार भल्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–6

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के आदेश के क्रम में संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(संजय कुमार गर्ग)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामपुर वन प्रभाग, रामपुर

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–7

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

C-5

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(संजय कुमार मौला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड वन प्रभाग, झपुड

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–8

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(संजय कुमार मल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–9

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–9 के अनुसार जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा। C-5

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–10

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–10 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–11

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–11 के अनुसार पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर वन प्रभाग, लखीमपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–12

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
अपुड वन प्रभाग, अपुड

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–13

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

(संजय कुमार पाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–14

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–14 के अनुसार Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

(अशोक कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–15

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(अजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–16

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–17

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–17 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड वन प्रभाग, झपुड

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–18

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रमागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 39,40,325.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(संजय कुमार पाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–19

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

(संजय कुमार पाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–20

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–21

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डि.टी. कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–22

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–23

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–24

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(संजय कुमार मलल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–25

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–26

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

C-S

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(संजय कुमार पाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–27

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

C-S

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–28 के अनुसार मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए समस्त जनपदों में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का विस्तृत प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

(संजय कुमार गर्ग)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–29

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–29 के अनुसार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या– 2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एंव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–30

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–30 के अनुसार Forest (Conservation) Act, 1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

C-S

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
झपुड़ वन प्रभाग, झपुड़

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–31

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–31 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–32

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–32 के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त समस्त धनराशि रू0 19,67,66,109.00 को परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउण्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,651.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,61,16,500.00	6,49,22,064.00	21,86,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
योग		7,59,31,832.00	11,86,93,852.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

C-5

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–33

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–33 के अनुसार सम्बन्धित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(संजय कुमार पलन)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

पत्रांक :- २।२। /15-1, दिनांक, प्रयागराज, जनवरी, १९ 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षें के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.6224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या-8थी/यू0पी0/08/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16-08-2022 एवं मुख्य वन आपका पत्रांक 3609/11-सी-FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17-06-2022।

महोदया,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनाँक 16-06-2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रतापगढ़ ने अपने पत्रांक 1951/15-2, दिनांक 12-01-2023 द्वारा इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :-

Sr. No	Conditions	Status of Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक-1)
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक-2)
	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreilly and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:-	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFLएवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक-3)

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil Hasanpur,	1.680 (NFL)	Amroha

	Sandila.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27,28,29,30,3	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

			39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot	
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily	
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.				क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 को समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश के

		जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–4)।
5.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00**का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है–(संलग्नक–5)।

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	वर्किंग प्लान की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.680 (NFL)	10,23,000.00
2.	हरदोई	4.0552 (NFL)	31,83,390.00
3.	धान्नाव	61.50 (NFL)	2,61,16,500.00
4.	चित्रकूट	62.00 (DFL)	3,72,04,600.00
5.	रायबरेली	27.231 (NFL)	84,04,342.00
		योग	7,59,31,832.00

6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00**का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है–(संलग्नक–6)।

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	2.0342	24,99,198.0
2.	अमरोहा	1.0800	16,09,070.0
3.	सम्भल	4.0520	58,80,926.00
4.	बदायूं	4.9257	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	3.9070	37,42,046.00
6.	हरदोई	6.2873	60,21,651.00
7.	धान्नाव	67.783	6,49,22,064.00
8.	रायबरेली	29.726	2,84,71,543.00
9.	प्रतापगढ़	1.074	10,29,518.00
	योग	121.4716	11,68,93,952.00

7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।(संलग्नक–7)।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक–8)।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक–9)।
10.	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया

	...tation (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	...एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा। (संलग्नक–11)।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा। (संलग्नक–12)।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/RECकी संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Passका निर्माण कराया जायेगा।(संलग्नक–13)।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।(संलग्नक–14)।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।(संलग्नक–15)।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।(संलग्नक–16)।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।(संलग्नक–17)।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 39,40,325.00का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है–(संलग्नक–18)।

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशनकी कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.680 (NPL)	3,80,000.00
2.	हसनपुर	4.0562 (NPL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	61.50 (NPL)	21,66,500.00
4.	राबर्टसगंज	27.231 (NPL)	12,85,500.00
योग			39,40,325.00

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। (संलग्नक–19)।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।(संलग्नक–20)।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। (संलग्नक–21)।
22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक–22)।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा। (संलग्नक–23)।

24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–24)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनों पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**(संलग्नक–25)**।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।**(संलग्नक–26)**।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।**(संलग्नक–27)**।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimesसे गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची **प्रमाण पत्र सहित संलग्न** कर प्रेषित की गयी है। **(संलग्नक–28)**।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal No. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या– 2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–29)**।
30.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत Forest (Conservation) Act, 1980का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।**(संलग्नक–30)**।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।**(संलग्नक–31)**।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in)*	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। (संलग्नक–33)।	

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	डालुक	00	24,99,108.00	00	24,99,108.00
2.	कालाँकाँकर	10,23,000.00	16,89,079.00	3,00,000.00	30,12,079.00
3.	सण्डला	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बबाडू	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,048.00	00	37,42,048.00
6.	हरदोई	31,80,390.00	60,21,881.00	1,09,825.00	93,13,566.00
7.	फतेहपुर	2,01,16,900.00	6,09,32,004.00	21,66,500.00	8,32,05,904.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,64,71,643.00	12,65,500.00	3,61,41,585.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	बिसवाँ	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,08,83,982.00	39,40,825.00	19,67,56,109.00

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति सहित ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति एवं सम्बन्धित समस्त वचनबद्धता प्रमाण–पत्र एतद्सह संलग्न कर 03 प्रतियों मे अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– यथोपरि (03 प्रतियों में)

भवदीय,

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

संख्या :– / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, प्रतापगढ़ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथारिटी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रतापगढ़।

पत्रांक 1951 /15-2 दिनांक, प्रतापगढ़, जनवरी, 12, 2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
प्रयागराज वृत्त उ0प्र0
प्रयागराज।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेरली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1748 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47259 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–ईबी/यूपी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609/11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित हैः–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा। वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–1)
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा। वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–2)
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:-	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFLएवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–3)

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur	1.680 (NFL)	Amroha

Scanned with CamScanner

	Janubi, Tehsil Hasanpur, District Amroha.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

Scanned with CamScanner

	Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27,28,29,30,31,32, 33,34,34,36,37,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532, 533, 534, 535, 536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil	27.2310 (NFL)	Raibareily

Scanned with CamScanner

	Lalganj, District Raibareily.			

4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 को समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एंव वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–4)।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:–(संलग्नक–5)।

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	प्रोजेक्ट (हे0 में)	सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमेठी	1.880 (NFL)	10,23,000.00
2.	हरदोई	4.0552 (NFL)	31,83,300.00
3.	उन्नाव	61.50 (NFL)	2,61,16,500.00
4.	बिजनौर	82.00 (NFL)	3,72,04,600.00
5.	रायबरेली	27.231 (NFL)	84,04,342.00
		योग	7,59,31,832.00

Scanned with CamScanner

	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–(संलग्नक–6)।

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	डायवर्सन (है0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	2.0342	24,90,198.00
2.	अमरोहा	1.6800	18,09,070.00
3.	रामपुर	4.0520	38,80,925.00
4.	बदायूं	4.0257	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	3.9070	37,42,046.00
6.	हरदोई	6.2873	60,21,651.00
7.	उन्नाव	67.7839	6,49,22,064.00
8.	रायबरेली	29.7266	2,84,71,543.00
9.	प्रतापगढ़	1.0749	10,29,518.00
	योग	121.4716	11,68,93,952.00

7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक–7)।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक–8)।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक–9)।
10.	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक–10)।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा। (संलग्नक–11)।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा। (संलग्नक–12)।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा। (संलग्नक–13)।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया

Scanned with CamScanner

	applicable.	है।(संलग्नक–14)।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक–15)।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा। (संलग्नक–16)।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलाऊ लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा। (संलग्नक–17)।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 39,40,325.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–(संलग्नक–18)।

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशनकी धनराशि (रू0 में)	कुल
1.	अमरोहा	1.680 (NIL)	3,80,000.00	
2.	हरदोई	4.0552 (NIL)	1,08,325.00	
3.	उन्नाव	61.50 (NIL)	21,66,500.00	
4.	रायबरेली	27.221 (NIL)	12,85,500.00	
		योग	39,40,325.00	

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। (संलग्नक–19)।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी। (संलग्नक–20)।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नही किया जायेगा। (संलग्नक–21)।
22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगा। (संलग्नक–22)।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा। (संलग्नक–23)।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है (संलग्नक–24)
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0

Scanned with CamScanner

	agency and plantation shall be done by State Forest Department.	संलग्नक से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (संलग्नक–25)।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSL	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है। (संलग्नक–26)।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Unnoha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है। (संलग्नक–27)।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध न हो तथा साईड्स वाटर बेड्स में जल का प्रवाह अवाधित रहे। प्रपोजल एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची प्रमाण पत्र सहित संलग्न कर प्रेषित की गयी है। (संलग्नक–28)।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–29)।
30.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत Forest (Conservation) Act, 1980का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।(संलग्नक–30)।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा। (संलग्नक–31)।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–(संलग्नक–32)।

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	काउन्टी विलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00

3	हापुड़	00	30,00,925.00	00	30,00,925.00
4	बदायूं	00	47,37,737.00	00	47,37,737.00
5	शाहजहाँपुर	00	37,42,646.00	00	37,42,646.00
6	हरदोई	31,83,290.00	60,21,651.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7	लखनऊ	2,61,15,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8	लखीमपुरी	84,09,342.00	2,64,71,543.00	12,65,500.00	3,61,51,385.00
9	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	सिद्धार्थ	3,12,04,000.00	00	00	3,12,04,000.00
	योग	7,68,31,932.00	11,69,93,052.00	39,40,325.00	19,67,65,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। (संलग्नक–33)।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार 04 प्रति में।

भवदीय

(जगदम्बिका प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़।

पत्रांक 1951 /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथारिटी, लखनऊ ।

(जगदम्बिका प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़।

O/C

Received
12/1/23

यूपीडा
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013560, इमेल upeida2@gmail.com

पत्रांक 4079 / 1832 / यूपीडा / 22(वन) दिनांक 26 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रतापगढ़ वन प्रभाग,
प्रतापगढ़।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1748 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षो के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 295 / 2021 / एफ0सी0 / 133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609 / 11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मे वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follows:	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Jamubi,	1.680 (NFL)	Amroha

(लक्ष्मण कुमार सिंह)
डिप्टी कलेक्टर/परियोजना अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	Amroha.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasunganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purhyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27,28,29,30,3	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

अरुण कुमार राय
डेप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
शाहजहांपुर, सचालनक

		7,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no, 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no, 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या– 3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.	

(अरुण कुमार पाण्डेय)
डिप्टी जनरल मैनेजर/अधिशासी अभियन्ता
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		संस्तुति के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एंव वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–1)।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | कैम्पा योजना की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. | आमरोहा | 1.680 (NFL) | 10,23,000.00 2. | हरदोई | 4.0552 (NFL) | 31,83,390.00 3. | उन्नाव | 61.50 (NFL) | 2,61,18,500.00 4. | चित्रकूट | 82.00 (DFL) | 3,72,04,600.00 5. | रायबरेली | 27.231 (NFL) | 84,04,342.00 योग | 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency in this regard.**	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. | कानपुर | 2.0342 | 24,99,198.00 2. | अमरोहा | 1.8800 | 16,09,070.00 3. | सम्भल | 4.0520 | 36,60,925.00 4. | बदायूं | 4.9267 | 47,17,737.00 5. | शाहजहाँपुर | 3.9070 | 37,42,648.00 6. | हरदोई | 6.2873 | 60,21,651.00 7. | उन्नाव | 67.7839 | 6,49,22,064.00 8. | रायबरेली | 29.7298 | 2,84,71,543.00 9. | प्रतापगढ़ | 1.0749 | 10,29,918.00 योग | 121.4716 | 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the court by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत [illegible]

(अरुण कुमार सिंह)
डिप्टी कलेक्टर/अतिरिक्त कार्यालय
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यू.पी., लखनऊ

	concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में) 1. | अमरोहा | 1.580 (NFL) | 3,80,000.00 2. | हरदोई | 4.0552 (NFL) | 1,08,325.00 3. | उन्नाव | 61.50 (NFL) | 21,66,500.00 4. | रायबरेली | 27.231 (NFL) | 12,85,500.00 योग | 39,40,325.00
19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं

(विनीत पिल्लै)
निदेशक/परियोजना निदेशक
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा

	shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए प्रतापगढ जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची प्रमाण पत्र सहित संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, प्रतापगढ़ वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted. (अरुण कुमार राय) जिला कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना यूपीडा, लखनऊ	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–3)**।
30.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा

	F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,81,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	64,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,56,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307512 / 2307592, ईमेल upida2@gmail.com

पत्रांक 3826 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 11 अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में यूपीडा के द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित गैर वन भूमि को स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति के पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–04 पर निम्न शर्त अधिरोपित की गयी है:–

"The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval."

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार गैर वन भूमि उ0प्र0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी है, खतौनियों की प्रतियाँ सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

वन विभाग को नामांतरित एवं हस्तांतरित किये गये गैर वन भूमि का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0मे)	कुल क्षेत्रफल (हे0मे)	औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या व दिनांक	खतौनी में संलग्न नामांतरण एवं हस्तांतरण तिथि	खतौनी
1.	उन्नाव	हसनगंज	शकरपुर	235	5.1480	5.1480	आदेश संख्या–1004 / 77–3–2022–32(एन) / 2022 दिनांक 19.07.2022 (संलग्नक–1)	22.07.2022	संलग्नक–2
2.			गोकवा	1398	2.818	5.3010		22.07.2022	संलग्नक–3
				132	2.004				
				122	0.430				
				142क	0.249				
			बालही	149	0.1200	2.3110		22.07.2022	संलग्नक–4
				151	0.4300				
				169ख	0.3010				
				241	0.7000				
				247	0.4700				
				252ख	0.2900				
4.			नखदूम पुर	395क	0.5080	1.7220		22.07.2022	संलग्नक–5
				398	0.0130				
				393ख	0.7710				
				395ख	0.4320				

(अजय कुमार राय)
जिला कलेक्टर/जिलाधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

5.	उन्नाव		पुरव्यावी	1527	0.0527	5.3517		22.07.2022	संलग्नक–6
				1531ख	0.6340				
				482क	0.0060				
				344	0.0510				
				448ग	0.2590				
				487	0.2530				
				508	0.4680				
				496	0.3150				
				1973	3.3130				
					योग	19.8337			
6.			रूपऊ	3880	1.1380	5.5100		21.07.2022	संलग्नक–7
				3881	1.0750				
				3935	2.1930				
				3934	0.6510				
				3917	0.4530				
7.			क0 मझरा भिसना	3	0.560	15.4200		21.07.2022	संलग्नक–8
				4	0.140				
				5	0.860				
				6	0.320				
				7	0.700				
				8	0.160				
				9	0.160				
				10	0.100				
				11	0.170				
				12	0.320				
				26	0.350				
		उन्नाव		27	0.210				
				28	0.350				
				29	0.650				
				30	0.110				
				31	0.180				
				32	0.170				
				33	0.410				
				34	2.550				
				35	0.450				
				36	0.400				
				37	0.160				
				38	0.520				
				39	0.650				
				40मि0	4.4008				
				41	0.320				
				42	0.250				
					योग	20.9300			
8.			रूपपुर बन्देला एहसनाली	530	1.4500	15.9620		22.07.2022	संलग्नक–9
		सफीपुर		531	1.5800				
				532	0.3300				

(अजय कुमार राय)
जिला कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, उन्नाव

				534	0.1700				
				535	2.2200				
				536क	0.2500				
				539ख	0.7100				
				540	4.6000				
				541	1.5000				
				542	0.5000				
				543मि0	2.1920				
9		बागरभऊ	कैथौली	849	3.3160	4.6370		22.07.2022	संलग्नक–10
				1075ख (मि0)	1.3210				
	उन्नाव जनपद का कुल योग					61.3627			
10	रायबरेली	लालगंज	हरीपुर	11मि0	0.2400	27.2310		21.07.2022	संलग्नक–11
				12मि0	0.2400				
				51मि0	0.7330				
				52	0.4360				
				61मि0	1.0370				
				142	0.9990				
				144	0.6450				
				145मि0	15.9530				
				147मि0	1.1250				
				622मि0	0.6640				
				624मि0	0.8980				
				630मि0	0.2530				
				633मि0	2.4590				
				643मि0	0.5060				
				644	0.5440				
				645	0.4990				
11	हरदोई	सण्डीला	बेहन्दर खुर्द	2797ख मि0	4.0552	4.0552		25.07.2022	संलग्नक–12
12	जमरोहा	हसनपुर	दौलतपुर जनूबी	168	0.691	1.8600		22.07.2022	संलग्नक–13
				166	0.821				
				165मि0	0.168				
					महायोग	94.3289			

भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त–4 के अनुपालन में उक्त सारिणी में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करते हुए नोटिफिकेशन की प्रति भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है. भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्नक–14 के रूप में संलग्न है। नोटीफिकेशन निर्गत होने के पश्चात ही स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। अतः प्राथमिकता के आधार पर नोटिफिकेशन निर्गत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

(विनोद कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को समस्त संलग्नको सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अरुण कुमार राव)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
गूगीडा, लखनऊ

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307642 / 2307582, ईमेल upeida2@gmail.com

पत्रांक 2 / 14 / 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 18 जून, 2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेन्स के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उद्धृत शर्त संख्या–24 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति आदेश में उद्धृत शर्त संख्या–24 में निम्न तथ्य उल्लिखित हैः–

"Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency."

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी ने भी आपसे दूरभाष पर Gangetic Dolphin Conservation Plan बनाकर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त प्लान यथाशीघ्र बनाकर यूपीडा को प्रेषित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही वांछित धनराशि को किस मद में हस्तांतरित करना है से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

(अजय कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Cross Drainage Works Provisioned on Ganga Expressway-District Pratapgarh

To ensure unhindered flow of natural water across Expressway

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pratapgarah	Lalganj	Arro	545+460	Local Drain	6x3 Box Culvert
2	Pratapgarah	Lalganj	Arro	546+060	Canal,Umarpur Minor	Minor Bridge (Span<60 m)
3	Pratapgarah	Lalganj	Arro	546+710	Local Drain	4x3 Box Culvert
4	Pratapgarah	Lalganj	Arro	547+395	Local Drain	3x2 Box Culvert
5	Pratapgarah	Lalganj	Arro	547+537	Canal,	Minor Bridge (Span<60 m)
6	Pratapgarah	Lalganj	Arro	547+915	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
7	Pratapgarah	Lalganj	Arro	548+121	Local Drain	3x2 Box Culvert
8	Pratapgarah	Lalganj	Naudhia	548+993	Local Drain	3x2 Box Culvert
9	Pratapgarah	Lalganj	Naudhia	549+506	Local Drain	3x2 Box Culvert
10	Pratapgarah	Lalganj	Naudhia	550+320	Local Drain	3x3 Box Culvert
11	Pratapgarah	Lalganj	Bisoi	550+855	Canal+Road,Karmain to Makra	Minor Bridge with-Underpass
12	Pratapgarah	Lalganj	Bisoi	551+436	Local Drain	4x3 Box Culvert
13	Pratapgarah	Lalganj	Pure Chaturam	552+757	Local Drain	6x3 Box Culvert
14	Pratapgarah	Lalganj	Dakhwapur	553+310	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
15	Pratapgarah	Lalganj	Dakhwapur	553+750	Local Drain	4x3 Box Culvert
16	Pratapgarah	Lalganj	Dakhwapur	554+155	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
17	Pratapgarah	Lalganj	Sarai Sangramsingh	554+952	Loop,	3x3 BC_Loop
18	Pratapgarah	Lalganj	Sarai Sangramsingh	554+953	Loop,	3x3 BC_Loop
19	Pratapgarah	Lalganj	Sarai Sangramsingh	554+954	Loop,	3x3 BC_Loop
20	Pratapgarah	Lalganj	Sarai Sangramsingh	554+955	Loop,	3x3 BC_Loop
21	Pratapgarah	Lalganj	Pratappur Chairgarah	555+130	Stream/ Nallah,	Minor Bridge (Span<60 m)
22	Pratapgarah	Lalganj	Pratappur Chairgarah	555+131	Loop,On Ramps of Diamond Interchange LHS	Minor Bridge with_Loop
23	Pratapgarah	Lalganj	Pratappur Chairgarah	555+132	Loop,On Ramps of Diamond Interchange RHS	Minor Bridge with_Loop
24	Pratapgarah	Lalganj	Pratappur Chairgarah	556+100	Local Drain	3x3 Box Culvert
25	Pratapgarah	Lalganj	Gujvar	556+955	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
26	Pratapgarah	Lalganj	Gujvar	557+455	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
27	Pratapgarah	Lalganj	Gujvar	558+425	Canal+Road,Kotilabadi to Gujvar	Minor Bridge with-Underpass
28	Pratapgarah	Lalganj	Gujvar	558+840	Local Drain	6x3 Box Culvert
29	Pratapgarah	Lalganj	Kotilabadi	559+295	Canal+Road,Kotilabadi to kundri	Minor Bridge with-Underpass
30	Pratapgarah	Lalganj	Chaurang	559+660	Local Drain	6x3 Box Culvert

(अनुराग अरधाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अतिरिक्त सलिहारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
कानपुर, उत्तरप्रदेश

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Description	Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
31	Pratapgarah	Lalganj	Chaurang	560+034	Canal +road,Chaurang to Madamai	Minor Bridge with-Underpass
32	Pratapgarah	Lalganj	Chaurang	560+306	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
33	Pratapgarah	Lalganj	Chaurang	560+860	Canal+Road,Sarai amma to Purmai sultanpur	Minor Bridge with-Underpass
34	Pratapgarah	Lalganj	Sarai Amma	561+970	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
35	Pratapgarah	Kunda	Parsurampur	563+011	VUP Side,	3x2 BC_VUPSide
36	Pratapgarah	Kunda	Bhawaniganj Kota	563+470	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
37	Pratapgarah	Kunda	Bhawaniganj Kota	563+810	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
38	Pratapgarah	Kunda	Panahnagar	564+210	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
39	Pratapgarah	Kunda	Panahnagar	565+061	Local Drain	5x3 Box Culvert
40	Pratapgarah	Kunda	Ray Askaranpur	565+190	Local Drain	6x3 Box Culvert
41	Pratapgarah	Kunda	Jhingur	566+180	Local Drain	4x3 Box Culvert
42	Pratapgarah	Kunda	Chetara	567+290	Local Drain	5x3 Box Culvert
43	Pratapgarah	Kunda	Mahewamalakiya	568+360	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
44	Pratapgarah	Kunda	Mahewamalakiya	568+940	Canal+Road,Hiraganj to Hulasgarh	Minor Bridge with-Underpass
45	Pratapgarah	Kunda	Bahorikpur	569+553	Canal,Haganj Drain	Minor Bridge (Span<60 m)
46	Pratapgarah	Kunda	Bahorikpur	569+760	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
47	Pratapgarah	Kunda	Sultanpur	570+253	Local Drain	3x3 Box Culvert
48	Pratapgarah	Kunda	Sultanpur	570+570	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
49	Pratapgarah	Kunda	Raigarh	571+530	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
50	Pratapgarah	Kunda	Raigarh	571+756	Local Drain	3x2 Box Culvert
51	Pratapgarah	Kunda	Raigarh	571+936	Local Drain	3x2 Box Culvert
52	Pratapgarah	Kunda	Raigarh	572+410	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
53	Pratapgarah	Kunda	Raigarh	573+100	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
54	Pratapgarah	Kunda	Umarapatti	573+690	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
55	Pratapgarah	Kunda	Umarapatti	574+180	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
56	Pratapgarah	Kunda	Umarapatti	574+784	Local Drain	4x3 Box Culvert
57	Pratapgarah	Kunda	Umarapatti	575+380	Canal+Road,Purekhandey to Malwachhajaipur	Minor Bridge with-Underpass
58	Pratapgarah	Kunda	Malawachhajaipur	576+093	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
59	Pratapgarah	Kunda	Malawachhajaipur	576+588	VUP Side,	3x2 BC_VUPSide
60	Pratapgarah	Kunda	Roar	576+870	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
61	Pratapgarah	Kunda	Roar	577+330	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
62	Pratapgarah	Kunda	Trilokpur	578+150	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
63	Pratapgarah	Kunda	Trilokpur	578+860	Stream/ Nallah,Strean of Bakulahi River	Minor Bridge (Span<60 m)
64	Pratapgarah	Kunda	Bhav	579+520	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
65	Pratapgarah	Kunda	Bhav	580+740	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
66	Pratapgarah	Kunda	Dharupur	581+106	Local Drain	3x3 Box Culvert
67	Pratapgarah	Kunda	Dharupur	581+978	River,BAKULAHI RIVER	Minor Bridge (Span<60 m)
68	Pratapgarah	Kunda		582+503	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अजय कुमार राय)
डिप्टी प्रोजेक्ट/अतिरिक्त अधिशासी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
69	Pratapgarah	Kunda	Sarai Babuain	583+360	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
70	Pratapgarah	Kunda	Gogori	584+080	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
71	Pratapgarah	Kunda	Barbaspur	585+592	Local Drain	3x2 Box Culvert
72	Pratapgarah	Kunda	Barbaspur	585+850	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
73	Pratapgarah	Kunda	Barbaspur	585+957	Canal+Road,	Minor Bridge (Span<60 m)
	Note:-	Balancing Culvert is provided in fields where no defined drainage/channel exists. To ensure waterlogging doesn't occur along the road				

Certified that adequate number of Cross Drainage Structures have been provisioned to ensure that the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road.

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(विनय प्रकाश)
मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
यूपीडा

24/8/21
वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
यूपीडा

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, ईमेल upeida2@gmail.com

पत्रांक 2270 / 1832 / यूपीडा / 21 (वन) दिनांक 23 जून, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में यूपीडा के द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित गैर वन भूमि को आरक्षित / संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसनें परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के बिन्दु संख्या–29 पर निम्न शर्त अधिरोपित की गयी हैः–

"The Non Forest land provided for CA n the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted."

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीडा के द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार गैर वन भूमि उ0प्र0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी गयी है, जिसके अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध हैः–

क्र0सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हैं0 में)
1.	औरैया	औरैया	जेतपुर औरैया	321	4.9300
				322 / 2मि0	4.0000
				323 / 3मि0	14.0093
				योग	22.9393
2.	इटावा	इटावा	चकरावा	1451	0.453
				1436	0.619
				2818ख	2.052
				2733	0.809
				5ग	0.405
				14घ	0.627
				1560ग	2.193
			योग		7.458
3.	जालौन	उरई	बन्धौली	1593 / 2	4.04
4.	महोबा	महोबा	खन्ना	480मि0	0.8476
				503 / 2	1.6390
				योग	2.4866
5.	हमीरपुर	राठ	औरावंका	299मि0	9.933
				68मि0	0.717
				योग	10.65
	बांदा	बांदा	अछरौढ़	261ख	8.00
			योग		55.6741

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त के अनुपालन में उक्त सारिणी में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित

(क्रमशः)

करते हुए नोटिफिकेशन की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु यूपीडा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अरुण कुमार राय)
जिला वन अधिकारी/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
सुल्तानपुर, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–1

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र देता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
[illegible]गढ़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–2

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–2 के अनुसार सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय मंडदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–3

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–3 के अनुसार गैर वन भूमि (NFL) एवं अवनत वन भूमि (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा तथा क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा कराया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
गाजियाबाद

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–4

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित व हस्तांतरित कर दिया गया है एवं यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 के द्वारा समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1004/77–3–2022–32(एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त को प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं वन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जानी है।

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–5

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है।

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–6

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के आदेश के क्रम में संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रयागराज

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–7

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
मा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–8

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–9

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–9 के अनुसार जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–10

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–10 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
वन्य जीव प्रभाग

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–11

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–11 के अनुसार पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
क्षे0का0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रयागराज

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–12

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रयागराज

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–13

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–14

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–14 के अनुसार Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

प्रभागीय निदेशक
भा0व0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–15

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रयागराज

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–16

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–17

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–17 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–18

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–19

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अलीगढ़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–20

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रशासनिक निदेशालय
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रयागराज

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–21

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्र

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–22

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
[illegible]

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–23

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन्य जीव

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–24

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
बलरामपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–25

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रमाणित निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–27

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
वन्य जीव एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–28 के अनुसार मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए समस्त जनपदों में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का विस्तृत प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–29

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–29 के अनुसार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या– 2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एंव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभारी/ति निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रयागराज

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–30

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–30 के अनुसार Forest (Conservation) Act, 1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–31

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–31 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–32

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–32 के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त समस्त धनराशि रू0 19,67,66,109.00 को परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,61,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
योग		7,59,31,832.00	11,66,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

प्रभागीय निदेशक
...वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–33

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–33 के अनुसार सम्बन्धित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
उ0प्र0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 1773 / 14–1, दिनांक, मुरादाबाद, 09 / 12 / 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

PCCF Nodal 9.12.22 14/12/22

विषय– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1748 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3821 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 639 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 187166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।(प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/144793/2021)

सन्दर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या–6बी/यूपी0/08/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या–1976/14–1 दिनांक 08–12–2022 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख निम्न प्रकार प्रेषित किये गये है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेखों की 3–3 प्रतियाँ मूल में संस्तुति सहित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है:–

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Condition</th><th>Status of Compliance</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Legal status of the forest land shall remain unchanged.</td><td>प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–1 में उल्लिखित) संलग्नक–1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Forest Land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed by the user agency.</td><td>प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–2 में उल्लिखित) संलग्नक–2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4682 ha.(NFL) non forest land in District Amroha, Hardoi, Unnao, Raibareilly and 82.00 ha. degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided . The details of area for CA is as follows-
<table>
<tr><th>S. No</th><th>Details of CA</th><th>CA proposed in Area (Ha)</th><th>Name of Forest Division</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Land of Revenue Department of compensatory/Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsilpur Hasanpur, District Amroha.</td><td>1.680 (NFL)</td><td>Amroha</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Gata No. 2297 of village Benisadarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi</td><td>4.0552 (NFL)</td><td>Hardoi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Khasra No. 849, 1075d mi in Kaitholi village, Tehsil Bangarmau, Dist-Unnao. Khasra No. 235 in Shankarpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist.- Unnao, Khasera No. 130 D, 132, 122, 142 Chha in Godwa</td><td>61.5 (NFL) (30हे0 वनभूमि एवं 31.5 हे0 संरक्षित भूमि)</td><td>Unnao</td></tr>
</table>
</td><td>प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–3 में उल्लिखित) संलग्नक–3</td></tr>
</table>

–2–

		Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao, Khasara No. 149, 151, 159 Chha, 241, 247, 252 kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist.-Unnao. Khasara No. 1527, 1531 kha. 482K, 344, 448 G, 487, 505, 499, 1973 in Purhyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao, Khasara No. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village in Tehsil Unnao, Dist.-Unnao, Khasra no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Mi, 41, 42, in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao Dist.-Unnao, Khasara no. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536K, 539 Kha, 540, 541, 542, 543 Mi, in Roopur Chandela Ahatnali Village, Tehsil Saphipur, Dist.-Unnao Khasara no. 395 K. 398, 393 Kha, 395 Kha, in Makhadumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao.			
	4	Kota KalindiaVan Block (25.00 ha.), Dadri Van Block (17.00 ha.) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha.) of Chitrakoot Forest Division.	62.00 (DFL)	Chitrak oot	
	5	Gata No. 11, 12, 51, 52, 61, 142, 144, 145, 147, 622, 624, 630, 633, 643, 644 & 645 mi village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareilly	27.2310 (NFL)	Raibare illy	
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the orignal notification declaring the non-forest land under section 4 or Section 29 of Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to stage-II approval.				प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा वांछित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। (बिन्दु सं0–4 में उल्लिखित) संलग्नक–4
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey , demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The				प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण के लिये निम्न विवरणानुसार आवश्यक अग्रधनराशि रू0 7,59,31,832.00 चौपन लाख पैंतीस हजार आठ सौ बत्तीस मात्र ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 150906114479357S UTR No. MAHBR52022072812532 498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से यूको Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0906335 में जमा की जा

	scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	चुकी है।ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है। क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | डीक्लस्ट (हे0 में) | सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में) 1 | अमरोहा | 1.680 (NFL) | 10,23,000.00 2 | हरदोई | 4.0552(NFL) | 31,80,390.00 3 | उन्नाव | 61.50(NFL) | 2,01,16,800.00 4 | चित्रकूट | 60.00(NFL) | 3,72,04,000.00 5 | रायबरेली | 37.231(NFL) | 84,04,342.00 योग– | 7,59,51,832.00
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 23/03/2006,24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(PLII) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC(PLII) dated 05/02/2009.Revised **amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited** by User Agency **in this regard.**	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निम्न विवरणानुसार आवश्यक आवश्यक धनराशि रू0 11,08,93,052.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 150606114470357 6 UTR No. MAHBR520 22072812532498 Dt. 28-07-2022 के माध्यम से सीपी Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0905335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।) संलग्नक–6 क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | डीक्लस्ट (हे0 में) | NPVकी कुल धनराशि (रू0 में) 1 | बहराइच | 2.0342 | 24,98,150.00 2 | अमरोहा | 1.5800 | 16,09,070.00 3 | बलरामपुर | 4.0520 | 36,50,925.00 4 | बरेली | 4.9257 | 47,17,737.00 5 | शाहजहाँपुर | 3.9070 | 37,42,045.00 6 | हरदोई | 6.2073 | 60,21,681.00 7 | उन्नाव | 57.7839 | 5,49,32,064.00 8 | रायबरेली | 20.7250 | 2,84,71,343.00 9 | प्रतापगढ़ | 1.0748 | 10,28,518.00 योग– | 11,08,93,052.00
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon' ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be chargrd by the State Government from the user Agency. The Usre Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–7 में उल्लिखित) संलग्नक–7
8	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be filed under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–8 में उल्लिखित) संलग्नक–8
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–9 में उल्लिखित) संलग्नक–9
10	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–10 में उल्लिखित) संलग्नक–10
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–11 में उल्लिखित) संलग्नक–11
12	Speed regulating sinage will be erected along the road at regaular intervals in the Protected Area/Forest area.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–12 में उल्लिखित) संलग्नक–12
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–13 में उल्लिखित) संलग्नक–13
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental(Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा Environmental Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 इस विभाग 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।(बिन्दु सं0–14 में उल्लिखित) संलग्नक–14

15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–15 में उल्लिखित) संलग्नक–15
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–16 में उल्लिखित) संलग्नक–16
17	Sufficient firewood , preferebly the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Developement Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–17 में उल्लिखित) संलग्नक–17
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत माउन्ड्री पिलर/डिमार्केशन हेतु निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार वांछित धनराशि रू0 39,40,325.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 1509061144783576 UTR No. MAHBR52022072812S 32498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से यूको Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।(बिन्दु सं0–18 में उल्लिखित) संलग्नक–18

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	डायवर्सन (हे0 में)	माउन्ड्री पिलर बियरिंग/ डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1	अमरोहा	1.680(NFL)	3,60,000.00
2	हापुड़	4.0552(NFL)	1,09,325.00
3	उन्नाव	61.80(NFL)	21,66,500.00
4	रायबरेली	27.231(NFL)	12,65,500.00
		योग–	39,40,325.00

19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–19 में उल्लिखित) संलग्नक–19
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–20 में उल्लिखित) संलग्नक–20
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–21 में उल्लिखित) संलग्नक–21
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–22 में उल्लिखित) संलग्नक–22
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–23 में उल्लिखित) संलग्नक–23
24	Since the stretch of Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0–24 में उल्लिखित) संलग्नक–24
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–25 में उल्लिखित) संलग्नक–25
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है। (बिन्दु सं0–26 में उल्लिखित) संलग्नक–26
27	The DFO shall certify that 1.68 ha. of non-forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to the Forest Land.	अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।(बिन्दु सं0–27 में उल्लिखित) संलग्नक–27

28	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing would not be adversely affected on account of creation of artifical barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by the concerned D.F.O.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–28 में उल्लिखित) संलग्नक–28
29	The non forest land provided for CA in the propcsal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0–29 में उल्लिखित) संलग्नक–29
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest(Consevation) Act , 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidelines F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0–30 में उल्लिखित) संलग्नक–30
31	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and developement of forests & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0–31 में उल्लिखित) संलग्नक–31
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुरूप कुल धनराशि रू0 198766100.00 कैम्पा पण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 150906114479357O UTR No. MAHBR52022072812532498 Dt. 25-07-2022 के भुगतान से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है। (ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।) संलग्नक–32

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0में)	मांग/डी पिक्चर सहित की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल जमाराशि (रू0 में)
1	हमीरपुर	00	24,90,198.00	00	24,90,198.00
2	जालौन	10,23,000.00	10,05,570.00	3,80,000.00	10,12,570.00
3	राठ	00	38,50,925.00	00	38,50,925.00
4	बांदा	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5	चित्रकूट	00	37,42,045.00	00	37,42,045.00
6	ललितपुर	31,80,900.00	69,21,851.00	1,00,325.00	93,13,560.00
7	उरवाहा	2,81,16,800.00	6,40,23,654.00	21,66,800.00	9,32,05,264.00
8	बाराबंकी	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,580.00	2,81,61,305.00
9	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	सिंगरौली	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
योग		7,59,31,632.00	11,66,03,952.00	39,40,705.00	19,67,66,103.00

33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–33 में उल्लिखित।) संलग्नक–33
	CA amount as per proposal	7,59,31,632.00
	CA amount deposited	7,59,31,632.00
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	11,66,03,952.00
	NPV amount deposited	11,66,03,952.00

	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposited(Complete details be provided) (जमा की गयी राशि / विवरणसहित)	39,40,325.00
	CAMPA Confirmation	Online Paid Slip

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तादिनांकित

प्रतिलिपि– 1– मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, 12050, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्र संख्या–1976/14–1 दिनांक 08–12–2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 1976 /14–1 दिनांक,अमरोहा,दिसम्बर 08 2022

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय :– **Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021**

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47256 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 81.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4216 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 885 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167186 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यूपी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय

कृपया उपर्युक्त भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यूपी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.06.2022 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 4073/1632/यूपीडा/22(वन) दिनांक 26.08.2022 एवं 5206/1632/यूपीडा/22(वन) दिनांक 29.08.2022 के द्वारा बिन्दुवार निर्धारित प्रपत्र में निम्नवत् किया गया है। अतः निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण–पत्रों की 04–04 प्रतियां मूल में संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तद्नुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें–

Sl. No.	Condition	Status of Compliance
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0 1 में उल्लिखित।) संलग्नक:–1
2	Forest Land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0 2 में उल्लिखित।) संलग्नक:–2
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662ha.(NFL) non forest land in District Amroha, Hardoi, Unnao, Raibareilly and 62.00 ha. Degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follows-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0 3 में उल्लिखित।) संलग्नक:–3

S. No	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1	Land of Revenue Department of compensatory/Survey No. Nil, Village Daulatpur Jaulbi, Tehsilpur Hasanpur, District Amroha	1.680 (NFL)	Amroha
2	Gata No. 2297 of village Bahadurkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi	4.0552 (NFL)	Hardoi
3	Khasra No. 849, 1075d mi in Kaitholi village, Tehsil Bangarmau, Dist-Unnao. Khasra No. 235 in Shankarpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist.- Unnao, Khasara No. 139 D, 132, 122, 142 Chha in Godwa Village, Tehsil Hasanganj,	61.5 (NFL) (3980 अन्य भूमि एवं 315 हे0

	Chha. 241, 247, 252 kha, in Tauhee Village, Tehsil Hasanganj Dist.-Unnao Khasara No. 1527, 1531 kha. 462K, 344, 448 G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao, Khasara No. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village in Tehsil Unnao, Dist.-Unnao, Khasra no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Mi, 41, 42, in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao Dist.-Unnao, Khasara no. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536K, 539 Kha, 540, 541, 542, 543 Mi, in Rooppur Chandela Ahamali Village, Tehsil Sophipur, Dist.-Unnao Khasara no. 395 K, 398, 393 Kha, 395 Kha, in Mukhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao.	भूमि)	
4	Kota KundlaVan Block (25.00 ha.), Dudri Van Block (17.00 ha.) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha.) of Chitrakoot Forest Division.	62.00 (DFL)	Chitrakoot
5	Gata No. 11, 12, 51, 52, 61, 142, 144, 145, 147, 622, 624, 630, 633, 643, 644 & 645 mi village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibarielly	27.2310 (NFL)	Raibareilly

4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the orignal notification declaring the non-forest land under section 4 or Section 29 of Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to stage-II approval.	प्रस्तावित एजेन्सी यूपीडा द्वारा वांछित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है (बिन्दु सं0 4 में उल्लिखित) संलग्नक:–4
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रस्तावित एजेन्सी यूपीडा द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण के लिये निम्न विवरणानुसार आवश्यक आवश्यक धनराशि रू0 7,59,31,832.00 क्रैम्प फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No 1509061144793576 UTR No. MAHBR52022072812532498 Dt 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।)

क्रमांक	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)
1	अमरोहा	1.680 (NFL)	10,23,000.00
2	हरदोई	4.0552(NFL)	31,83,390.00
3	उन्नाव	61.60(NFL)	2,61,16,800.00
4	चित्रकूट	62.00(NFL)	3,72,04,800.00
5	रायबरेली	27.231(NFL)	84,04,342.00
		योग–	7,59,31,832.00

6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008,24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC(Pt.II) dated 05/02/2009.**Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.**	प्रस्तावित एजेन्सी यूपीडा द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निम्न विवरणानुसार आवश्यक आवश्यक धनराशि रू0 11,68,93,952.00 क्रैम्प फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 1509061144793576 UTR No MAHBR52022072812532498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।) संलग्नक:–6

क्रमांक	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	NPVकी कुल धनराशि (रू0 में)
1	हरदोई	2.0342	34,99,196.00
2	अमरोहा	1.6800	18,09,676.00
3	उन्नाव	4.0520	30,00,926.00
4	बहराइच	4.9257	47,17,737.00
5	फतेहपुर	3.9070	37,42,046.00
6	हरदोई	6.2873	60,21,851.00
7	उन्नाव	67.7839	6,49,22,008.00
8	रायबरेली	29.7265	2,84,71,553.00
9	चित्रकूट	1.0749	10,29,518.00
		योग–	11,68,93,952.00

	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon' ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 7 में उल्लिखित।) संलग्नक–7
8	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be filled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 8 में उल्लिखित।) संलग्नक–8
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 9 में उल्लिखित।) संलग्नक–9
10	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 10 में उल्लिखित।) संलग्नक–10
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 11 में उल्लिखित।) संलग्नक–11
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Area/Forest area.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 12 में उल्लिखित।) संलग्नक–12
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/PAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 13 में उल्लिखित।) संलग्नक–13
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा Environmental Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 इस दिनाँक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।(बिन्दु संo 14 में उल्लिखित।) संलग्नक–14
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 15 में उल्लिखित।) संलग्नक–15
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 16 में उल्लिखित।) संलग्नक–16
17	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Developement Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 17 में उल्लिखित।) संलग्नक–17
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस्वे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर/डिमार्केशन हेतु निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुरूप वाँछित धनराशि रू० 39,40,326.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 1509061144793576 UTR No. MAHBR52022072812532498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0998335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।)(बिन्दु संo 18 में उल्लिखित।) संलग्नक–18

क्र० सं०	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू० में)
1	अमरोहा	1.660(NFL)	3,90,000.00
2	हरदोई	4.0562(NFL)	1,08,326.00
3	उन्नाव	61.50(NFL)	21,66,500.00
4	रायबरेली	27.231(NFL)	12,85,500.00
		योग–	39,40,326.00

19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 19 में उल्लिखित।) संलग्नक–19
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, Whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 20 में उल्लिखित।) संलग्नक–20
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 21 में उल्लिखित।) संलग्नक–21
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 22 में उल्लिखित।) संलग्नक–22
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 23 में उल्लिखित।) संलग्नक–23
24	Since the stretch of Expressway is through the districts along river Ganga that the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु संo 24 में उल्लिखित।) संलग्नक–24

	Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 25 में उल्लिखित।) संलग्नक–25
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSL	उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है। (बिन्दु संo 26 में उल्लिखित। संलग्नक–26
27	The DFO shall certify that 1.68 ha. of non-forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to the Forest Land.	अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।(बिन्दु संo 27 में उल्लिखित।) संलग्नक–27
28	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by the concerned D.F.O.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 28 में उल्लिखित।) संलग्नक–28
29	The non forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। बिन्दु संo 29 में उल्लिखित। (संलग्नक–3)
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest(Consevation) Act , 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidelines F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु संo 30 में उल्लिखित।)
31	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु संo 31 में उल्लिखित।)
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुरूप कुल धनराशि रू0 19676610900 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 150901144793576 UTR No. MAHBR52022072812532498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0998335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।संलग्नक–32

क्रo सo	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0में)	मार्कर्डी पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 (रू0 में)
1	हरदुआ	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2	अमरोहा	10,23,000.00	16,00,670.00	3,60,000.00	30,12,070.00
3	सम्भल	00	38,80,926.00	00	38,80,926.00
4	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6	हरदोई	31,83,360.00	60,21,881.00	1,08,305.00	93,13,546.00
7	उन्नाव	2,61,18,800.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,06,864.00
8	रायबरेली	64,04,342.00	2,84,71,643.00	12,65,500.00	3,61,01,385.00
9	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	बिजनौर	3,72,04,500.00	00	00	3,72,04,500.00
योग		7,59,31,832.00	11,68,93,952.00	39,40,305.00	19,67,66,109.00

33 The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु संo 33 में उल्लिखित।) संलग्नक–33
CA amount as per proposal	7,59,31,832.00
CA amount deposited	7,59,31,832.00
Difference in amount	-
Reason for difference	-
NPV amount as per proposal	11,68,93,952.00
NPV amount deposited	11,68,93,952.00
Difference in amount	-
Reason for difference	-

	provided) (बाउन्ड्री पिलर / डिमार्केशन) (Complete details of	39,40,325.00
	CAMPA Confirmation	Online Paid Slip

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, अमरोहा

संख्या- 1976/14-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0,लखनऊ।
(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा लखनऊ।
(3) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, अमरोहा

यूपीडा
उ0 प्र0, शिवपाल हाल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307642/2307592, फैक्स: 0522–4013660, इमेल:upeida2@gmail.com

पत्रांक 4070 1832/यूपीडा/22(वन) दिनांक 26 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अमरोहा वन प्रभाग,
अमरोहा।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सराकर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–सबी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609/11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मे वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil	1.680 (NFL)	Amroha

(अरूण कुमार राय)
डी कलेक्टर / अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	Amroha.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27 28 29 30 3	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

(अरुण कुमार राय)
डी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		1,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibarcily
		The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.		प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या– 3826/1632/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.

(अरूण कुमार राय)
ज्वाइन्ट कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एंव वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–1)।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. अमरोहा | 1.580 (NFL) | 10,23,000.00 2. हरदोई | 4.0662 (NFL) | 31,83,390.00 3. उन्नाव | 51.80 (NFL) | 2,61,16,500.00 4. चित्रकूट | 62.00 (DFL) | 3,72,04,900.00 5. रायबरेली | 27.231 (NFL) | 84,04,342.00 योग | 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. हापुड़ | 2.0342 | 24,99,198.00 2. अमरोहा | 1.5600 | 18,09,070.00 3. सम्भल | 4.0520 | 38,80,925.00 4. बदायूं | 4.9257 | 47,17,737.00 5. शाहजहाँपुर | 3.9070 | 37,42,046.00 6. हरदोई | 6.2873 | 60,21,851.00 7. उन्नाव | 67.7839 | 6,49,22,064.00 8. रायबरेली | 29.7266 | 2,84,71,543.00 9. प्रतापगढ़ | 1.0749 | 10,29,518.00 योग | 121.4716 | 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन

(अरुण कुमार)
डिप्टी कलेक्टर / अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	concerned DFO shall be provided.	एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11. 2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जावेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नही करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिको को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–
19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यो के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अनरोहा	1.680 (NFL)	3,80,000.00
2.	हरचंदी	4.0552 (NFL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	61.50 (NFL)	21,86,500.00
4.	सवरेली	27.231 (NFL)	12,85,500.00
		योग	39,40,325.00

(असंण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर व अभियान अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा से सम्बन्धित नहीं है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा के स्तर से किया जाना है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए अमरोहा जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची **प्रमाण पत्र सहित संलग्न** कर प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एंव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–3)**।
30.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत Forest (Conservation) Act, 1980

(अरूण कुमार राय)
डेप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	[illegible] पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–
33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,81,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,68,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–1

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र देता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

प्रति रवाना है

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–2

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–2 के अनुसार सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।

प्राप्त हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–3

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–3 के अनुसार गैर वन भूमि (NFL) एवं अवनत वन भूमि (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा तथा क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा कराया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
(अरुण कुमार राय) ऊ
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–4

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित व हस्तांतरित कर दिया गया है एवं यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 के द्वारा समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1004/77–3–2022–32(एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त को प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं वन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जानी है।

प्रति सूचनार्थ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–5

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–6

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के आदेश के क्रम में संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–7

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–8

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–9

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–9 के अनुसार जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(अरूण-कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–10

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–10 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति अग्रसारित

भारतीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–11

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–11 के अनुसार पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

प्रति इत्तलीत

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–12

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–13

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–14

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–14 के अनुसार Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित

सहायक वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–15

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–16

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वनाधिकारी
अमरीहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–17

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–17 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–18

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भागीय वनाधिकारी
अमरोहा का प्रभाग
अमरोहा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–19

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–20

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–21

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

प्रति सहायक

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–22

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रति सूचनार्थ एवं
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–23

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–24

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रति इत्यादित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–25

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–26

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में स्थानान्तरित 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि के बदले 1.680 हे0 राजस्व विभाग ग्राम दौलतपुर जनूबी तहसील हसनपुर जिला अमरोहा में प्राप्त गैर वन भूमि हसनपुर रेंज के मलकपुर वन ब्लाक से लगी हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्याः– 1359 / 14–1, बरेली, दिनांक, 29 /नवम्बर/2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

AD.S.O.
HS
e-file/nodal
SAO
01/12/22

विषयः– उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट अथोरिटी द्वारा जनपद बदायूँ के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवेज के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जनपद के (7.900 से 601.847) कि0मी0 तक कुल प्रभावित 4.9257 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 842 वृक्षों एवं 712 वृक्षारोपण के पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

संदर्भः– भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यूपी/06/295/2021/एफ0सी0/133, दिनांक 16.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यूपी/06/295/2021/एफ0सी0/133, दिनांक 16.06.2022 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बदायूँ ने अपने पत्रांक 1176/14–1 दिनांक 17–11–2022 (संलग्नक–01) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्न कर संस्तुति सहित तीन प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित की जा रही है।

स सं	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। बचनवद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
2.	Forest Land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। बचनवद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amrohn,Hardoi,Unnao,Raibareily and 62.00 ha. Degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency, As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any srecies may be avoided. The details of area for CA is as.	बदायूँ वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है। यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी बचनवद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification decaring the non-forest land under section 4 or section 29 of the Indian Forest Act 1927, or under the relevant section of the State Forest Act. As the case may be, will be submitted by the state Government prior to Stage-II approval.	बदायूँ वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है। यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी बचनवद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation shceme and the	बदायूँ वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है। यूजर एजेन्सी द्वारा

	the Forest Department by the Project Authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	है।
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2006, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guideline issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1995-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 Revised amount of NPV as applicable as per order date 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.	शर्त के अनुसार एन0पी0वी0 कुल प्रभावित वन भूमि 121.4716 की आवश्यक धनराशि मु0रू0 116893952.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान से यूजर एजेन्सी के द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी वचनवद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state Forest Depatment.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	**FRA, 2006** पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है एवं पार्ट में में भी अपलोड किया जा चुका है।
10	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the meter of Babulal Jaju v/s State of Rajisthan and order date 16-11-2015.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
13	The User agency shall provide suitable under over pass in Protected Areas/Forest Areas as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986. If applicable.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
15	The layout plan of the proposal shall not be changed	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की

		...की जा रही है।
16	No labor camp shall be established on forest land.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
17	Sufficient firewood, preferably the alternate fule, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fule.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Division Forest Officer.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
19	No additional or new path will be constructed inside the Forest area area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is lees.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
22	The forest land proposed to bediverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
23	The KLM file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Work, the proposed Catchment Area Treatment area and WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisites details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
24	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Gagnga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
25	Scheme for plantation along booth side of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realized from the user agency and plantation shall be done by State Forest department.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
26	Certificate nees to be submitted by the DFO Unnao that non forest lald proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
27	The DFO shall certify that 1.68 ha. Of non-forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की

28	The User agency will ensure that while construction the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetland/watersbodies and stoppage for natural flow of water, sessonal drains, channels and streams. The Flow of Water in the micro watersheds shall remain understurbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in the regard approved by the concerned DFO.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
29	The non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
30	Violation of any of these condition will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29/01/2018.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
31	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
32	All the funds received from the user agency under this project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।
33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विजय सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– (1)/14–1, दिनाँकित।

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल लखनऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, उन्नाव को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बदायूँ को उनके पत्रांक 1176/14–1 दिनांक 17–11–2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ ।

पत्रांक/176/14-1 बदायूँ दिनांक 17/11/2022

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

विषय :- जनपद मेरठ से प्रयागराज (चैनेज 7+900 से 601+847 किमी.) तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु बदायूँ जनपद के अन्तर्गत कुल 4.9257 हे. संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यूपी/06/295/2021/एफसी./133 दिनांक 16.06.2022 एवं यूपीडा का पत्रांक 5206/1832/यूपीडा/22(वन) दिनांक 06.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद मेरठ से प्रयागराज (चैनेज 7+900 से 601+847 किमी.) तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु बदायूँ जनपद के अन्तर्गत कुल 4.9257 हे. संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा सन्दर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसके कम में यूपीडा द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में जारी शर्तो की अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में जारी शर्ते प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल 04 प्रतियों में संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक रूहेलखण्ड जोन बरेली उ.प्र. लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना यूपीडा लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ

यूपीडा
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013660, इमेल.upeida2@gmail.com

पत्रांक 4074/1832/यूपीडा/22(वन) दिनांक 26 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बदायूं वन प्रभाग,
बदायूं।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1748 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47268 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.8492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8वी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 18.08.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609/11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.08.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follow:-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil	1.680 (NFL)	Amroha

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	District Amroha.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26,	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

(अरुण कुमार राव)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		7,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dudri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibarcily.	27.2310 (NFL)	Raibarcily
	4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval		प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या– 3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.

(अरूण कुमार राय)
एडी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

		शासनादेश के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्राप्त किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य–वन संरक्षक, भू–अभिलेख एंव वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–1)**।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्षेत्रफल (हे0 में)** / **धनराशि (रू0 में)** 1. अमरोहा — 1.680 (NFL) — 10,23,000.00 2. हरदोई — 4.0552 (NFL) — 31,83,390.00 3. उन्नाव — 61.50 (NFL) — 2,61,16,500.00 4. बिजनौर — 62.00 (DFL) — 3,72,04,600.00 5. रायबरेली — 27.231 (NFL) — 84,04,342.00 योग — 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0** / **वन प्रभाग का नाम** / **क्षेत्रफल (हे0 में)** / **NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. कानपुर — 2.0342 — 24,99,198.00 2. अमरोहा — 1.6800 — 16,09,070.00 3. सम्भल — 4.0620 — 38,80,925.00 4. बदायूं — 4.9257 — 47,17,737.00 5. शाहजहाँपुर — 3.9070 — 37,42,046.00 6. हरदोई — 6.2873 — 60,21,851.00 7. उन्नाव — 67.7639 — 6,49,22,064.00 8. रायबरेली — 29.7286 — 2,84,71,543.00 9. प्रतापगढ — 1.0749 — 10,29,518.00 योग — 121.4716 — 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, [illegible]

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11. 2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environamental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–
19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.880 (NFL)	3,80,000.00
2.	हरदोई	4.0552 (NFL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	91.50 (NFL)	21,86,500.00
4.	रायबरेली	27.231 (NFL)	12,85,500.00
		योग	39,40,325.00

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अपर अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए बदायूं जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची **प्रमाण पत्र सहित संलग्न** कर प्रभागीय वनाधिकारी, बदायूं वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–3)**।
30.	Violation of any of these conditions will	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा

(अरूण कुमार राय)
जिला कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

	F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	डापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,61,16,500.00	6,49,22,064.00	21,86,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,88,03,952.00	39,40,325.00	19,87,86,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–1

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र देता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभारी निदेशक

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–2

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–2 के अनुसार सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–3

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–3 के अनुसार गैर वन भूमि (NFL) एवं अवनत वन भूमि (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा तथा क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–4

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित व हस्तांतरित कर दिया गया है एवं यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 के द्वारा समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1004/77–3–2022–32(एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त को प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं वन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जानी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–5

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–6

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के आदेश के क्रम में संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभारी निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–7

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–8

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–9

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–9 के अनुसार जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(अरूण-कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–10

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–10 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–11

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–11 के अनुसार पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बहराईच।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–12

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–13

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–14

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–14 के अनुसार Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–15

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–16

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–17

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–17 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–18

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–19

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / [illegible]
गंगा एक्स[illegible]

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–20

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–21

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बहराईच।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–22

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बहराँइ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–23

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–24

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–25

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं।

अरूण कुमार राय
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–26

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बहराईच।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–27

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
"सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ"

डिप्टी
गंगा एक्सप्रेसवे
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–28 के अनुसार मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए समस्त जनपदों में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का विस्तृत प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बरेली।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–29

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–29 के अनुसार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या– 2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एंव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–30

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–30 के अनुसार Forest (Conservation) Act, 1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बहराईच।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–31

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–31 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बहराईच

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–32

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–32 के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त समस्त धनराशि रू0 19,67,66,109.00 को परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,63,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,61,18,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,65,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
योग		7,59,31,832.00	11,66,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–33

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–33 के अनुसार सम्बन्धित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 1317 / 14–1, दिनांक, मुरादाबाद 28 / 10 / 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Ad-5.0

18

efinoda
FA-0
03/11/22

विषयः– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47238 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वननूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वननूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वननूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551हे0 आरक्षित वननूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वननूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।(प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/144793/2021)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या–6बी/यूपी0/06/295/2021/एफएसी0/133 दिनांक 16.06.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल ने अपने पत्र संख्या–929/14–1 दिनांक 19–10–2022 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख निम्न प्रकार प्रेषित किये गये है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेखों की 3–3 प्रतियाँ मूल में संस्तुति सहित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है:–

Sl. No.	Condition	Status of Compliance
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–1 में उल्लिखित) संलग्नक:–1
2	Forest Land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–2 में उल्लिखित) संलग्नक:–2
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha.(NFL) non forest land in District Amroha, Hardoi, Unnao, Raibareilly and 62.00 ha. degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided . The details of area for CA is as follows-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–3 में उल्लिखित) संलग्नक:–3

S. No	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1	Land of Revenue Department of compensatory/Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsilpur Hasanpur, District Amroha.	1.680 (NFL)	Amroha
2	Gata No. 2287 of village Benhadarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi	4.0552 (NFL)	Hardoi
3	Khasra No. 849, 1075d mi in Kaitholi village, Tehsil Bangarmau, Dist-Unnao. Khasra No. 235 in Shankarpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist.- Unnao, Khasara No. 139 D, 132, 122, 142 Chha in Godwa	61.5 (NFL) (30हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 बालुका भूमि)	Unnao

		Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao, Khasara No. 149, 151, 159 Chha, 241, 247, 252 kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist.-Unnao. Khasara No. 1527, 1531 kha. 462K, 344, 448 G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao, Khasara No. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village in Tehsil Unnao, Dist.-Unnao, Khasra no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Mi, 41, 42, in Katail Majhara Bhilkhna Village, Tehsil Unnao Dist.-Unnao, Khasara no. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536K, 539 Kha, 540, 541, 542, 543 Mi, in Roopur Chandela Ahatnali Village, Tehsil Saphipur, Dist.-Unnao Khasara no. 395 K, 398, 393 Kha, 395 Kha, in Makhadumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao.			
	4	Kota KaindlaVan Block (25.00 ha.), Dadri Van Block (17.00 ha.) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha.) of Chitrakoot Forest Division.	62.00 (DFL)	Chitrakoot	
	5	Gata No. 11, 12, 51, 52, 61, 142, 144, 145, 147, 622, 624, 630, 633, 643, 644 & 645 mi village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibarielly	27.2310 (NFL)	Raibareilly	
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the orignal notification declaring the non-forest land under section 4 or Section 29 of Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to stage-II approval.			प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा वांछित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। (बिन्दु संo–4 से उल्लिखित) संलग्नक:–4	
6	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey , demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The			प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण के लिये निम्न विवरणानुसार आवश्यक आवश्यक धनराशि ₹0 7,59,31,832.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 150906114479357 6 UTR No. MAHBR52022072812532 498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0696335 में जमा की जा	

	scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है। क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | प्रतिपूरक योजना की कुल धनराशि (रु0 में) 1 | अमरोहा | 1.680 (NFL) | 10,23,000.00 2 | हसनपुर | 4.0550(NFL) | 31,50,200.00 3 | सम्भल | 61.50(NFL) | 2,61,16,500.00 4 | चित्रकूट | 62.00(NFL) | 3,72,04,600.00 5 | रायबरेली | 27.231(NFL) | 64,94,342.00 योग– 7,59,51,632.00
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008,24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2005-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC(Pt.II) dated 05/02/2009.**Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.**	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय कार्यालयों की मांग के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निम्न विवरणानुसार अपेक्षित आवश्यक धनराशि रु0 11,68,93,952.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 1509091144793578 UTR No. MAHBR520 22072812532408 Dt. 28-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0990335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।) संलग्नक–6 क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | NPVकी कुल धनराशि (रु0 में) 1 | बबुरा | 2.0042 | 24,99,196.00 2 | अमरोहा | 1.0800 | 16,09,070.00 3 | सम्भल | 4.0820 | 38,80,926.00 4 | बदायूं | 4.5057 | 47,17,737.00 5 | बहजोई | 3.9070 | 37,42,065.00 6 | हरदोई | 6.2373 | 60,21,551.00 7 | उन्नाव | 67.7830 | 6,49,22,064.00 8 | रायबरेली | 20.7200 | 2,84,71,543.00 9 | चित्रकूट | 1.0749 | 10,28,518.00 योग– 11,68,93,952.00
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon' ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be chargrd by the State Government from the user Agency. The Usre Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–7 में उल्लिखित) संलग्नक–7
8	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be filled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–8 में उल्लिखित) संलग्नक–8
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–9 में उल्लिखित) संलग्नक–9
10	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–10 में उल्लिखित) संलग्नक–10
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–11 में उल्लिखित) संलग्नक–11
12	Speed regulating sinage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Area/Forest area.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–12 में उल्लिखित) संलग्नक–12
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–13 में उल्लिखित) संलग्नक–13
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental(Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा Environmental Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 इस दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।(बिन्दु सं0–14 में उल्लिखित) संलग्नक–14

15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–15 में उल्लिखित) संलग्नक–15
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–16 में उल्लिखित) संलग्नक–16
17	Sufficient firewood , preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Developement Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–17 में उल्लिखित ।) संलग्नक–17
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत माउन्ड्री पिलर/डिमार्केशन हेतु निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुरूप वांछित धनराशि रू0 39,40,325.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 150906114479357S UTR No. MAHBR52022072812S 32498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।(बिन्दु सं0–18 में उल्लिखित) संलग्नक–18

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	माउन्ड्री पिलर निर्माण/ डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1	अमरोहा	1.680(NFL)	3,80,000.00
2	हसनपुर	4.0552(NFL)	1,08,325.00
3	सम्भल	61.50(NFL)	21,66,500.00
4	शाहबेरली	27.231(NFL)	12,85,500.00
		योग–	39,40,325.00

19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–19 में उल्लिखित) संलग्नक–19
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, Whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–20 में उल्लिखित) संलग्नक–20
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–21 में उल्लिखित) संलग्नक–21
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–22 में उल्लिखित) संलग्नक–22
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–23 में उल्लिखित) संलग्नक–23
24	Since the stretch of Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0–24 में उल्लिखित) संलग्नक–24
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–25 में उल्लिखित) संलग्नक–25
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है। (बिन्दु सं0–26 में उल्लिखित।) संलग्नक–26
27	The DFO shall certify that 1.68 ha. of non-forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to the Forest Land.	अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।(बिन्दु सं0–27 में उल्लिखित) संलग्नक–27

	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing would not be adversely affected on account of creation of artifical barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by the concerned D.F.O.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–28 में उल्लिखित।) संलग्नक–28
29	The non forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0–29 में उल्लिखित) संलग्नक–29
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest(Consevation) Act , 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidelines F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0–30 में उल्लिखित) संलग्नक–30
31	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and developement of forests & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0–31 में उल्लिखित) संलग्नक–31
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार कुल धनराशि रू0 198766109.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 1509061144763576 UTR No. MAHBR52022072812532498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है। (ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।) संलग्नक–32

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0में)	वाइल्ड लाईफ विकास आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1	हमीरपुर	00	24,89,196.00	00	24,89,196.00
2	अमरोहा	10,23,000.00	16,08,673.00	3,80,000.00	30,12,673.00
3	बलरामपुर	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4	बहराइच	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5	श्रावस्ती	00	37,42,846.00	00	37,42,846.00
6	डायरेक्टर	31,83,390.00	80,21,851.00	1,09,325.00	93,13,566.00
7	पीलीभीत	2,81,19,800.00	5,49,32,064.00	21,80,580.00	8,32,05,064.00
8	खीरी	84,64,342.00	2,04,71,943.00	12,09,500.00	3,01,61,385.00
9	प्रयागराज	00	10,29,818.00	00	10,29,818.00
10	चित्रकूट	3,72,04,809.00	00	00	3,72,04,809.00
योग		7,59,31,832.00	11,60,93,952.00	39,49,325.00	19,67,75,109.00

33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है।(बिन्दु सं0–33 में उल्लिखित।) संलग्नक–33
	CA amount as per proposal	7,59,31,832.00
	CA amount deposited	7,59,31,832.00
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	11,60,93,952.00
	NPV amount deposited	11,60,93,952.00

	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposited(Complete details be provided) अन्य कोई धनराशि जमा की गई हो तो उसका विवरण	39,40,325.00
	CAMPA Confirmation	Online Paid Slip

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश चन्द)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि– 1– मुख्य वन संरक्षक, बुंदेलखण्ड जोन, झाँसी, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल को उनके पत्र संख्या–929/14–1 दिनांक 15–10–2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक– 929 /14–1 (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 5–10–2022।

पेजी सं. 391 पत्रा सं.-14-1 दि. 23-10-22

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय :– **Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021**

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रनावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47259 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4216 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रनावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0561 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रनावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या 8वी/यूपी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय

कृपया उपर्युक्त भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पत्र संख्या 8वी/यूपी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनॉक 16.06.2022 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 4073/1832/यूपीडा/22(वन) दिनॉक 26.08.2022 एवं 5209/1832/यूपीडा/22(वन) दिनॉक 29.08.2022 के द्वारा बिन्दुवार निर्धारित प्रपत्र में निम्नवत् किया गया है। अतः निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण–पत्रों की 04–04 प्रतियां मूल में संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदानुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें–

Sl. No.	Condition	Status of Compliance
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0 1 में उल्लिखित।) संलग्नक–1
2	Forest Land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0 2 में उल्लिखित।) संलग्नक–2
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4682ha.(NFL) non forest land in District Amroha, Hardoi, Unnao, Raibareilly and 62.00 ha. degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follows-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0 3 में उल्लिखित।) संलग्नक–3

S. No	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1	Land of Revenue Department of compensatory/Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsilpur Hasenpur, District Amroha.	1.680 (NFL)	Amroha
2	Gata No. 2207 of village Benhadarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi	4.0552 (NFL)	Hardoi
3	Khasra No. 849, 1075d mi in Kaitholi village, Tehsil Bangarmau, Dist-Unnao. Khasra No. 235 in Shankarpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist.- Unnao, Khasara No. 139 D, 132, 122, 142 Chha in Godwa Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao, Khesara No. 149, 151, 159 Chha, 241, 247, 252 kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj	61.5 (NFL) (30to उत्तर भूमि एवं 31.5 हे0 समतल भूमि)	Unnao

		Dist.-Unnao. Khasara No. 1527, 1531 kha. 462K, 344, 448 G, 487, 506, 496, 1973 in Purbhyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao. Khasara No. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village in Tehsil Unnao, Dist.-Unnao. Khasra no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Mi, 41, 42, in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao Dist.-Unnao, Khasara no. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536K, 539 Kha, 540, 541, 542, 543 Mi, in Roopur Chandela Ahatnali Village, Tehsil Saphipur, Dist.-Unnao Khasara no. 395 K, 396, 393 Kha, 395 Kha, in Makhadumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist.-Unnao.			
	4	Kota Kaindla Van Block (25.00 ha.), Dadri Van Block (17.00 ha.) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha.) of Chitrakoot Forest Division.	62.00 (DFL)	Chitrakoot	
	5	Gata No. 11, 12, 51, 52, 61, 142, 144, 145, 147, 622, 624, 630, 633, 643, 644 & 645 mi village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibarielly	27.2310 (NFL)	Raibareilly	
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the orignal notification declaring the non-forest land under section 4 or Section 29 of Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to stage-II approval.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा वांछित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। (बिन्दु सं0 4 में उल्लिखित।) संलग्नक:–4			
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण के लिये निम्न विवरणानुसार आवश्यक आवश्यक धनराशि रू0 7,59,31,832.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 150906114479357 6 UTR No. MAHBR52022072812532498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।			

क्रमांक	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	कैम्पा योजना की कुल धनराशि (रू0 में)
1	अमरोहा	1.680 (NFL)	10,23,600.00
2	हरदोई	4.0582(NFL)	31,83,360.00
3	उन्नाव	61.50(NFL)	2,61,16,500.00
4	चित्रकूट	62.00(NFL)	3,72,04,800.00
5	रायबरेली	27.231(NFL)	54,04,342.00
		योग–	7,59,31,832.00

6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008,24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC(Pt.II) dated 05/02/2009.Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निम्न विवरणानुसार आवश्यक आवश्यक धनराशि रू0 11,68,93,952.00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No. 150906114479357 6 UTR No. MAHBR52022072812532498 Dt. 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है।) संलग्नक:–6			

क्रमांक	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)
1	हरदोई	2.0342	24,99,186.00
2	अमरोहा	1.8600	16,06,070.00
3	उन्नाव	4.0520	39,00,925.00
4	चित्रकूट	4.9237	47,17,737.00
5	फतेहपुर	3.9079	37,43,048.00
6	हरदोई	6.2873	60,21,651.00

		7 | उन्नाव | 67.7039 | 6,49,22,064.00 8 | रामपरेली | 29.7200 | 2,84,71,643.00 9 | प्रतापगढ़ | 1.0749 | 10,29,518.00 योग– | 11,66,93,952.00
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon' ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be chargrd by the State Government from the user Agency. The Usre Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 7 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–7
8	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be filed under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 8 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–8
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 9 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–9
10	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 10 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–10
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 11 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–11
12	Speed regulating sinage will be erected along the road at regaular intervals in the Protected Area/Forest area.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 12 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–12
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 13 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–13
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental(Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा Environmental Clearance E Identification no. EC22A034UP189577 इस दिनांक 13.07.2022 के द्वा प्राप्त कर लिया गया है।(बिन्दु सं0 14 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–14
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 15 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–15
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 16 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–16
17	Sufficient firewood , preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Developement Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 17 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–17
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्ग बाउन्ड्री पिलर/डिमार्केशन हेतु निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित प्रभागी धनाधिकारियों की मांग के अनुरूप वाँछित धनराशि रू0 39,40,325.0 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C N 1509061144793576 UTR No. MAHBR52022072812532498 D 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lodi Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Roa New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की उ चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है। (बिन्दु सं0 18 उल्लिखित ।) संलग्नक:–18 क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में) 1 | अमरोहा | 1.880 (NFL) | 3,60,000.00 2 | हरदोई | 4.0352(NFL) | 1,08,325.00 3 | उन्नाव | 81.50(NFL) | 21,66,500.00 4 | रायबरेली | 27.231(NFL) | 12,65,500.00 योग– | 39,40,325.00
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 19 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–19
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 20 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–20
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 21 में उल्लिखित ।) संलग्नक:–21

22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0 22 में उल्लिखित।) संलग्नक–22
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commerencement of work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0 23 में उल्लिखित।) संलग्नक–23
24	Since the stretch of Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0 24 में उल्लिखित।) संलग्नक–24
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है। (बिन्दु सं0 25 में उल्लिखित।) संलग्नक–25
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है। (बिन्दु सं0 26 में उल्लिखित।) संलग्नक–26
27	The DFO shall certify that 1.68 ha. of non-forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to the Forest Land.	अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।(बिन्दु सं0 27 में उल्लिखित। संलग्नक–27
28	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing would not be adversely affected on account of creation of artifical barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by the concerned D.F.O.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 28 में उल्लिखित।) संलग्नक–28
29	The non forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है बिन्दु सं0 29 में उल्लिखित। (संलग्नक–3)
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest(Conservation) Act , 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidelines F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 30 में उल्लिखित।)
31	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to rime in the interest of conservation, protection and developement of forests & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है (बिन्दु सं0 31 में उल्लिखित।)
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि निम्न विवरणानुसार सम्बन्धि प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुरूप कुल धनराशि रू0 1967661 00 कैम्पा फण्ड में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C N 150906114479357 6 UTR No. MAHBR52022072812532498 25-07-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, Lo Complex Branch, Block-II, CGO Complex Phase-I, Lodhi Ro New Delhi-110003 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की चुकी है।(ई–चालान की छाया प्रति संलग्न है। संलग्नक–32

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0में)	बाउन्ड्री पिलर खरीद की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धन (रू0 (रू0 में
1	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2	अमरोहा	19,23,000.00	10,06,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5	शाहजहाँ पुर	00	37,42,048.00	00	37,42,048.00
6	इसरौढ़	31,83,390.00	80,21,831.00	1,08,321.00	80,13,560.00
7	उन्नाव	9,01,16,600.00	6,43,22,664.00	21,66,800.00	9,32,06,064
8	रायबरेली	84,04,943.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,360
9	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,000.00	00	00	3,72,04,000
योग		7,59,31,933.00	11,69,93,952.00	39,40,326.00	19,67,66,2

33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी (बिन्दु सं0 33 में उल्लिखित) संलग्नक–33
	CA amount as per proposal	7,59,31,832.00
	CA amount deposited	7,59,31,832.00
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	11,68,93,952.00
	NPV amount deposited	11,68,93,952.00
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposited(Complete details be provided) (बाउन्ड्री पिलर/डिमार्केशन)	39,40,325.00
	CAMPA Confirmation	Online Paid Slip

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ।
(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा लखनऊ।
(3) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा लखनऊ।

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

यूपीडा
...स एक्सप्रेस डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542/2307592, फैक्स: 0522–4013580, इमेल.upeida2@gmail.com

पत्रांक 4170/1832/यूपीडा/22(वन)

दिनांक 29 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहाँपुर,
हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं
प्रतापगढ़ वन प्रभाग।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में आ रहे वन क्षेत्रों का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सराकर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के द्वारा निर्गत संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तें जो प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) के स्तर से अनुपालित की जानी थी, का अनुपालन करते हुए एवं तत्क्रम में वचनबद्धता देते हुए बन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित उसकी 05 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

बिन्दु संख्या–4 एवं 29 क्रमशः गंगा एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे में यूपीडा की तरफ से वन विभाग को हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी गैर वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के रूप में नोटीफाई करने के लिए प्रस्ताव उ0प्र0 वन विभाग एवं राज्य सरकार को यूपीडा की तरफ से प्रेषित कर दिया गया है। कार्यवाही वन विभाग एवं वन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के स्तर से की जा रही है।

बिन्दु संख्या–26 एवं 27 का अनुपालन क्रमशः उन्नाव एवं अमरोहा वन प्रभाग के स्तर से किया जाना है।

बिन्दु संख्या–28 का अनुपालन करते हुए आपके वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण को क्रॉस कर रहे वेट लैण्ड/वाटर बाडीज पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क की सूची मय प्रमाण पत्र सहित प्रेषित की जा रही है। कृपया शर्त के अनुपालन में अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

D/man
Board and CAC
Copy

कक्ष. 103/
14-1
दि 6/9/22

भवदीय

(शीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक–मेरठ, मुरादाबाद, बरेली एवं प्रयागराज वृत्त।

5/9/22

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

■0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013560, इमेल upeida2@gmail.com

पत्रांक 4073 / 1832 / यूपीडा / 22(वन) दिनांक 26 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग,
सम्भल।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण मे जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर मे प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल मे प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई मे प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना मे प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 187166 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सराकर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 295 / 2021 / एफ0सी0 / 133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609 / 11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मे वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित हैः–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follows:	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil	1.680 (NFL)	Amroha

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

	Kharora.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27,28,29,30,3	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अतिरिक्त [illegible]
मेगा एक्सप्रेसवे परियोजना
[illegible], सोनभद्र

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

		1,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या– 3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.	

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

		किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन सरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है (संलग्नक–1)।
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. | अमरोहा | 1.680 (NFL) | 10,23,000.00 2. | हरदोई | 4.0552 (NFL) | 31,83,390.00 3. | उन्नाव | 61.50 (NFL) | 2,61,18,500.00 4. | चित्रकूट | 62.00 (DFL) | 3,72,04,800.00 5. | रायबरेली | 27.231 (NFL) | 84,04,342.00 योग | 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 08.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,66,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. | हापुड़ | 2.0342 | 24,99,198.00 2. | अमरोहा | 1.6800 | 16,09,070.00 3. | सम्भल | 4.0520 | 38,80,925.00 4. | बदायूं | 4.9257 | 47,17,737.00 5. | शाहजहाँपुर | 3.9070 | 37,42,046.00 6. | हरदोई | 6.2873 | 60,21,861.00 7. | उन्नाव | 67.7639 | 6,49,22,064.00 8. | रायबरेली | 29.7266 | 2,84,71,543.00 9. | प्रतापगढ़ | 1.0749 | 10,29,518.00 योग | 121.4716 | 11,66,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। (आशीष कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन

	concerned DFO shall be provided.	एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 39,40,325.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.680 (NFL)	3,50,000.00
2.	हरथेड़	4.0582 (NFL)	1,05,328.00
3.	उन्नाव	81.50 (NFL)	21,65,500.00
4.	चायलैनी	27.231 (NFL)	12,65,500.00
		योग	39,40,325.00

(अरुण कुमार राय)
निदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि, जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव वन प्रभाग, उन्नाव।

	shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए सम्भल जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची प्रमाण पत्र सहित संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के अधिकारियों के की जानी है **(संलग्नक–3)**।
30.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा

(राजेन्द्र कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

	F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउण्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,651.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,81,16,500.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,88,93,952.00	39,40,325.00	19,87,66,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

C.S.

भवदीय

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307092, इमेल upelda2@gmail.com

पत्रांक 3826 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 11 अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में यूपीडा के द्वारा वन विभाग को हस्तातरित गैर वन भूमि को स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति के पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परिदेश पोर्टल पर उपलब्ध गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–04 पर निम्न शर्त अधिरोपित की गयी है:–

"The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval."

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार गैर वन भूमि उ0प्र0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी है, खतौनियों की प्रतियाँ सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

वन विभाग को नामांतरित एवं हस्तांतरित किये गये गैर वन भूमि का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0मे)	कुल क्षेत्रफल (हे0मे)	औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या व दिनांक	खतौनी में नामांतरण एवं हस्तांतरण तिथि	संलग्न खतौनी
1.	उन्नाव	हसनगंज	शंकरपुर	235	5.1480	5.1480	आदेश संख्या–1004 / 77–3–2022–32(एम) / 2022 दिनांक 19.07.2022 (संलग्नक–1)	22.07.2022	संलग्नक–2
2.			गोडवा	139ख	2.818	5.3010		22.07.2022	संलग्नक–3
				132	2.004				
				122	0.430				
				142ख	0.249				
			तालहो	149	0.1200	2.3110		22.07.2022	संलग्नक–4
				151	0.4300				
				159ख	0.3010				
				241	0.7000				
				247	0.4700				
				252ख	0.2900				
4.			मखदूम पुर	395क	0.5060	1.7220		22.07.2022	संलग्नक–5
				398	0.0130				
				393ख	0.7710				
				395ख	0.4320				

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

5.	उन्नाव		पुरुष्यावाँ	1527	0.0527	5.3517		22.07.2022	संलग्नक–6
				1531ख	0.6340				
				462क	0.0060				
				344	0.0510				
				446ग	0.2590				
				487	0.2530				
				506	0.4680				
				496	0.3150				
				1973	3.3130				
					योग	19.8337			
6.			रमरऊ	3880	1.1380	5.5100		21.07.2022	संलग्नक–7
				3881	1.0750				
				3935	2.1930				
				3934	0.6510				
				3917	0.4530				
7.			क0 मझरा मिसना	3	0.560	15.4200		21.07.2022	संलग्नक–8
				4	0.140				
				5	0.660				
				6	0.320				
				7	0.700				
				8	0.160				
				9	0.180				
				10	0.100				
				11	0.170				
				12	0.320				
		उन्नाव		26	0.350				
				27	0.210				
				28	0.350				
				29	0.650				
				30	0.110				
				31	0.180				
				32	0.170				
				33	0.410				
				34	2.550				
				35	0.450				
				36	0.400				
				37	0.160				
				38	0.520				
				39	0.650				
				40मि0	4.4008				
				41	0.320				
				42	0.250				
					योग	20.9300			
8.			रूपपुर चन्देला रहतमाली	530	1.4500	15.9620		22.07.2022	संलग्नक–9
		सफीपुर		531	1.5600				
				532	0.3300				

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल
उन्नाव

(राजेश कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
सुरीर, मथुरा

				534	0.1700				
				535	2.2200				
				536क	0.2500				
				539ख	0.7100				
				540	4.6000				
				541	1.5000				
				542	0.5000				
				543मि0	2.1920				
9.		डांगरमऊ	कैथौली	849	3.3160	4.6370		22.07.2022	संलग्नक–10
				1075ड (मि0)	1.3210				
	उन्नाव जनपद का कुल योग					61.3627			
10	रायबरेली	लालगंज	हरीपुर	11मि0	0.2400	27.2310		21.07.2022	संलग्नक–11
				12मि0	0.2400				
				51मि0	0.7330				
				52	0.4360				
				61मि0	1.0370				
				142	0.9990				
				144	0.6450				
				145मि0	15.9530				
				147मि0	1.1250				
				622मि0	0.6640				
				624मि0	0.8980				
				630मि0	0.2530				
				633मि0	2.4590				
				643मि0	0.5060				
				644	0.5440				
				645	0.4990				
11	हरदोई	सण्डीला	बेहन्दर खुर्द	2797ड मि0	4.0552	4.0552		25.07.2022	संलग्नक–12
12	अमरोहा	हसनपुर	दौलतपुर जनूबी	168	0.691	1.6800		22.07.2022	संलग्नक–13
				166	0.821				
				165मि0	0.168				
						महायोग	94.3289		

भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त–4 के अनुपालन में उक्त सारिणी में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करते हुए नोटिफिकेशन की प्रति भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है, भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्नक–14 के रूप में संलग्न है। नोटीफिकेशन निर्गत होने के पश्चात ही स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। अतः प्राथमिकता के आधार पर नोटिफिकेशन निर्गत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

C.S.

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

(रमण कुमार पाण्डेय)
निदेशक/अतिरिक्त अधिकारी
संयुक्त एफ0ए0सी0ए0 परियोजना
सुनिश्चित, लखनऊ

2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को समस्त संलग्नको सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

(सजल कुमार राय)
जिला अभिलेख/अतिरिक्त अधिकारी
वृत्त एवं जिला परियोजना
बुलंदशहर

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, ईमेल upeida2@gmail.com

पत्रांक 21 / 4 / 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 18 जून, 2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेन्स के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उदधृत शर्त संख्या–24 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति आदेश में उदधृत शर्त संख्या–24 में निम्न तथ्य उल्लिखित हैः–

"Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency."

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी ने भी आपसे दूरभाष पर Gangetic Dolphin Conservation Plan बनाकर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त प्लान यथाशीघ्र बनाकर यूपीडा को प्रेषित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही वांछित धनराशि को किस मद में हस्तांतरित करना है से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी डायरेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Cross Drainage Works Provisioned on Ganga Expressway-District Sambhal

To ensure unhindered flow of natural water across Expressway

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sambhal	Sambhal	Tatarpur Sandal	093+333	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
2	Sambhal	Sambhal	Tatarpur Sandal	094+000	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
3	Sambhal	Sambhal	Esapur Sunwari	094+610	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
4	Sambhal	Sambhal	Esapur Sunwari	095+095	Local Drain	3x3 Box Culvert
5	Sambhal	Sambhal	Esapur Sunwari	095+795	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
6	Sambhal	Sambhal	Kaserua	096+300	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
7	Sambhal	Sambhal	Kaserua	096+905	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
8	Sambhal	Sambhal	Bhataola	098+624	Local Drain	3x3 Box Culvert
9	Sambhal	Sambhal	Sahra	099+630	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
10	Sambhal	Sambhal	Bsala	100+310	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
11	Sambhal	Sambhal	Bsala	101+148	Local Drain	3x3 Box Culvert
12	Sambhal	Sambhal	Bsala	101+430	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
13	Sambhal	Sambhal	Khirni Mohiuddin pur	102+428	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
14	Sambhal	Sambhal	Khirni Mohiuddin pur	102+429	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
15	Sambhal	Sambhal	Khirni Mohiuddin pur	102+430	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
16	Sambhal	Sambhal	Khirni Mohiuddin pur	102+431	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
17	Sambhal	Sambhal	Ajhra	103+300	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
18	Sambhal	Sambhal	Rasoolpur Dhatora	104+215	Local Drain	3x3 Box Culvert
19	Sambhal	Sambhal	Rasoolpur Dhatora	105+197	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
20	Sambhal	Sambhal	Rasoolpur Dhatora	106+200	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
21	Sambhal	Sambhal	Bichpuri	108+190	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
22	Sambhal	Sambhal	Banjrpuri	108+600	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
23	Sambhal	Sambhal	Banjrpuri	109+495	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
24	Sambhal	Sambhal	Chiroli Bhagwantp ur	110+025	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
25	Sambhal	Chandausi	Ballampur	110+560	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
26	Sambhal	Chandausi	Kirari	112+310	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
27	Sambhal	Chandausi	Kirari	112+800	Canal+Road,Kirari to Pawasa	Minor Bridge with Underpass
28	Sambhal	Chandausi	Kirari	113+510	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert

(अनुराग अग्रवाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यमुना

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
29	Sambhal	Chandausi	Atrasi	114+176	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
30	Sambhal	Chandausi	Mirzapur Iktara	115+160	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
31	Sambhal	Chandausi	Dharampur Urf Dhandaul	116+600	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
32	Sambhal	Chandausi	Dhadhol	117+166	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
33	Sambhal	Chandausi	Dhadhol	117+840	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
34	Sambhal	Chandausi	Rajpur	119+180	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
35	Sambhal	Chandausi	Rajpur	119+910	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
36	Sambhal	Chandausi	Rajpur	120+278	Local Drain	3x3 Box Culvert
37	Sambhal	Chandausi	Rajpur	120+750	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
38	Sambhal	Chandausi	Bisharu	121+315	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
39	Sambhal	Chandausi	Bisharu	122+310	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
40	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+289	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
41	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+290	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
42	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+291	Loop,4 Nos HPC on Loops/Ramp & 3 Addtl on SR parallel to Loop/Ramp	Hume Pipe Culvert
43	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+292	Loop,4 Nos HPC on Loops/Ramp & 3 Addtl on SR parallel to Loop/Ramp	Hume Pipe Culvert
44	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+293	Loop,4 Nos HPC on Loops/Ramp & 3 Addtl on SR parallel to Loop/Ramp	Hume Pipe Culvert
45	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+294	Loop,4 Nos HPC on Loops/Ramp & 3 Addtl on SR parallel to Loop/Ramp	Hume Pipe Culvert
46	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+295	ParallelSR,4 Nos HPC on Loops/Ramp & 3 Addtl on SR parallel to Loop/Ramp	HPC_ParallelSR
47	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+296	ParallelSR,4 Nos HPC on Loops/Ramp & 3 Addtl on SR parallel to Loop/Ramp	HPC_ParallelSR
48	Sambhal	Chandausi	Lahraban	123+297	ParallelSR,4 Nos HPC on Loops/Ramp & 3 Addtl on SR parallel to Loop/Ramp	HPC_ParallelSR
49	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	124+806	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
50	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	125+301	Local Drain	Hume Pipe Culvert
51	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	125+302	Local Drain	Hume Pipe Culvert
52	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	125+950	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
53	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	126+960	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert

(अनुराग अरवानी)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी

	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
54	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	127+620	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
55	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	128+100	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
56	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	128+788	Local Drain	3x3 Box Culvert
57	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	129+162	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
58	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	130+240	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
59	Sambhal	Chandausi	Nagalia Kathair	130+639	Local Drain	3x3 Box Culvert
	Note:-	Balancing Culvert is provided in fields where no defined drainage/channel exists. To ensure waterlogging doesn't occur alorig the road.				

Certified that adequate number of Cross Drainage Structures have been provisioned to ensure that the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road.

(अनुराग अस्थाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(विनय प्रताप)
मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
यूपीडा

24/8/21
वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
यूपीडा

C.S.

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अतिरिक्त अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, ईमेल upelda2@gmail.com

पत्रांक 924 / 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 23 जून, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में यूपीडा के द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित गैर वन भूमि को आरक्षित / संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के बिन्दु संख्या–29 पर निम्न शर्त अधिरोपित की गयी हैः–

"The Non Forest land provided for CA n the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted."

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीडा के द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार गैर वन भूमि उ0प्र0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी गयी है, जिसके अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध हैंः–

क्र0सं0	जनपद	तहसील	ग्रेड	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हैं0 में)
1.	औरैया	औरैया	जैलपुर औरैया	321	4.9300
				322 / 2मि0	4.0000
				323 / 3मि0	14.0093
				योग	22.9393
2.	इटावा	इटावा	सराया	1451	0.453
				1436	0.919
				281ख	2.052
				273ख	0.809
				5ग	0.405
				14घ	0.827
				156ग	2.193
			योग		7.458
3.	जालौन	उरई	बम्हौली	1593 / 2	4.04
4.	महोबा	महोबा	खन्ना	480मि0	0.8478
				503 / 2	1.6390
				योग	2.4868
5.	हमीरपुर	राठ	औरासेडा	299मि0	9.933
				68मि0	0.717
				योग	10.65
6.	बांदा	बांदा	अछरौंड	261ख	8.00
			योग		55.5741

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त के अनुपालन में उक्त सारिणी में दर्शित को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित

(क्रमशः)

(अरविन्द कुमार)

करते हुए नोटिफिकेशन की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु यूपीडा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रसवज इन्डास्ट्रयल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013580, इमेल.upelda2@gmail.com

पत्रांक 5206 / 1832 / यूपीडा / 22(वन) दिनांक 06 अक्टूबर 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदांयू,
शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव,
रायबरेली तथा प्रतापगढ़ वन प्रभाग।

विषयः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की यूजर एजेन्सी से सम्बन्धित वचनबद्धता / प्रमाण पत्र का प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की एकीकृत अनुपालन आख्या आपको संलग्नको सहित दिनांक 26.08.2022 को प्रेषित की गयी थी तथा उसे परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था।

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ ने प्रत्येक शर्त / बिन्दु से सम्बन्धित वचनबद्धता / प्रमाण पत्र अलग–अलग प्रेषित करने हेतु निर्देशित करते हुए परिवेश पोर्टल पर वापस कर दिया था।

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देश का अनुपालन करते हुए प्रयोक्ता एजेन्सी "यूपीडा" से सम्बन्धित प्रत्येक शर्त की वचनबद्धता / प्रमाण पत्र 05 सेट (डी0एफ0ओ0, वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, राज्य सरकार एवं भारत सरकार हेतु) हार्ड कॉपी में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं तथा इसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. वन संरक्षक–मेरठ, मुरादाबाद, बरेली एवं प्रयागराज वृत्त।

रु 1986
14
11/10/22

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–1

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र देता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–2

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–2 के अनुसार सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।

Adl.

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभारीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–3

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–3 के अनुसार गैर वन भूमि (NFL) एवं अवनत वन भूमि (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जायेगा तथा क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C. S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–4

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित व हस्तांतरित कर दिया गया है एवं यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.2022 के द्वारा समस्त खतौनियों एवं औद्योगिक विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1004/77–3–2022–32(एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त को प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं वन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जानी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

यूपीडा
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013580, इमेल upelda2@gmail.com

पत्रांक 3542 / 1632 / यूपीडा / 22(वन)

दिनांक 02, अगस्त, 2022

महत्वपूर्ण / आवश्यक

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रही वन भूमि पर खड़े वृक्षों का पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 295 / एफ0सी0 / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदया,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी शर्त संख्या–5, 6 व 18 के क्रम में सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 की मांग के अनुसार क्रमशः क्षतिपूरक वृक्षारोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सीमाबंदी / सीमा पत्थर निर्माण एवं लगवाई आदि के लिए वांछित धनराशि परिवेश पोर्टल से स्वतः जेनेरेट चालान के अनुसार उ0प्र0 कैम्पा मद में कुल रू0 19,67,66,109.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, जिसका यू0टी0आर0 सख्या–MAHBR52022072812532498 है, उक्त जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल पर भी परिलक्षित हो रही है, उक्त दोनों की छायाप्रति संलग्न की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित ग्रामों / जनपदों में वन विभाग को दी जाने वाली गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कराकर खतौनियां भी प्राप्त कर ली गयी हैं, परन्तु उनको परिवेश पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण अपलोड करने में असुविधा हो रही है। भारत सरकार की अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए यथा पटरी वृक्षारोपण कार्ययोजना, डाल्फिन प्रबन्धन योजना एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जा रही है।

स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मदों में प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार उपरोक्त धनराशि को कैम्पा मद में जमा कर दिये जाने के उपरान्त गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रही वन भूमि पर खड़े वृक्षों का पातन कराने हेतु लाटों को उ0प्र0 वन निगम को तत्काल प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।

4. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन मेरठ, रूहेलखण्ड जोन बरेली, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं दक्षिणी क्षेत्र प्रयागराज।
5. वन संरक्षक मेरठ, मुरादाबाद, बरेली एवं प्रयागराज।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदांयू, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज वन प्रभाग को वृक्षों की लाटों को सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम को उपलब्ध कराने हेतु। उ0प्र0 कैम्पा में कुल रू0 19,67,66,109.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, जिसका यू0टी0आर0 संख्या–MAHBR52022072812532498 है, उक्त जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल पर भी परिलक्षित हो रही है, जिसकी छायाप्रतियां संलग्न है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2022

Agency Name.	UPEIDA (GANGA EXPRESSWAY)
Application No.	61144793576
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/295/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Uttar Pradesh-226010Lucknow
Amount(In Rs)	196766109/-

Amount in Words :Nineteen Crore Sixty-Seven Lakh Sixty-Six Thousand One Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061144793576 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2022

Agency Name.	UPEIDA (GANGA EXPRESSWAY)
Application No.	61144793576
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/295/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Uttar Pradesh-226010 Lucknow
Amount(in Rs)	196766109/-

Amount in Words :Nineteen Crore Sixty-Seven Lakh Sixty-Six Thousand One Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061144793576 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

TR:- MAHBR52022072812532498

Online payment history made by User Agency under CAMPA

= Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/144793/2021 (../Viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/144793/2021) Construction of 6 Lane 'Ganga Expressway' (Expandable upto 8 Lane), an access controlled Green field Expressway in district Meerut, Hapur, Bulandshar, Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raibareli, Partapgarh & Prayagraj. (CH 7+900-CH 606+842 Km) total length 593.947 Kms.	ROAD144793202157(6	1144793576	16 Jun 2022	CA: 75931832/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1168939952/- , Boundary Pillars/Demarcation : 3940325/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1960661056/-	Paid	Fund Demand Verified by :22 Jul 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :25 Jul 2022 Transaction Date :28 Jul 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21072022113254907I0_FPUPROAD144793202I_User_Fund_Demanded_45751.pdf) Generated Challan (../ChallAccount/Left_Challan.aspx?pid=ROAD144793202157(6)

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/) my GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC

(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact IFCCD, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–5

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 7,59,31,832.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–6

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के आदेश के क्रम में संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 11,68,93,952.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–7

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–8

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रनाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
[illegible] अधिकारी
[illegible], सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–9

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–9 के अनुसार जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–10

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–10 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–11

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–11 के अनुसार पटरियों एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग, रायबरेली

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–12

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–13

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–14

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–14 के अनुसार Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग, [illegible]।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–15

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–16

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–17

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–17 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–18

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.C.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–19

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ वन प्रभाग, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–20

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–21

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–22

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग, [illegible]

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–23

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–24

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–25

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग, शामली।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ
(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव वन प्रभाग, उन्नाव।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–27

इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग के स्तर से किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–28 के अनुसार मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए समस्त जनपदों में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का विस्तृत प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधि
गंगा एक्सप्रेसवे परियोज
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–29

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–29 के अनुसार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या– 2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एंव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–30

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–30 के अनुसार Forest (Conservation) Act, 1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
अम्बाला वन प्रभाग, अम्बाला।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–31

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–31 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर–जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–32

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–32 के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त समस्त धनराशि रू0 19,67,66,109.00 को परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,06,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,61,16,500.00	6,49,22,064.00	21,86,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	चित्रकूट	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
योग		7,59,31,832.00	11,68,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–33

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–33 के अनुसार सम्बन्धित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा), लखनऊ द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु जनपद सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित बाधक 4023 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/144793/2021) के सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि याचक विभाग द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
चन्दौसी रेंज (सम्भल)

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

कार्यालय वन सरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्याः- 1416 / 14-1, बरेली, दिनांक, 21 /अक्टूबर/2022

सेवा में,

Also.
DS
C&Nodal
28/10/22

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2746 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47256 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 8.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 24.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों /पौधों क पातन की अनमति के सम्बन्ध में

सन्दर्भः- आपका पत्रांक 12/75/11 सी दिनांक 07-10-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यूपी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16-06-2022 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अनुपालन आख्या इस कार्यालय द्वारा आपको प्रेषित की गयी थी। जिस पर भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या अभिलेखों सहित चाही गयी है। जिसे प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहाँपुर ने अपने पत्रांक 1176/14-1 दिनांक 14-10-2022 (संलग्नक-01) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार संलग्नक सहित संलग्न कर संस्तुति सहित तीन प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित की जा रही है।

Cn..	Condition's	Status of Complience
1	भारत सरकार की शर्त सं0-1, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31 की अनुपालना के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नही है।	भारत सरकार की शर्त सं0-1, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31 की अनुपालना के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता प्रमाण पत्र चार प्रतियों में प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है। (संलग्नक-1 से 16)
2	भारत सरकार की शर्त संख्या-3(5) की अनुपालना के क्रम में रायबरेली वन प्रभाग में प्रयोक्ता एजेन्सी की अनुपालन आख्या में गलत अंकित है तथा शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत चित्रकूट वन प्रभाग में प्रस्तावित सी ए का विवरण शर्त संख्या- 3(4) में अंकित नही है।	विषयक प्रकरण में शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 865 वृक्षों का पातन प्रस्तावित था। प्रकरण में समेकित प्रस्ताव में कुल 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रस्तावित थी, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी अवनत वन भूमि चित्रकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित थी, जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा कुल रू0 37204600-00 की धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-17)
3	भारत सरकार की शर्त संख्या-24 एवं 25 की पूर्ण अनुपालन आख्या संलग्न नही की गयी है।	भारत सरकार की शर्त संख्या-24 एवं 25 के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18 व 19)

4	भारत सरकार की शर्त संख्या–29 के कम में अनुपालन आख्या एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नही है।	भारत सरकार की शर्त संख्या–29 के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–20)
5	भारत सरकार की शर्त संख्या–33 के कम में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के ऑनलाइन परिपेक्ष पोर्टल पर अपलोड नही है।	भारत सरकार की शर्त संख्या–33 के कम में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के ऑनलाइन परिपेक्ष पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। कार्यदायी संस्था का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–21)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार (तीन प्रतियों में)

भवदीय,

(विजय सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– (1)/14–1, दिनॉकित।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 1176/14–1 दिनांक 14–10–2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, उन्नावको संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(विजय सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 1176/14-1 शाहजहांपुर, दिनांक, 14/10/2022

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2746 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47253 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ मे प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 24.4716 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों /पौधों क पातन की अनमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0 सी0/133 दिनांक 16-06-2022, मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ का पत्रांक 12/75/11 सी दिनांक 07-10-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के क्रम में विषयक प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, जो कार्यदायी संस्था के पत्रांक 5206/1832/यूपीडा/वन दिनांक 06-10-2022 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो चार प्रतियों में संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वांछित आख्या अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

Condition No	Condition's	Status of Complience
1	भारत सरकार की शर्त सं0-1, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31 की अनुपालना के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नही है।	भारत सरकार की शर्त सं0-1, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31 की अनुपालना के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता प्रमाण पत्र चार प्रतियों में प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है। (संलग्नक-1 से 16)
2	भारत सरकार की शर्त संख्या-3(5) की अनुपालना के क्रम में रायबरेली वन प्रभाग में प्रयोक्ता एजेन्सी की अनुपालन आख्या में गलत अंकित है तथा शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत चित्रकूट वन प्रभाग में प्रस्तावित सी ए का विवरण शर्त संख्या- 3(4) में अंकित नही है।	विषयक प्रकरण में शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 3.907 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 865 वृक्षों का पातन प्रस्तावित था। प्रकरण में समेकित प्रस्ताव में कुल 30.8224 हे० संरक्षित वन भूमि प्रस्तावित थी, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी अवनत वन भूमि चित्रकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित थी, जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा कुल रु0 37204600-00 की धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-17)
3	भारत सरकार की शर्त संख्या-24 एवं 25 की पूर्ण अनुपालन आख्या संलग्न नही की गयी है।	भारत सरकार की शर्त संख्या-24 एवं 25 के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18 व 19)

Condition No	Condition's	Status of Compliance
4	भारत सरकार की शर्त संख्या–29 के कम में अनुपालन आख्या एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नही है।	भारत सरकार की शर्त संख्या–29 के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–20)
5	भारत सरकार की शर्त संख्या–33 के कम में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड नही है।	भारत सरकार की शर्त संख्या–33 के कम में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। कार्यदायी संस्था का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–21)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

उक्तदिनांकित।

पत्रांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, बरेली, उ0 प्र0।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, उन्नाव।

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः- 1077 / 14-1, बरेली, दिनांक, 21 /सितम्बर/2022

सेवा में,

TC
for Submit
to E-FINodal
S.A.O.
27/09/22

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2746 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.562 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ मे प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 885 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 24.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों /पौधों क पातन की अननति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0 सी0/133 दिनांक 16-06-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यूपी/06/295/2022/एफसी/133, दिनांक 16.06.2022 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहाँपुर ने अपने पत्रांक 772/14-1 दिनांक 13-09-2022 (संलग्नक-01) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्न कर संस्तुति सहित तीन प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित की जा रही है।

CNo	Condition's	Status of Complience
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त संख्या-01 के आलोक में कार्यदायी संस्था का पत्रांक 4095/1832/यूपीडा/22(1) दिनांक 26-08-2022 संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रभाग से वांछित नहीं है।
3	Compendatrory afforestation shall be taken up by the Forest Deaprtment in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in District Amroha, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The detail of aren for CA is as follow :-	प्रभाग से वांछित नहीं है।

Sl. No.	Detail of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1	Land of Revenue Department of compartment/Survey No.	1.680	Amroha

	District- Raibareily	
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of theIndian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	प्रभाग से वांछित नहीं है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कार्यवाही चित्रकूट वन विभाग द्वारा की गयी है। वांछित सूचना प्रकरण में नामित नोडल अधिकारी प्रभागीय निदेशक, उन्नाव द्वारा संकलित की जायेगी।
6	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of the Honable Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/ 1998- (Pt.II) Dt. 18-/09/2003, As well as letter No. 5-2/2006-FC Dt. 03/10/2006 and 5-3/2007- FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 3.907 है0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य @ 9.57780 लाख (नौ लाख सत्तावन हजार सात सौ अस्सी मात्र) प्रति है0 की दर से रू0 3742046.00 (रू0 सैंतीस लाख बयालीस हजार छियालीस मात्र) को ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जायेगी। (संलग्न–1 के अनुसार)
7	Additional amount of the NPV of the deiverted forest land, if nay becoming due after finalization of the sasme by the Honable Supreme Court of India o recipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the Satate Government from the User Agency. The User Agency shall an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में यदि एन0 पी0 वी0 की दरों में राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा कोई भी बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। संलग्नक–1 के शर्त संख्या–7 में उल्लिखित है।
8	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees /minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–7 के आलोक में अवलेख किया गया है कि गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षो का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0 प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। संलग्नक–1 के अनुसार)
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Complete compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृ0 संख्या–32 पर संलग्न है।

		भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम –1980 का उल्लंघन नही किया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देशों के क्रम में पटरियों एवं मीडियन पर आइ आर सी गाइड लाइन एवं एन जी टी के द्वारा ओ ए नं0–27/2015 से आच्छादित बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16–11–2015 के अनुसार वृक्षारोपण कराया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–12 में दिये गये निर्देशों के क्रम में वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अन्तराल पर गति नियंत्रित करने वाले सांकेतक लगाया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/ NBWL/ FAC/ REC	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–13 के आलोक मे CWLW/ NBWL/ FAC/ REC की सस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपर्युक्त अन्डर / ओवरपास का निर्माण कराया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
14	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–14 के आलोक मे Enviromental clearance EC Identification No. EC22A034UP189577 Dt. 13-07-2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। (संलग्नक –1 के अनुसार)
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–15 के आलोक मे भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–16 के आलोक मे वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नही किया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)

		(वन्य जीव उ0 प्र0) को यूपीडा के पत्रांक 2114/1832/यूपीडा/22(1) दिनांक 18-06-2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है। (संलग्नक-2 के अनुसार)
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के शर्त संख्या-25 के आलोक मे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0 प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध मे यूपीडा के पत्रांक 2526/18-32/यूपीडा/22(1) दिनांक 01-07-2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0 प्र0 से प्रॉक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रकियाधीन है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	प्रभाग से वांछित नही है।
27	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	प्रभाग से वांछित नही है।
28	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के शर्त संख्या-28 के आलोक मे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग, जिस पर hydrological regimes से गुजर रहा है। यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटरबाडी, चैनलस और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध न हो तथा माईक्रोवार शेडस में जल का प्रवाह आबाधित रहे, के सम्बन्ध मे अनुमोदन चाहा गया था। जो संलग्नक-1 के साथ संलग्नक क्रास ड्रेनेज वर्कस की सूची अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है।(संलग्नक-3 के अनुसार)
29	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted	इस वन प्रभाग से वांछित नही है।
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के शर्त संख्या-30 के आलोक मे उल्लेख किया गया है परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नही करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार

		क अनुसार)
31	Any other condition that the Ministry of Enviroment, Forest & Climate may stipulate from time to time in the interest or conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–31 के आलोक मे भारत सरकार के पर्यावरण वन एवंज लवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी। उसका अनुपालन करेगा। (संलग्नक–1 के अनुसार)
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transforred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–32 के आलोक मे समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर जमा की जायेगी। (संलग्नक–1 के अनुसार)
33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–33 के आलोक मे सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी। (संलग्नक–1 के अनुसार)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार (तीन प्रतियों में)

भवदीय,

(विजय सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– (1)/14–1, दिनांकित।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निर्देशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 772/14–1 दिनांक 13–09–2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्रांक 772/14-1 शाहजहांपुर, दिनांक, 13/09/2022

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2748 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 24.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों /पौधों के पातन की अनमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यूपी0/08/285/2021/एफ0 सी0/133 दिनांक 16-06-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति के समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप पत्र में चार प्रतियों में संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वांछित आख्या अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

Condition No	Condition's	Status of Complicance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त संख्या-01 के आलोक में कार्यदायी संस्था का पत्रांक 4095/1832/यूपीडा/22(1) दिनांक 26-08-2022 संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रभाग से वांछित नहीं है।
3	Compensatrory afforestation shall be taken up by the Forest Deaprtment in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in District Amroha, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The detail of area for CA is as follow :-	प्रभाग से वांछित नहीं है।

Sl. No.	Detail of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1	Land of Revenue Department of compartment/Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil Hasanpur, Distric-Amroha	1.680 (NFL)	Amroha
2	Gata No. 2797 of village Benhdurkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi	4.0552 (NFL)	Hardoi

Condition's				Status of Compliance
				प्रमाण से वांछित नहीं है।
3	Khasara no. 849, 2075d mi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no.235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasanganj, Distt-Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252 Kha, in Tauhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no. 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487 506, 496, 1973, in parthyawa Village, Tehsil Hasanganj Distt-Unnao. Khasra No. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Ruau Village, Tehsil- Unnao, District-Unnao. Khasra No. 4,5,6,7,8,9,10,11, 12,26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37,38,39,40 Mi, 41, 42 in katari Majhra Bhikhna Tehsil- Unnao, District- Unnao. Khasra No. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 K, 539 Kha, 540, 541, 542, 543Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehseel Shafipur Distt- Unnao, Khasra No. 395K 398, 393 Kha in Makhdumpur Village, Tehseel Hasanganj, Distt-Unnao	61.5 (NFL) 61.5 (NFL)	Unnao	
4	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dudri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrkoot	
5	Gata No. 11, 12, 51, 52, 61, 142 144, 145, 147, 622, 624 630, 633, 643, 644, & 645 mi Village Haripur, Tehsil- Lalganj, District- Raibareily	37.2310 (NFL)	Raibareily	
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of theIndian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.			प्रमाण से वांछित नहीं है।

S. No	Condition's	Status of Compliance
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कार्यवाही चित्रकूट वन विभाग द्वारा की गयी है। वांछित सूचना प्रकरण में नामित नोडल अधिकारी प्रभागीय निदेशक, उन्नाव द्वारा संकलित की जायेगी।
6	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of the Honable Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/ 1998- (Pt.II) Dt. 18-/09/2003, As well as letter No. 5-2/2006-FC Dt. 03/10/2006 and 5-3/2007- FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 3.907 है0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य @ 9.57780 लाख (नौ लाख सतहत्तर हजार सात सौ अस्सी मात्र) प्रति है0 की दर से रु0 3742046.00 (रु0 सैंतीस लाख बयालीस हजार छियालीस मात्र) को ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जायेगी। (संलग्न–1 के अनुसार)
7	Additional amount of the NPV of the deiverted forest land, if nay becoming due after finalization of the sasme by the Honable Supreme Court of India o receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the Satate Government from the User Agency. The User Agency shall an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में यदि एन0 पी0 वी0 की दरों में राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा कोई भी बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। संलग्नक–1 की शर्त संख्या–7 में उल्लिखित है।
8	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees /minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–7 के आलोक में अवगत कराया गया है कि गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर चूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0 प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन [illegible] यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। संलग्नक–1 के अनुसार)
9	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Complete compliance of the FRA. 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पेज संख्या–32 पर संलग्न है।
10	No Violation of FCA Certificate from concerned DFO Shall be provided	शाहजहाँपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम –1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देशों के क्रम में घटरियों एवं मीडियन पर आई आर सी गाइड लाइन एवं [illegible] के द्वारा ओ ए नं0–27/2015 से आच्छादित बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16–11–2015 के अनुसार [illegible] जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–12 में दिये गये निर्देशों के क्रम में वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अन्तराल पर गति नियंत्रित करने वाले साईनेज लगाया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/ NBWL/ FAC/ REC	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–13 के आलोक में CWLW/ NBWL/ FAC/ REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपर्युक्त अण्डर / ओवरपास का निर्माण कराया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)

14	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अंतर्गत शर्त संख्या–14 के आलोक में Enviromental clearance EC Identification No. EC22A034UP189577 Dt. 13-07-2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। (संलग्नक –1 के अनुसार)
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–15 के आलोक में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–16 के आलोक में वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नही किया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
17	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–17 के आलोक में उ0 प्र0 वन विभाग /वन निगम डिपो के स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।(संलग्नक –1 के अनुसार)
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	वन प्रभाग से बाधित नही है।
19	No Additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–19 के आलोक में परियोजना के कार्यो के लिये निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नही बनाया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–20 के आलोक में परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी। (संलग्नक –1 के अनुसार)
21	The forest land shall not be used for any other purpose other than that specified in the project proposal	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–21 के आलोक में परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिये नही किया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–22 के आलोक में परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and to be diverted, the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–23 के आलोक में परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यो को अपलोड कर दिया जायेगा। (संलग्नक –1 के अनुसार)
24	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–24 के आलोक में परियोजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डाल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन [illegible] व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव उ0 प्र0) की यूपीडा के पत्रांक 2114/1832, यूपीडा/22(1) दिनांक 18-06-2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है। (संलग्नक–2 के अनुसार)
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–25 के आलोक में परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0 प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2528/18-32/यूपीडा/22(1) दिनांक 01-07-2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0 प्र0 से प्रोक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non	प्रभाग से बाधित नही है।

	forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	
	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	प्रमाण से वांछित नहीं है।
28	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–28 के आलोक मे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग, जिस पर hydrological regimes से गुजर रहा है। यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटरबाडी, चैनलस और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध न हो तथा माईक्रोवार शेडस मे जल का प्रवाह आबाधित रहे, के सम्बन्ध मे अनुमोदन चाहा गया था। जो संलग्नक–1 के साथ संलग्नक क्लास ड्रेनेज वर्क्स की सूची अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। (संलग्नक–3 के अनुसार)
29	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted	इस वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–30 के आलोक मे उल्लेख किया गया है परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नही करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
31	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–31 के आलोक मे भारत सरकार के पर्यावरण वन एवंज लवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी। उसका अनुपालन करेगा। (संलग्नक–1 के अनुसार)
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–32 के आलोक मे समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर जमा की जायेगी। (संलग्नक–1 के अनुसार)
33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के शर्त संख्या–33 के आलोक मे सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी। (संलग्नक–1 के अनुसार)

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

पत्रांक /14-1 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– मुख्य वन संरक्षक/गोकुल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, बरेली, उ0 प्र0।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, उन्नाव।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

यूपीडा
सी-13, हिमांचल मार्ग, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
0522-2307542 / 2307562, फैक्स: 0522-4013590, इमेल upelda2@gmail.com

पत्रांक 4075 1832 / यूपीडा / 22(वन) दिनांक 26 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
शाहजहाँपुर वन प्रभाग,
शाहजहाँपुर।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एव बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 295 / 2021 / एफ0सी0 / 133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या–3609 / 11–सी–FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदया,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मे वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

Sl. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप (Legal status) अपरिवर्तित रहेगा।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित वन प्रभागों को गैर वन भूमि (NFL) हस्तांतरित करने के उपरान्त ही वन भूमि प्राप्त करेगा।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroga, Hardoi, Unnao, Raibreily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follows:-	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा इस आशय की वचन बद्धता देता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के NFL एवं DFL क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा प्रदत्त धन से कराया जावेगा एवं क्षेत्रीय प्रजातियों का मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment /Survey No. Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil	1.680 (NFL)	Amroha

	Amroha.		
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd, Tehsil Sandila, District Hardoi.	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 2075dmi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, District Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasangaj, Sist- Unnao. Khasara no. 139D, 132, 122, 142Chha, in Godwa village, Tehsil Hasanganj, Dist-Unnao. Khasara no. 149, 151, 159Chha, 241, 247, 252Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj Dist-Unnao. Khasara no 1527, 1531Kha, 462K, 344, 448G, 487, 506, 496, 1973 in Purhuawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 3,4,5,6, 7, 8,9,10,11,12,26, 27,28,29,30,3	61.5 (NFL) (30 हे0 ऊसर भूमि एवं 31.5 हे0 सामान्य भूमि)	Unnao

		7,38, 39,40 Mi,41,42 in Katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist-Unnao. Khasara no. 530,531,532,533, 534,535,536K, 539Kha, 540,541, 542,543 Mi, in Rooppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil, Saphipur, Dist-Unnao. Khasara no. 395K, 398,393Kha, in Makhdumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao		
	4.	Kota Kaindla Val Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
	5.	Gata No. 11,12,51, 52,61,142,144,145, 147, 622,624,630, 633,643,644 &645mi Village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily.	27.2310 (NFL)	Raibareily
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.		प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को औद्योगिक विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/77–3– 2022–32 (एम)/2022 दिनांक 19.07.2022 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या– 3826/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 11.08.

(अजय [illegible])
डिप्टी कलेक्टर/उपजिला अधिकारी
गंगा एक्सप्रेस परियोजना
यूपीडा, रायबरेली

		संरक्षकों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एंव वन बन्दोबस्त, उ0प्र0 को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–1)।**
5.	The coast of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक देख–रेख के लिए रू0 **7,59,31,832.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है, जो कि परिवेश पोर्टल पर परिलक्षित हो रहा है। किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | सी0ए0 योजना की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. अमरोहा | 1.880 (NFL) | 10,23,000.00 2. हरदोई | 4.0552 (NFL) | 31,83,390.00 3. उन्नाव | 61.50 (NFL) | 2,61,16,500.00 4. चित्रकूट | 62.00 (DFL) | 3,72,04,600.00 5. रायबरेली | 27.231 (NFL) | 84,04,342.00 योग | 7,59,31,832.00
6.	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06/01/2022 and 19/01/2022 shall be deposited by User Agency in this regard.**	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 **11,68,93,952.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:– **क्र0 सं0 | वन प्रभाग का नाम | क्षेत्रफल (हे0 में) | NPV की कुल धनराशि (रू0 में)** 1. झाँसी | 2.0342 | 24,99,198.00 2. अमरोहा | 1.5800 | 16,09,070.00 3. सम्भल | 4.0520 | 38,80,925.00 4. बदायूं | 4.9257 | 47,17,737.00 5. शाहजहाँपुर | 3.9070 | 37,42,046.00 6. हरदोई | 6.2873 | 60,21,851.00 7. उन्नाव | 67.7839 | 9,49,22,054.00 8. रायबरेली | 29.7265 | 2,84,71,543.00 9. प्रतापगढ़ | 1.0749 | 10,29,518.00 योग | 121.4716 | 11,68,93,952.00
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report of the Expert Committee of the same by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8.	User Agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।
9.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के द्वारा FRA, 2006 के [illegible]

	The Notification of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
11.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State for Rajasthan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत शर्त संख्या–11 में दिये गये निर्देश के क्रम में पटरियो एवं मीडियन पर आई0आर0सी0 गाईड लाईन एवं एन0जी0टी0 के द्वारा ओ0ए0 नं0 7/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 16.11.2015 के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।
13.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का Environment Clearance EC Identification no. EC22A034UP189577 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।
17.	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 39,40,325.00 का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है, उक्त का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन की कुल धनराशि (रू0 में)
1.	अमरोहा	1.680 (NFL)	3,80,000.00
2.	हरदोई	4.0562 (NFL)	1,08,325.00
3.	उन्नाव	81.50 (NFL)	21,66,500.00
4.	सावरेली	27.231 (NFL)	12,86,500.00
		योग	39,40,325.00

(अरुण कुमार राय)
वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

19.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं

22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt. Of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
23.	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ई–ग्रीन पोर्टल पर सभी निर्दिष्ट कार्यों को अपलोड कर दिया जायेगा।
24.	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है **(संलग्नक–2)**
25.	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is Non Forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	इस शर्त का अनुपालन उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
27.	The DFO shall certify that 1.68 ha of non-forest land proposed for CA in Amroha District is contiguous to the Forest land.	इस शर्त का अनुपालन अमरोहा वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
28.	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए शाहजहाँपुर जनपद में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की सूची प्रमाण पत्र सहित संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, शाहजहाँपुर वन प्रभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।
29.	The Non Forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted. (अलख कुमार राय) डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना यूपीडा, लखनऊ	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या–2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है **(संलग्नक–3)**।
30.	Violation of any of these conditions will	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा

	be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018.	Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
31.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।
32.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी यूपीडा के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित कैम्पा से सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के आधार पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	CA की कुल धनराशि (रू0 में)	NPV की कुल धनराशि (रू0 में)	बाउन्ड्री पिलर आदि की कुल धनराशि (रू0 में)	कुल धनराशि (रू0 में)
1.	हापुड़	00	24,99,198.00	00	24,99,198.00
2.	अमरोहा	10,23,000.00	16,09,070.00	3,80,000.00	30,12,070.00
3.	सम्भल	00	38,80,925.00	00	38,80,925.00
4.	बदायूं	00	47,17,737.00	00	47,17,737.00
5.	शाहजहाँपुर	00	37,42,046.00	00	37,42,046.00
6.	हरदोई	31,83,390.00	60,21,851.00	1,08,325.00	93,13,566.00
7.	उन्नाव	2,81,16,600.00	6,49,22,064.00	21,66,500.00	9,32,05,064.00
8.	रायबरेली	84,04,342.00	2,84,71,543.00	12,85,500.00	3,81,61,385.00
9.	प्रतापगढ़	00	10,29,518.00	00	10,29,518.00
10	बिजनौर	3,72,04,600.00	00	00	3,72,04,600.00
	योग	7,59,31,832.00	11,66,93,952.00	39,40,325.00	19,67,66,109.00

33.	The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in)	अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307642 / 2307652, ईमेल upelda2@gmail.com

पत्रांक 3826 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 11 अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में यूपीडा के द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित गैर वन भूमि को स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति के पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

सदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–04 पर निम्न शर्त अधिरोपित की गयी है:–

"The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval."

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार गैर वन भूमि उ0प्र0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी है, खतौनियों की प्रतियाँ सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
वन विभाग को नामांतरित एवं हस्तांतरित किये गये गैर वन भूमि का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0मे)	कुल क्षेत्रफल (हे0मे)	औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या व दिनांक	खतौनी में संलग्न नामांतरण एवं हस्तांतरण तिथि	खतौनी
1.	उन्नाव	हसनगंज	शकरपुर	235	5.1480	5.1480	आदेश संख्या–1004 / 77–3–2022–32(एम) / 2022 दिनांक 19.07.2022 (संलग्नक–1)	22.07.2022	संलग्नक–2
2.			गोडवा	1398	2.618	5.3010		22.07.2022	संलग्नक–3
				132	2.004				
				122	0.430				
				1429	0.249				
			तालही	149	0.1200	2.3110		22.07.2022	संलग्नक–4
				151	0.4300				
				1669	0.3010				
				241	0.7000				
				247	0.4700				
				2523	0.2900				
			मखदूम	395क	0.5060	1.7220		22.07.2022	संलग्नक–5
				396	0.0130				
				393क	0.7710				
				395ख	0.4320				

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

5.	उन्नाव		पुरव्यावीं	1527	0.0527	5.3517			22.07.2022	संलग्नक–6
				1531ख	0.6340					
				462क	0.0060					
				344	0.0510					
				448ग	0.2590					
				487	0.2530					
				506	0.4680					
				496	0.3150					
				1973	3.3130					
						योग	19.8337			
6.			रूपऊ	3860	1.1360	5.5100			21.07.2022	संलग्नक–7
				3881	1.0750					
				3935	2.1930					
				3934	0.6510					
				3917	0.4530					
7.			क0 माझरा मिसना	3	0.560	15.4200			21.07.2022	संलग्नक–8
				4	0.140					
				5	0.660					
				6	0.320					
				7	0.700					
				8	0.180					
				9	0.160					
				10	0.100					
				11	0.170					
				12	0.320					
				28	0.350					
				27	0.210					
				26	0.350					
				29	0.650					
				30	0.110					
				31	0.180					
				32	0.170					
				33	0.410					
				34	2.550					
				35	0.450					
				36	0.400					
				37	0.160					
				38	0.520					
				39	0.650					
				40मि0	4.4008					
				41	0.320					
				42	0.250					
						योग	20.9300			
8.				530	1.4500					
		रूपपुर बन्देला		531	1.5800					
			एहतमाली	532	0.3300					
		राजीपुर				15.9620			22.07.2022	संलग्नक–9

(उमेश कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
पूर्णिया, 22.07.2022

				534	0.1700				
				535	2.2200				
				536क	0.2500				
				539ख	0.7100				
				540	4.6000				
				541	1.5000				
				542	0.5000				
				543मि0	2.1920				
9.		बागरमऊ	डेंथौली	849	3.3160	4.6370		22.07.2022	संलग्नक–10
				1075ड (मि0)	1.3210				
	उन्नाव जनपद का कुल योग					61.3627			
10	रायबरेली	लालगंज	हरीपुर	11मि0	0.2400	27.2310		21.07.2022	संलग्नक–11
				12मि0	0.2400				
				51मि0	0.7330				
				52	0.4360				
				61मि0	1.0370				
				142	0.9990				
				144	0.6450				
				145मि0	15.9530				
				147मि0	1.1250				
				622मि0	0.8640				
				624मि0	0.8980				
				630मि0	0.2530				
				633मि0	2.4590				
				643मि0	0.5060				
				644	0.5440				
				645	0.4990				
11	हरदोई	सण्डीला	बैहन्दर खुर्द	2797ख मि0	4.0552	4.0552		25.07.2022	संलग्नक–12
12	अमरोहा	हसनपुर	दौलतपुर जनूबी	168	0.691	1.6800		22.07.2022	संलग्नक–13
				166	0.821				
				165मि0	0.168				
					महायोग	94.3289			

भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त–4 के अनुपालन में उक्त सारिणी में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करते हुए नोटिफिकेशन की प्रति भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है, भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्नक–14 के रूप में सलग्न है। नोटीफिकेशन निर्गत होने के पश्चात ही स्टेज–2 की विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। अतः प्राथमिकता के आधार पर नोटिफिकेशन निर्गत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

(अरुण कुमार राय)
जिला मजिस्ट्रेट/अधिकृत अधिकारी

2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को समस्त संलग्नकों सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अरुण कुमार राय)
जिला कलेक्टर/जनपद अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
सुल्तानपुर

यूपीडा
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307692, इमेल upeide2@gmail.com

पत्रांक 2 / 14 / 1832 / यूपीडा / 21(वन) दिनांक 18 जून, 2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेन्स के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उद्धृत शर्त संख्या–24 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक–8बी / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति आदेश में उद्धृत शर्त संख्या–24 में निम्न तथ्य उल्लिखित हैः–

"Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency."

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी ने भी आपसे दूरभाष पर Gangetic Dolphin Conservation Plan बनाकर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त प्लान यथाशीघ्र बनाकर यूपीडा को प्रेषित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही वांछित धनराशि को किस मद में हस्तांतरित करना है से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

(आशुतोष कुमार वर्मा)
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Cross Drainage Works Provisioned on Ganga Expressway-District Shahjahanpur

To ensure unhindered flow of natural water across Expressway

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
1	Shahjahanpur	Tilhar	Ghasa Kalyanpur	224+230	Stream/ Nallah,Branch of Ram Ganga	Minor Bridge (Span<60 m)
2	Shahjahanpur	Tilhar	Ghasa Kalyanpur	224+790	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
3	Shahjahanpur	Tilhar	Rampur	225+120	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
4	Shahjahanpur	Tilhar	Raparia	226+160	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
5	Shahjahanpur	Tilhar	Dharam Ghasa	227+305	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
6	Shahjahanpur	Tilhar	Khiraia Ratan	228+150	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
7	Shahjahanpur	Tilhar	Khiraia Ratan	228+835	Local Drain	3x3 Box Culvert
8	Shahjahanpur	Tilhar	Khiraia Ratan	229+210	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
9	Shahjahanpur	Tilhar	Khamariya	231+000	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
10	Shahjahanpur	Tilhar	Khamariya	231+360	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
11	Shahjahanpur	Jalalabad	Biria Kurd	232+080	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
12	Shahjahanpur	Jalalabad	Harchachor a Mohania Mahura	233+410	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
13	Shahjahanpur	Jalalabad	Sahora	235+100	Local Drain	3x3 Box Culvert
14	Shahjahanpur	Jalalabad	Naniara	235+947	River,Andhoi River	Minor Bridge (Span<60 m)
15	Shahjahanpur	Jalalabad		237+071	Local Drain	3x3 Box Culvert
16	Shahjahanpur	Jalalabad	Dari Gulau	238+190	River,	Major Bridge (Span>60 m)
17	Shahjahanpur	Jalalabad	Dari Gulau	239+200	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
18	Shahjahanpur	Jalalabad	Dari Gulau	240+055	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
19	Shahjahanpur	Jalalabad	Chamrpura Khurd	240+910	Local Drain	3x3 Box Culvert
20	Shahjahanpur	Jalalabad	Chamarpur Kalan	242+125	Stream/ Nallah,	Minor Bridge (Span<60 m)
21	Shahjahanpur	Jalalabad	Chamarpur Kalan	242+710	Local Drain	Dbl Cell Hume Pipe Culvert
22	Shahjahanpur	Jalalabad	Peeru	243+610	Local Drain	Dbl Cell Hume Pipe Culvert
23	Shahjahanpur	Jalalabad	Peeru	244+210	Local Drain	3x2 Box Culvert

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(अनुराग अग्रवाल)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(राजन कुमार राय)
जिला कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water body Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
24	Shahjahanpur	Jalalabad	Badakher	245+550	Local Drain	Dbl Cell Hume Pipe Culvert
25	Shahjahanpur	Jalalabad	Khunta	246+520	Local Drain	Dbl Cell Hume Pipe Culvert
26	Shahjahanpur	Jalalabad	Khunta	247+260	Canal,	Minor Bridge (Span<60 m)
27	Shahjahanpur	Sadar	Udrapur	247+900	Local Drain	3x3 Box Culvert
28	Shahjahanpur	Sadar	MDRSW, Khajuria	248+990	Local Drain	3x3 Box Culvert
29	Shahjahanpur	Sadar	Atibara	249+320	Canal,	Minor Bridge (Span<60 m)
30	Shahjahanpur	Sadar	Sahajana Taluke Aamkheda	249+710	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
31	Shahjahanpur	Sadar	Sahajana Taluke Aamkheda	250+000	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
32	Shahjahanpur	Sadar	Sahajana Taluke Aamkheda	250+950	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
33	Shahjahanpur	Jalalabad	Chanoura Bahadurpur	251+742	Local Drain	3x3 Box Culvert
34	Shahjahanpur	Jalalabad	Jignera	252+110	Local Drain	3x3 Box Culvert
35	Shahjahanpur	Jalalabad	Jignera	252+418	Canal+Road,	Minor Bridge with-Underpass
36	Shahjahanpur	Jalalabad	Dhaka T. Ujera	253+232	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
37	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	254+201	WSA_Approach,	HPC_WSA
38	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	254+202	WSA_Approach,	HPC_WSA
39	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	254+657	Local Drain	3x3 Box Culvert
40	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+163	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
41	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+164	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
42	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+165	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
43	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+166	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
44	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+169	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
45	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+170	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
46	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+171	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert

(ए.के.गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
व.प्र एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहांपुर

(अनुराग अवस्थी)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(विजय कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
47	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+172	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
48	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+173	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
49	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+174	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
50	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+176	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
51	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+177	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
52	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+178	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
53	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+179	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
54	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+180	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
55	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+370	Local Drain	3x2 Box Culvert
56	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+910	Local Drain	3x3 Box Culvert
57	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	257+220	Local Drain	3x3 Box Culvert
58	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	257+521	Canal+Road,	Minor Bridge with-Underpass
59	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	258+050	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
60	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	258+544	Canal+Road,	Minor Bridge with-Underpass
61	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	258+960	Local Drain	4x2 Box Culvert
62	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	259+456	Local Drain	3x3 Box Culvert
63	Shahjahanpur	Jalalabad		260+657	Local Drain	3x3 Box Culvert
64	Shahjahanpur	Jalalabad	Nagla Naath	261+324	Canal,	Minor Bridge (Span<60 m)
65	Shahjahanpur	Jalalabad	Kulnya T. Chauki	262+530	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
66	Shahjahanpur	Jalalabad	Hajnareh	263+185	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
	Note:-	Balancing Culvert is provided in fields where no defined drainage/channel exists. To ensure waterlogging doesn't occur along the road.				

Certified that adequate number of Cross Drainage Structures have been provisioned to ensure that the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road.

(प्रकार गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अनुराग अरुधाना)
महाप्रबन्धक
गंगा एक्सप्रेसवे

(विनय प्रकाश)
मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)
यूपीडा

29/8

वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक (सिविल) (सिद्धिविनायक कुमार राय)
यूपीडा
चीफ कंसल्टेंट/अधिशासी अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307562, इमेल upelda2@gmail.com

पत्रांक 2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23 जून, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में यूपीडा के द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित गैर वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्टेज–1 की सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के बिन्दु संख्या–29 पर निम्न शर्त अधिरोपित की गयी हैः–

"The Non Forest land provided for CA n the proposal no. 38153 of Bundelkhand Expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted."

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीडा के द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार गैर वन भूमि उ0प्र0 वन विभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामांतरित की गयी गयी है, जिसके अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध हैः–

क्र0सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	औरैया	औरैया	जैतपुर औरैया	321	4.9300
				322/2मि0	4.0000
				323/3मि0	14.0093
				योग	22.9393
2.	इटावा	इटावा	सराय	1451	0.453
				1436	0.919
				2818ख	2.052
				2739	0.803
				5ग	0.405
				14घ	0.627
				1560ग	2.193
			योग		7.468
3.	जालौन	उरई	बन्धौली	1593/2	4.04
4.	महोबा	महोबा	खन्ना	480मि0	0.8478
				503/2	1.6390
				योग	2.4868
5.	हमीरपुर	राठ	औरासेड़ा	299मि0	9.933
				66मि0	0.717
				योग	10.65
6.	बांदा	बांदा	अछरौड़	261ख	8.00
				योग	55.5741

(अतुल कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा

भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त के अनुपालन में उक्त सारिणी में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित

(क्रमशः)

करते हुए नोटिफिकेशन की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु यूपीडा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ।
4. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(कुमार राय)
जिला कलक्टर/जिलाधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–1

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र देता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–1 के अनुसार सम्बन्धित वन भूमि जो गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी है, का विधिक स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–7

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–7 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की धनराशि अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने पर यदि देयता बनी तो अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–8

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–8 के अनुसार वन भूमि पर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 वन निगम के द्वारा कराया जायेगा। वृक्षों के पातन पर व्यय होने वाली धनराशि यूपीडा के द्वारा वन विभाग/वन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

–:प्रमाण पत्र:–

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, के सम्बंध में प्रस्तावित स्थल पर कार्यदायी संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम –1980 का उल्लंघन नही किया गया है।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–12

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–12 के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र पर नियमित अंतराल पर गति नियंत्रित करने वाले संकेतक (Signage) लगाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–13

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–13 के अनुसार CWLW/NBWL/FAC/REC की संस्तुति के अनुसार वन क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त Under/Over Pass का निर्माण कराया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(दिनेश कुमार की वाजपेयी)
प्रादेशिक निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–15

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–15 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमि के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिनेश कुमार श्रीवास्तव)
प्रादेशिक निदेशक
वन एवं जन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

अरुण कुमार राय
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–16

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–16 के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–17

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–17 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम/विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
झांसी/बांदा

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–18

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–18 के अनुसार बाउन्ड्री पिलर निर्माण/डिमार्केशन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की मांग के अनुसार एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त परिवेश पोर्टल पर स्वतः सृजित ई–चालान के क्रम में रू0 **39,40,325.00** का भुगतान यूपीडा के द्वारा कर दिया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–19

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–19 के अनुसार परियोजना के निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु वन भूमि के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–20

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–20 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम होगी तक होगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार गोयल)
पुलिस निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–21

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–21 के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग परियोजना में इंगित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार शील)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–22

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–22 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(रितीश कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–28

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–28 के अनुसार मार्ग निर्माण के समय प्रस्तावित मार्ग जिस hydrological regimes से गुजर रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करेगा तथा जल, सीजनल ड्रेन्स, वाटर बॉडीज, चैनल्स और स्ट्रीम्स का प्राकृतिक प्रवाह अवरूद्ध न हो तथा माईक्रो वाटर शेड्स में जल का प्रवाह अबाधित रहे।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा शर्त का अनुपालन करते हुए समस्त जनपदो में प्रस्तावित क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का विस्तृत प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहांपुर

Cross Drainage Works Provisioned on Ganga Expressway-District Shahjahanpur

To ensure unhindered flow of natural water across Expressway

Sl No	District	Tehseel	Village	Chainage	Water Body Descriptions Description	Proposed Structure (No of Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
1	Shahjahanpur	Tilhar	Ghasa Kalyanpur	224+230	Stream/ Nallah,Branch of Ram Ganga	Minor Bridge (Span<60 m)
2	Shahjahanpur	Tilhar	Ghasa Kalyanpur	224+790	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
3	Shahjahanpur	Tilhar	Rampur	225+120	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
4	Shahjahanpur	Tilhar	Raparia	226+160	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
5	Shahjahanpur	Tilhar	Dharam Ghasa	227+305	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
6	Shahjahanpur	Tilhar	Khirala Ratan	228+150	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
7	Shahjahanpur	Tilhar	Khirala Ratan	228+835	Local Drain	3x3 Box Culvert
8	Shahjahanpur	Tilhar	Khirala Ratan	229+210	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
9	Shahjahanpur	Tilhar	Khamariya	231+000	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
10	Shahjahanpur	Tilhar	Khamariya	231+360	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
11	Shahjahanpur	Jalalabad	Biria Kurd	232+080	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
12	Shahjahanpur	Jalalabad	Harchachor a Mohania Mahura	233+410	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
13	Shahjahanpur	Jalalabad	Sahora	235+100	Local Drain	3x3 Box Culvert
14	Shahjahanpur	Jalalabad	Nanlara	235+947	River,Andhol River	Minor Bridge (Span<60 m)
15	Shahjahanpur	Jalalabad		237+071	Local Drain	3x3 Box Culvert
16	Shahjahanpur	Jalalabad	Dari Gulau	238+190	River,	Major Bridge (Span>60 m)
17	Shahjahanpur	Jalalabad	Dari Gulau	239+200	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
18	Shahjahanpur	Jalalabad	Dari Gulau	240+055	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
19	Shahjahanpur	Jalalabad	Chamrpura Khurd	240+910	Local Drain	3x3 Box Culvert
20	Shahjahanpur	Jalalabad	Chamarpur Kalan	242+175	Stream/ Nallah,	Minor Bridge (Span<60 m)
21	Shahjahanpur	Jalalabad	Chamarpur Kalan	242+710	Local Drain -	Dbl Cell Hume Pipe Culvert
22	Shahjahanpur	Jalalabad	Peeru	243+610	Local Drain	Dbl Cell Hume Pipe Culvert
23	Shahjahanpur	Jalalabad	Peeru	244+210	Local Drain	3x2 Box Culvert

(दिलीप कुमार दिवाकर)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग

(अनुराग अग्रवाल)
महाप्रबंधक
गंगा एक्सप्रेसवे

S.No	District	Tehsil	Village	Chainage	Description	Spans x Span in m)
1	2	3	4	5	6	7
24	Shahjahanpur	Jalalabad	Badakher	245+550	Local Drain	Dbl Cell Hume Pipe Culvert
25	Shahjahanpur	Jalalabad	Khunta	246+520	Local Drain	Dbl Cell Hume Pipe Culvert
26	Shahjahanpur	Jalalabad	Khunta	247+260	Canal,	Minor Bridge (Span<60 m)
27	Shahjahanpur	Sadar	Udrapur	247+900	Local Drain	3x3 Box Culvert
28	Shahjahanpur	Sadar	MDRSW, Khajuria	248+990	Local Drain	3x3 Box Culvert
29	Shahjahanpur	Sadar	Atibara	249+320	Canal,	Minor Bridge (Span<60 m)
30	Shahjahanpur	Sadar	Sahajana Taluke Aamkheda	249+710	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
31	Shahjahanpur	Sadar	Sahajana Taluke Aamkheda	250+000	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
32	Shahjahanpur	Sadar	Sahajana Taluke Aamkheda	250+950	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
33	Shahjahanpur	Jalalabad	Chanoura Bahadurpur	251+742	Local Drain	3x3 Box Culvert
34	Shahjahanpur	Jalalabad	Jignera	252+110	Local Drain	3x3 Box Culvert
35	Shahjahanpur	Jalalabad	Jignera	252+418	Canal+Road,	Minor Bridge with-Underpass
36	Shahjahanpur	Jalalabad	Dhaka T. Ujera	253+232	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
37	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	254+201	WSA_Approach,	HPC_WSA
38	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	254+202	WSA_Approach,	HPC_WSA
39	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	254+657	Local Drain	3x3 Box Culvert
40	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+163	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
41	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+164	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
42	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+165	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
43	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+166	Loop,On Loops of Interchange	3x3 BC_Loop
44	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+169	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
45	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+170	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
46	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+171	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert

(दिलीप कुमार उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग

					Description	Spans x Span in m)
	2	3	4	5	6	7
47	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+172	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
48	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+173	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
49	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+174	Loop,On Loops of Interchange	Hume Pipe Culvert
50	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+176	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
51	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+177	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
52	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+178	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
53	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+179	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
54	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+180	Parallel SR,On Service Road Parallel to Loop	HPC_ParallelSR
55	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+370	Local Drain	3x2 Box Culvert
56	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	255+910	Local Drain	3x3 Box Culvert
57	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	257+220	Local Drain	3x3 Box Culvert
58	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	257+521	Canal+Road,	Minor Bridge with-Underpass
59	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	258+050	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
60	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	258+544	Canal+Road,	Minor Bridge with-Underpass
61	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	258+960	Local Drain	4x2 Box Culvert
62	Shahjahanpur	Jalalabad	Gularia	259+456	Local Drain	3x3 Box Culvert
63	Shahjahanpur	Jalalabad		260+657	Local Drain	3x3 Box Culvert
64	Shahjahanpur	Jalalabad	Nagla Noath	261+324	Canal,	Minor Bridge (Span<60 m)
65	Shahjahanpur	Jalalabad	Kuinya T. Chauki	262+530	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
66	Shahjahanpur	Jalalabad	Haljnareh	263+185	Balancing Culvert	2x2 Box Culvert
	Note:-	Balancing Culvert is provided in fields where no defined dramage/channel exists. To ensure waterlogging doesn't occur along the road.				

Certified that adequate number of Cross Drainage Structures have been provisioned to ensure that the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road.

प्रभागीय निदेशक
न एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

([illegible])
मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
यूपीडा

हरित मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)
यूपीडा

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–30

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–30 के अनुसार Forest (Conservation) Act, 1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–31

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./08/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–31 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय–समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करेगा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2022

Agency Name.	UPEIDA (GANGA EXPRESSWAY)
Application No.	61144793576
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/295/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Uttar Pradesh-226010Lucknow
Amount(in Rs)	196766109/-

Amount In Words :Nineteen Crore Sixty-Seven Lakh Sixty-Six Thousand One Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906114479357 6/ Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-07-2022

Agency Name.	UPEIDA (GANGA EXPRESSWAY)
Application No.	61144793576
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/295/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	C-13, 2nd Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Uttar Pradesh-226010 Lucknow
Amount(in Rs)	196766109/-

Amount In Words :Nineteen Crore Sixty-Seven Lakh Sixty-Six Thousand One Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906114479357 6 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

ITR-MAHBR52022072812S32498

(दलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहांपुर

17/1

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/144713/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/144713/2021) Construction of 6 Lane 'Ganga Expressway' (Expandable upto 8 Lane), an access controlled Green field Expressway in district Meerut, Hapur, Bulandshahr, Amroha, Sambhal, Badaun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raibareli, Pratapgarh & Prayagraj, (Ch 7+000 to 601+947 Km) total length 593.947 Kms.	ROAD1447932021576	1447933576	16 Jun 2022	CA: 79911833/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- HPV: 116892052/- Boundary Pillars/Demarcation: 39403231/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total : 196756109/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Jul 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 25 Jul 2022 Transaction Date : 28 Jul 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2037892213254907 10_FP/UP/ROAD/1447932021_User_Fund_Demandet_48751.p Generated Challan (../Atanteaccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1447932021576)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/) MyGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EPCCD, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
बहराइच

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–24

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–24 के अनुसार उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा बनाये जा रहे गांगेय डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रबन्धन योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उ0प्र0 को यूपीडा के पत्रांक–2114/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 18.06.2022 के द्वारा योजना की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहांपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–25

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8वी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–25 के अनुसार दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कार्य उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूपीडा के पत्रांक 2526/1832/यूपीडा/22 (वन) दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ से प्राक्कलन की धनराशि से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–29

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–29 के अनुसार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले गैर वन भूमि (NFL) को राजस्व विभाग की खतौनियों में वन विभाग के नाम नामांतरित एवं हस्तांतरित कर दिया गया है। यूपीडा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या– 2270/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 23.06.2022 को समस्त खतौनियों के साथ आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन एंव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को भी प्रेषित की गयी है। कार्यवाही उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 वन विभाग के स्तर से की जानी है।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अनुपालन आख्या
शर्त संख्या–33

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.6.2022 की शर्त संख्या–33 के अनुसार सम्बन्धित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्ट/अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना,
यूपीडा, लखनऊ

(दिलीप कुमार शुक्ल)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
सुल्तानपुर

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

ইমেল: example@gmail.com
এস হোসেন এন্ড কোম্পানি
ইঞ্জি. প্রকৌশলী ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(সকল ঠিকানা এবং)